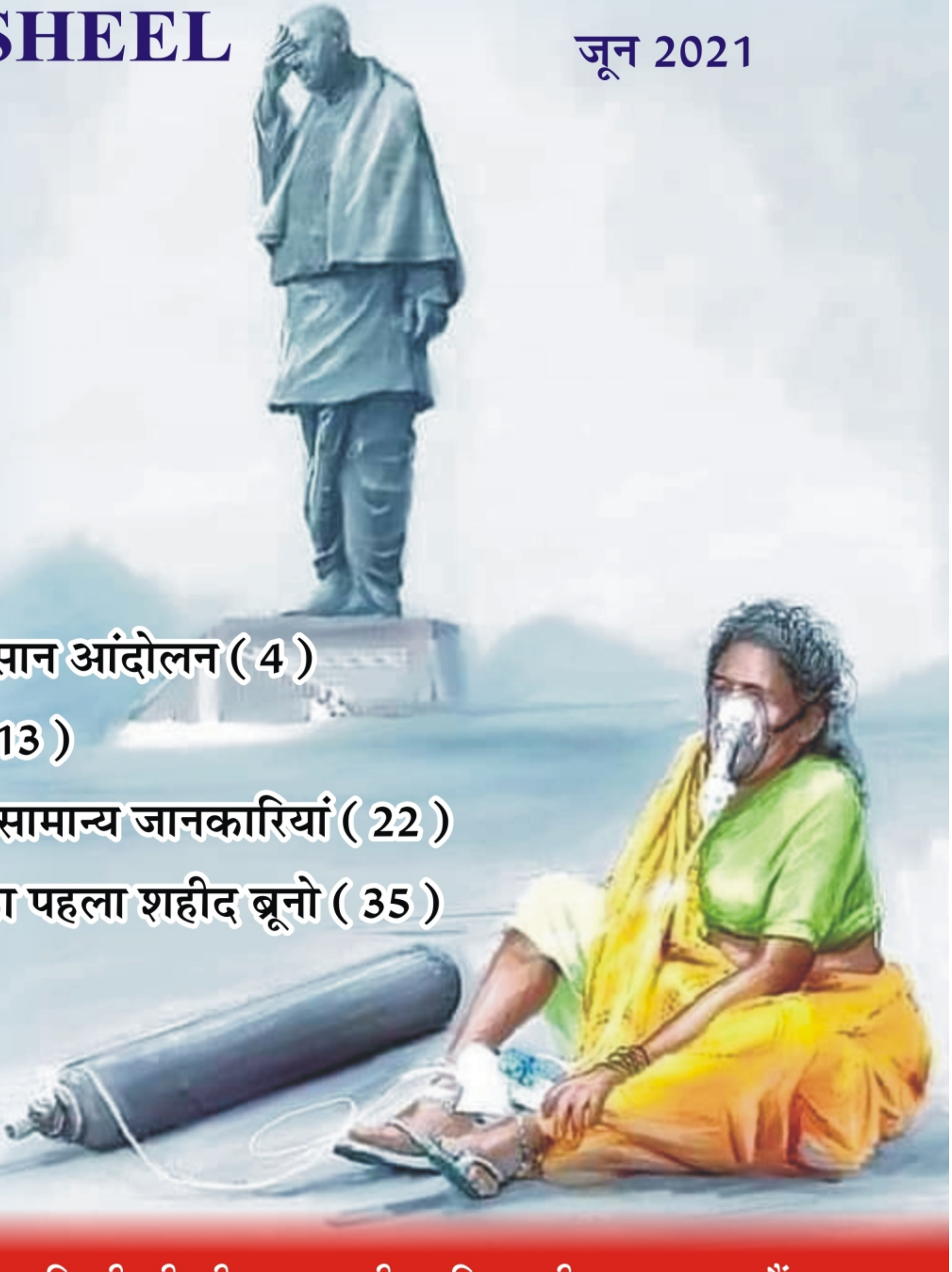
वैज्ञानिक चिंतन की आवाज़

तर्कशील पथ

TARKSHEEL

जून 2021



अंदर पढ़े :

तर्क एंव परख के बिना किसी भी चीज पर यकीन उचित नही...इयान .एम.बैंक्स

वे आएंगे

जयपाल

शमशान कम पड़ गये हैं
अस्पतालों में आग लग रही है
ना आक्सीजन, ना दवाई
वैक्सीन पर राजनीति
हर तरफ चीखो-पुकार

चिंता मत करो
पूंजीपति आएंगे
चैरिटी करने
सरकारें आएंगी
फरियाद सुनने
देवता आएंगे
चमत्कार दिखाने
ऋषि मुनि आएंगे
वरदान देने
मंदिर-मस्जिद आएंगे
मन्नतें पूरी करने
चमत्कारी बाबा आएंगे आशीर्वाद देने
एक बार यह करोना महामारी खत्म हो जाए बस!
फिर सब आएंगे
जैसे पहले आते थे

तर्कशील पथ पत्रिका हेतु शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इडिया, शाखा मॉडल टाऊन, अम्बाला शहर (हरियाणा) में रैशनलिस्ट सोसायटी हरियाणा के नाम से खाता सं. 30191855465 IFSC: SBIN 0002420 में जमा करा सकते है। शुल्क Paytm के माध्यम से मोबाईल नम्बर 9416036203 पर या कोड को स्कैन करके भी भेजा जा सकता है। शुल्क भेजने के बाद इसी मोबाइल नम्बर पर अपना पता SMS या WhatsApp करें।

Reg.No.HARHIN/2014/60580

संपादक : बलवन्त सिंह - 94163-24802

संपादक सहयोग :-

गुरमीत अम्बाला - 94160-36203

बलबीर चन्द लौंगोवाल - 98153-17028

हेम राज स्टेनो - 98769-53561

पत्रिका शुल्क :-

द्विवार्षिक : 200/- रू.

विदेश : वार्षिक : 25 यू.एस.डॉलर

पत्रिका वितरण :

गुरमीत अम्बाला

Email: tarksheeleditor@gmail.com

रचनाएं, पत्र व्यवहार व शुल्क भेजने के लिए पता:

बलवन्त सिंह (प्रा.)

म.नं. 1062, आदर्श नगर,

नजदीक पूजा सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पिपली।

जिला कुरूक्षेत्र - 136131 (हरियाणा)

Email: tarksheeleditor@gmail.com

तर्कशील सोसायटी की गतिविधियों से जुड़ने के लिए

www.facebook.com/tarksheelindia
पेज को लाईक करें।

पत्रिका के प्रमुख लेखों को निम्न ब्लॉग पर भी पढ़ा जा सकता है-

https://tarksheelpath.blogspot.com
पत्रिका को पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें:

www.tarksheel.org

Tarksheel on Whatsapp : 9416036203

Tarksheel Mobile App :
Readwhere.com

Tarksheel on Twitter:
@gurmeeteditor

टाईप सैटिंग और डिज़ाइनिंग:

दोआबा कम्यूनिकेशंस

मोबाईल : 92530 64969

Email: baldevmehrok@gmail.com

संकेतिका

आगामी मीटिंग के बारे

करोना महामारी के चलते तर्कशील सोसायटी हरियाणा की आगामी द्विमासिक मीटिंग अनिश्चित है। जैसी भी स्थिति होगी, तर्कशील साथियों को समय-समय पर सूचित कर दिया जायेगा।

नोट : किसी भी तरह की कानूनी कारवाई सिर्फ जगाधरी यमुनानगर (हरियाणा) की अदालत में ही हो सकेगी।

सम्पादकीय

कोरोना के मद्देनजर पिछले साल (2020 में) लॉकडाउन के दौरान आर्थिक बदलावों का अध्ययन करते हुए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने कहा कि तालाबंदी के दौरान, भारतीय कॉरपोरेट्स की संपत्ति में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लाखों लोगों की आजीविका का संकट पैदा हो गया। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर लौट रहे हजारों श्रमिकों की भूख और थकावट से सड़कों पर मौत हो गई। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मार्च 2020 से भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अगर देश में 13.8 करोड़ गरीब लोगों के बीच इतनी बड़ी राशि वितरित की जाती है, तो उनमें से प्रत्येक को 94,045 रुपये का हिस्सा मिल सकता है। रिपोर्ट यह कहते हुए आय असमानता का हवाला देती है कि एक अकुशल मजदूर को कमाने में 10,000 साल लगेंगे, जितना कि मुकेश अंबानी ने पिछले कोरोना युग के दौरान एक घंटे में कमाया था या जितना मुकेश अंबानी ने किया था। उसे कमाने में तीन साल लगेंगे। एक सेकंड में इतना ही। फिर से, देश को वैज्ञानिक रूप से कोरोना से निपटने के बजाय एक तालाबंदी की ओर धकेला जा रहा है। कोरोना की आड़ में जनविरोधी बहुत कुछ हो रहा है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि पर तीन जन-विरोधी कानून बनाए हैं, लगभग 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया गया है और चार श्रम संहिताएं केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई हैं। बहुत कुछ जनविरोधी हो रहा है। पंजाब सरकार भी पीछे नहीं है। लाखों लोगों को अपनी नौकरी से वंचित रखने वाली अहलूवालिया समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों में भारी कटौती करनी चाहिए।इससे लोग अपनी आजीविका खो देंगे और जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाला जाएगा। आज हम फिर उसी स्थिति में हैं। उसी तरह डर पैदा किया जा रहा है। यदि यह वास्तव में इतना बड़ा संकट है, तो पिछले दशकों को रहने दें तो 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के लिए सरकार ने क्या सुविधाएं बनाई हैं? आज शासकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हमें अभी भी इस समाज को समझाने की आवश्यकता है, जिसे वर्गीय समाज मे लूट निश्चित है इसे वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा।एक बार जब हम इसे समझ लेते हैं, तो समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर पाएंगे, जो यूटोपिया नहीं होगा, बल्कि एक वास्तविकता होगी। लूट की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमें इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यह समाज अपने आप नहीं बदलेगा। भाग्य दर्शन हमें संघर्ष करने से रोकता है और पिछले कर्मों के परिणाम के रूप में सब कुछ बताता है। इस दर्शन को पूरी तरह से खारिज करने से ही वैज्ञानिक रूप से आधारित समाज का निर्माण हो सकता है।

कृषि कानून एवं किसान आंदोलन और इस की दिशा

-हेम राज स्टेनो
मो. 98769 53561

किसान आंदोलन बच्चे और नवयुवकों से लेकर प्रत्येक बुजुर्ग की यदि जुबान पर नहीं तो दिमाग के अन्दर अवश्य घूम रहा है। किसान आंदोलन को चलते हुए भी कई महीने बीत चुके हैं। इस आंदोलन ने सैंकड़ों की संख्या में इन्सानों को निगल लिया है। केन्द्र सरकार ने इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई। हम आज इस बाबत कुछ बातचीत करने जा रहे हैं।

कृषि कानूनों के बारे में भाजपाइयों द्वारा कहा जा रहा है कि ये कानून किसानों के हित में हैं, ये कानून किसानों की आय दोगुनी करने वाले हैं। ये कानून किसानों की आय दोगुनी करने वाले हैं या नहीं अथवा इसके पीछे कोई अन्य नीयत एवं नीति कार्य कर रही है-यह हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम इस मामले पर हमारे देश के न्याय को देखते हैं।

क्या आपने कभी देखा-सुना है कि किसी कातिल को ही जज की भूमिका दे दी गई हो? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि अपराधी किस प्रकार से स्वयं को मुजरिम कहता हुआ अपने आप को सजा सुनाएगा। परंतु हैरान न हों, कभी कभी असंभव दिखाई देने वाला भी संभव हो जाता है अथवा कर दिया जाता है। इसी भांति इस किसान आंदोलन के दौरान हमारे देश में हुआ है। वह कैसे? लो सुनो।

साधारणतयः सभी को ज्ञात है कि कृषि कानूनों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक चार सदस्यीय कमेटी की नियुक्ति कई गई थी। यह इस लिए की गई कि ये सदस्य कृषि कानूनों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तात्पर्य यह कि क्या कृषि कानून किसानों के हित में हैं अथवा नहीं, अथवा यदि कोई अन्य विचार हो तो भी। परंतु यह भी सभी को ही मालूम है कि वे सभी चारों सदस्य इन कृषि कानूनों के पैरोकार एवं समर्थक हैं। ज़रा दृष्टिपात करते हैं कि ये चारों सदस्य इन कृषि कानूनों के बारे में क्या क्हते हैं।

प्रथम सदस्य भूपिन्द्र सिंह मान (यद्यपि बाद में इन्होंने स्वयं को कमेटी से अलग कर लिया) का कहना है कि 'कृषि को मुकाबले की बनाने के लिए ये कृषि सुधार आवश्यक हैं।' अनिल धनवट कहते हैं कि 'इन कृर्षि कानूनों ने किसानों के लिए अवसरों के द्वार खोल दिये हैं, इनको वापिस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।' अशोक गुलाटी ने लिखा है कि 'इन कानूनों की आर्थिक आवश्कता यह है कि ये किसानों को अपनी उपज बेचने एवं खरीददारों को खरीदने एवं भंडारण करने की अधिक विविधता एवं स्वतंत्रता प्रदान करवाने वाले हैं....।' तथा कमेटी चौथे सदस्य डा. पी.के.जोशी का मानना है कि 'इन कानूनों को कमजोर करने का कोई भी प्रयत्न भारतीय कृषि को उभरते हुए वैश्विक स्तर के अवसरों का लाभ लेने में बाधा उत्पन्न कर देता है।'

अर्थात् जो लोग स्पष्ट रूप से कृषि कानूनों की प्रौढ़ता से आगे बढ़ कर प्रशंसा कर रहे थे वे ही कृषि कानूनों के जज बना दिये गये। बस यही है हमारे देश में घटित हुआ कातिल को जज बना देने का उदाहरण।

अब हम किसानों की आय दोगुनी करने केबारे में बात करते हैं।

पहले कुछ आंकड़ों के द्वारा देखते हैः

6000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में डालने वाली प्रधान मंत्री द्वारा प्रचारित की जाती किसान सम्मान निधि योजना का बजट 75000 करोड़ से घटा कर 60000 करोड़ कर दिया गया है।

किसानों के कर्जे पर ब्याज सब्सिडी 21,175 करोड़ से घटा कर 19,468 कर दी गई।

इस प्रकार से कर रही है किसानों की आय को दोगुना यह सरकार।

सरकार का अन्य अन्याय देखो। सरकार का माानना है कि उसके पास 2013 से बाद के किसानों की आय के बारे में कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं, अर्थात् किस किसान की कितनी एवं कौन सी आय है। अब जब सरकार का यही नहीं पता कि किसान की कितनी आय है तो दोगुनी करने से क्या तात्पर्य है? दोगुनी आय का लक्ष्य क्या है? यह तो

स्पष्ट नहीं, तब किसानों की आय दोगुनी करने वाली बात क्या किसी को रत्ती भर भी जच सकती है? बिल्कुल नहीं। सरकार की बदनीति स्पष्ट है कि दोगुनी आय हो जाने का शोर मचाते हुए कृषि को उजाड़ने वाले कानून लागू कर दिये जाएं। यह थी किसानों की आय दोगुनी करने की हुकूमती चाल के बारे में बातचीत।

दूसरी बात, अभी-अभी ही केंद्र ने एक अन्य ढंग के साथ किसानों की आय दोगुनी करने एवं किसानों के जीवन को आसानी प्रदान करने के बारे मे एक नया रास्ता इख्तियार किया है। वह यह कि अब खरीद की गई फसल की राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। इसमें किसानों को क्या-क्या दिक्कतें आएंगी, फिलहाल यहां पर बात आगे की करते हैं। क्या किसानों आय दोगुनी इस कारण से नहीं हो रही थी कि पहले किसानों द्वारा बेची गई फसल की राशि किसानों के खातों में सीधी नहीं जा रही थी? सीधे पैसे किसानों के खातों में चले जाने से उनकी आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? बल्कि होगा इसके बिल्कुल विपरीत। वह यह कि जो किसान ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी फसल के पैसे तो भूमि मालिक के खातों में जाएंगे तथा वास्तविक काश्तकर तो भूमि-मालिक के रहमो-कर्म पर होंगे। देश में कितने ही दलित परिवार ही नहीं बल्कि बहुत सी मात्रा में ऐसे किसान-परिवार भी हैं जो कि भूमिहीन हैं परंतु वे जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं, उनके पैसे भी जमीन मालिकी के अनुसार उनके खातें में नहीं जाएंगे। वे तो भूमि मालिक के मुंह की तरफ देखते रहा करेंगे। फिर उनका क्या बनेगा? इसी प्रकार हमारे देश में विदेशों में गये हुए लोगों की जमीनें भी ठेके पर हैं। उन जमीनों पर जो लोग खेती करते हैं उनकी उपज के पैसे भी विदेशों में रह रहे भारतीयों के खातों में जाएंगे। इस पर एक दिन टी.वी. पर चर्चा हुई तो एक भाजपा नेता कह रहा था कि यह किसानों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। वे जमीन के मालिकों से लिखवा कर दे देंगे। और पैसे वास्तविक काश्तकारों के खातों में डल जाएंगे। वह कह रहा था कि आजकल तो विदेशों में बैठे हुए भी ऑन लाइन लिखवाया जा सकता है चलो क्षण भर के लिए हम यह मान भी लें, परंतु सवाल तो यहां पर यह पैदा होता है कि इस की आवश्कता क्यों आ पड़ी? यह काश्तकरों को सहूलियत देना कैसे बन गया? यह तो उनकी मुश्किलों को बढ़ाने वाला बन गया। इन कठिनाइयों को सह लेने के पश्चात् भी किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हो सकी।

अब हम शांताकुमार समिति की भी बात कर लें। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मेंकहा था कि देश में आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन होरहा है। इसलिए अब अनाज की सार्वजनिक खरीद, भण्डारण तथा वितरण की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात् एफ.सी.आई. तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अब कोई आवश्यकता नहीं और इसको समाप्त कर देना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समाप्ति का अर्थ यह होगा कि गरीब एवं जरूररतमंद लोगों को जो सस्ता अनाज दिया जा रहा है, जिससे वे वंचित रह जाएंगे। इस योजना के अधीन लाभपात्र लोगों का आंकड़ा भी छोटा नहीं है। कोरोना काल दौरान वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि हमारे देश में ८० करोड़ लोगों को यह अनाज दिया जाना चाहिए। साथ ही यहां पर एक बात यह भी है कि यदि किसान को उसके उत्पादन की खरीद के बारे में ही विश्वास नहीं होगा तो वह उत्पादन कैसे करेगा? यह तो हो नहीं सकता कि किसान उत्पादन न भी करे तो भी सरकार उसे दोगुना आय के बराबर कीमत दे दे? सरकार तो किसान को उत्पादन की लाभप्रद कीमत नहीं दे रही तो अपने पास से तो मुफ्त में उसने किसान को दोगुना कीमत क्या देनी है। लाभप्रद भाव देने के बारे में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट (सी 2 अर्थात फसल पर कुल लागत एवं उस पर 50 प्रतिशत मुनाफा) बारे तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया था कि वह इसे लागू नहीं कर सकती। अतः किसानों की आय बिना कुछ पैदा किये बगैर तो दोगुनी नहीं हो सकती। किसान को फसल का उत्पादन तो करना ही पड़ेगा। आय चाहे उससे भी दोगुनी न भी हो।

हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा देश विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) का सदस्य बना हुआ है। हमारे साधारण लोगों को चाहे इस संस्था का पता ही नहीं कि यह किस चिड़िया का नाम है। यह संगठन वास्तव में बड़े-बड़े शोषक देशों की कठपुतली

संस्था है। यह एक उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है वह यह कि जो भिन्न-भिन्न बड़े-बड़े शक्तिशाली देश अपना कृषि अनाज अपने देश से बाहर अन्य देखों को निर्यात करते हैं, उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया? वे विश्व व्यापार संगठन के द्वारा हमारे देश पर दबाव बनाते रहे हैं कि गेहूं, चावल, दालें, कपास एवं चीनी के बारे में भारतीय नीतियां इस संगठन के कृषि समझौते का उल्लंघन करती हैं। इस अभियान का नेतृत्व अमेरिका करता रहा है तथा भारत के इस दावे का विरोध करता रहा है कि किसानों को दिया जा रहा समर्थन मूल्य कृषि समझौते के अनुकूल है। स्मरण रहे, 2013 में इसी संगठन ने इंडोनेशिया के बाली में हुए सम्मेलन में भारत के अनाज की सरकारी खरीद भंडारण एवं वितरण प्रोग्राम की विकसित देशों ने निंदा की थी। (हैरान न होना यह कि शांता कुमार समिति के साथ बिल्कुल मिलती जुलती नीति है।) यह सभी को ज्ञात ही है कि हमारे देश में कुछ फसलों का कुछ भाग में समर्थ मूल्य चल रहा है। परंतु इन देशों ने हमारे देश पर दबाव बनया हुआ है कि वे अपने किसानों को समर्थन मूल्य देना बंद करे। किसान आंदोलन की कृषि कानूनों को रद्द करवाने के साथ-साथ बराबर की ही यह मांग भी है कि उनकी उपज का समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। इस मांग को सरकार टरकाती ही रहती है, सिर्फ यह कह कर कि 'यह था, यह है और भविष्य में भी रहेगा।' परंतु यहां पर सवाल यह है कि सरकार के हाथ समर्थन मूल्य की गारंटी करने वाला कानून बनाने से क्यों रुक जाते हैं? स्पष्ट है कि सरकार की यह एक चाल ही है तथा आज प्रत्येक व्यक्ति इस को समझ भी रहा है।

यहां पर कुछ सवाल उभरते हैंः

प्रथम, यह कि यह विश्व व्यापार संगठन हमारे देश की सरकार पर दबाव क्यों बना रहा है; दूसरा, हमारे देश की सरकार यह दबाव क्यों मान रही है। तीसरा, विकसित देशों को ऐसा करने की क्या आवश्यकता है?

संक्षेप में इन तीन सवालों के बारे में विचार-विमर्श करते हैं।

प्रथम के बारे में, बिल एण्ड मलिंगा गेट्स फाऊंडेशन ने उत्तरी ध्रुव से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर आरर्कटिक महासागर के निकट बैरेट्स सागर के पास स्वालबार्ड में एक बीज बैंक का निर्माण किया है, जिसे 'कयामत के दिन का बीज बैंक' कहा जाता है। बिल गेट्स के साथ रॉकफेलर फांऊंडेशन, मोनसेंटो कार्पोरेशन, सिनजेंटा फाऊंडेशन और नार्वे की सरकार ने इस में निवेश किया है।

नार्वे की सरकार के अनुसार, इस में पूरी दुनिया के विभिन्न प्रकार के तीस लाख बीज सुरक्षित रखे गए हैं ताकि भविष्य के लिए फसल विविधता का संरक्षण किया जा सके। बीजों में नमी को बाहर करने के लिए बीज को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है।

किसी को लग सकता है कि इस में तो कुछ भी गलत नहीं, बल्कि यह तो होना ही चाहिए। बस, यही बात है, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां शोषण करने वाले दांव-पेच भी प्रयोग कर जाती हैं ताकि हमारे आम लोगों में स्वयं को जन-हितैषी होने का भ्रम भी पैदा कर देती है। ये जन-हितैषी होती हैं अथवा लोगों का खून चूसने वाली, इस के लिए इस बैंक की वास्तविकता के बारे में जानते हैं।

भला उपरोक्त दर्शाए गये बीज का उपयोग कौन करता है? पौध प्रजनक और शोधकर्ता जीन-बैंकों के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। आज के सब से बड़े पौध प्रजनकों में मोनसेंटो, ड्यूपॉन्ट, सिनजेन्टा और डॉव केमिकल हैं, (डॉव केमिकल कंपनी वह है जिसके प्लांट हमारे देश में भोपाल गैस त्रास्दी घटित हुई थी)। ये सभी वैश्विक पौध पेटेंट जीएमओ (जेनिटिक मौडिफाइड बीजों) के दिग्गज हैं। ये क्या करते हैं? एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि भारत के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले गेहूं की भांति दिखने वाले एक पौधे का बीज ये लोग ले जाते हैं। वहां उस पर शोध करते हैं। वह गेहूं का पौधा वास्तव में गेहूं की तरह नहीं दिखता है, लेकिन यह अनवांशिक रूप से एक गेहूं है। साथ ही एक हजार साल के लिए पहाड़ों की ऊंचाई पर रहने के कारण इसे उगने में बहुत पानी की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे बीज को वे जी एम बीज में बदल देते हैं और उस पर पेटेंट हासिल कर लेते हैं। फिर आप को इन्हीं से ये बीज खरीदना होगा। यह बीज टर्मिनेटर बीज होगा, यानी अगली फसल के लिए आप अपने द्वारा उत्पादित बीज का इस्तेमाल नहीं

कर पाएंगे, क्योंकि वह उगेगा ही नही। अगली बार के लिए आपको इन्हीं से बीज खरीदना होगा।

इन कंपनियों की दूसरी सबसे घटिया एवं लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बात यह है कि उनके द्वारा पेटेंट करवाया हुआ होने के कारण, हर एक को यह बीज उन कंपनियों से ही खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कंपनियां मनमर्जी की मालिक होंगी, अर्थात जिस को चाहे सप्लाई करें अथवा न करें, या जब चाहे मनमर्जी करें तथा सबसे विशेष यह कि जितनी चाहे कीमत वसूल करें। इस प्रकार से ये कंपनियां बेतहाशा लूट करती हुई अपने खजाने और अधिक भरेंगी और हमारे जैसे विकासशसील देशों के किसानों को ये बीज अधिक कीमत पर मिलने के कारण और अधिक निर्धनता की ओर धकेलेंगी।

बस, विश्व व्यापार संगठन वास्तव में उस प्रकार के देशों एवं उनकी कंपनियों के हितों के अनुरूप नीतियां तय करता है ताकि उन नीतियों को मानने एवं लागू करने के लिए हमारे जैसे देशों पर दबाव बनाता है।

अब दूसरे सवाल के बारे कि हमारे देश की सरकार यह दबाव क्यों मान नही हैं:

इस का एक ही पंक्ति में जवाब यह है कि सामान्य प्रचलित आंकड़ों के अनुसार हमारे देश पर 162 लाख करोड़ का कर्ज है। इस पर पड़ने वाला ब्याज अलग से है। इस प्रकार की हालत में हमारे देश की सरकार इन देशों के आगे हाथ पसार रही है। इसी लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी विदेशी विराट कंपनियों तथा उन्हीं की भांति ही हमारे देश में विदेशों की कंपनियों के सहयोगी पूंजीपति कार्पोरेट घरानों (Crony Capitalism) अथवा अपने तौर पर बने हुए कार्पोरेट घरानों को तसल्ली देते हुए कहते रहते हैं कि यहां पर पूंजी निवेश करो, तुम्हें सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसीलिए उनके हितों की पूर्ति वाली नीतियां बना कर लागू कर रहे हैं। ये कृषि कानून भी उन्हीं नीतियों का एक अंग हैं। अतः बात केवल नरेन्द्र मोदी जी की जिद की नहीं, बल्कि इन के पीछे देशी-विदेशी पूंजीवादी कंपनियों के हितों वाली नीतियों को बलपूर्वक पूरा करने का सवाल है।

अब तीसरे सवाल के बारे में कि विकसित देशों को ऐसा करने की क्या आवश्यकता है?

एक उदाहरण लो। अमेरिका में एक फल का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, जिसे हिन्दी में बिनला कहा जाता है। परंतु अमेरिका के वातावरण एवं वहां की भूमि पर इसे उगाया नहीं जा सकता। परंतु अमेरिका की यह आवश्यकता है कि उनको यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता रहे। इसलिए वे इस का विदेशों में उत्पादन करवा कर अपने देश में ले जाना चाहते हैं। इस फल का उत्पादन हमारे देश के केरल प्रान्त में आरम्भ भी हो चुका है।

अतः इन तीनों सवालों का सारांश यह बन जाता है कि विकसित देश विश्व व्यापार संगठन एवं उनके दलाल हमारे देश की सरकार की मार्फत हमारी कृषि को हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए इस तबाह करके तथा अपने मन-माफिक खेती करवा कर दो निशानों को भेदना चाहती है।

पहला, अपने द्वारा तैयार बीजों के व्यापार के द्वारा बेतहाशा मुनाफा कमाते हुए हमारे देश के किसानों को ही नहीं बल्कि जन-साधारण को भी कंगाली के क्षेत्र में धकेलना चाहते हैं।

दूसरा, अपने देश में आवश्यक खाद्य सामग्री के आवश्यक अनाज-फल इत्यादि यहां पर उत्पन्न करवा कर कम से कम कीमत पर खरीद कर अपना मुनाफा भी कमाना तथा अपने देश के लिए आवश्यक खाद्य-वस्तुओं की सप्लाई लाईन को कायम रख सकना। इस से आगे हमारे देश की साधारण जनता को आवश्यक खाद्य-पदार्थों से वंचित रखते हुए अकाल की स्थिति उत्पन्न करके यहां पर खाद्य सामग्री भेज कर और अधिक धन कमाना, जैसा कि अंग्रेजों ने हमारे देश के ढाका के मलमल उद्योग को तबाह कर के अपना कपड़ा भेजना शुरू कर दिया था।

अतः इस समस्त घटनाक्रम को इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए कि यह केवल एक अकेले मोदी जी की जिद का सवाल है। यह तो हमारी केन्द्र की सरकार के विदेशी (साम्राजयवादी पूंजीपतियों) एवं देशी कार्पोरेट घरानों की दलाल सरकार के चरित्र का प्रमुख प्रकटावा है। राजनीति में जिदबाजी कुछ नहीं होती। सरकार की नीतियां जन हितैषी अथवा जन विरोधी होती हैं। वर्तमान समय की किसान समस्या किसी व्यक्ति

विशेष अथवा पार्टी विशेष का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश के एवं साम्राज्यवादी देशों के शोषक एवं शोषित वर्गों के दरम्यान एक संघर्ष है। इस का फैसला उधर ही होगा जिधर का पलड़ा भारी, दृढता एवं संघर्ष करने वाला दांव-पेच सही होगा। वर्ग संघर्ष में एक पक्ष की जीत का मतलब ही दूसरे पक्ष की हार होता है। संघर्ष करने वालों को इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हार भी हो तो उसे भी संघर्ष के द्वारा ही जीत में पल्टा जा सकता है। हमारे देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां पर भी पहली ही लहर की जीत नहीं हुई, कितनी ही लहरें चलीं, अन्त में अंग्रेजी साम्राज्य को हमारे देश में से निकालने की सफलता प्राप्त हो सकती।

इसी लिए लोक कवि संत राम उदासी ने जो लिखा था वह आज भी प्रासंगिक हैः

हमने तोड़ी थीं गुलामी की कड़ियां
बहुत से हमने दुख थे सहे
कहना है समय की सरकार को
वह रहन हमारा देश न करे

सामग्री सहायताः सधन्यवाद (रेड स्टार (हिन्दी) मैगजीन)
हिन्दी अनुवादः बलवन्त सिंह लेक्चरार

अनमोल वचन

जिस धरती पर हर अगले मिनट एक बच्चा भूख या बीमारी से मरता हो, वहां पर शासक वर्ग की दृष्टि से चीजों को समझने की आदत डाली जाती है। लोगों को इस दशा को एक स्वाभाविक दशा समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लोग व्यवस्था को देशभक्ति से जोड़ लेते हैं और इस तरह से व्यवस्था का विरोधी एक देश द्रोही अथवा विदेशी एजेण्ट बन जाता है। जंगल के कानूनों को पवित्र रूप दे दिया जाता है ताकि पराजित लोग अपनी हालत को अपनी नियति समझ बैठें।

-एदुआर्दो गलिआनो (अर्जेंटीना के लेखक)

कविता

-शकील प्रेम

मामला बस रात का है
तो जश्न किस बात का है
पड़ा है जो सड़क पर
वो मेरी ही जात का है.
कोई भूखों तड़प रहा है
कोई रोटी को मर रहा है
जिसका पेट भर रहा है
वो सेलिब्रेट कर रहा है
यह फर्क हालात का है
तो जश्न किस बात का है
पड़ा है जो सड़क पर
वो मेरी ही जात का है.
आ गए सड़क पर
वो सर्द अब कहाँ है
बाजुओं में वजन था
वो मर्द अब कहाँ है
देते थे जो सहारा
वो हमदर्द अब कहाँ हैं
सीने में उठ रहा था
वो दर्द अब कहाँ है
मामला जज़्बात का है
तो जश्न किस बात का है
पड़ा है जो सड़क पर
वो मेरी ही जात का है.
किताबों में जो लिखा था
वो झूठा हो चुका है
कुदरत ने जो दिया था
वो लूटा जा चुका है
पैरों में जो जमीं थी
वो छीनी जा चुकी है
सर पे जो आसमाँ था
वो नोंचा जा चुका है
यह वक्त बालात का है
तो जश्न किस बात का है
पड़ा है जो सड़क पर
वो मेरी ही जात का है

प्राचीन भारत एवं कृषि

इस पृथ्वी पर कृषि व पशुपालन मानव के सबसे पहले व्यवसाय थे जिनकी वजह से मानव ने सभ्यता की ओर पहला कदम रखा और शिकार पर मानव की निर्भरता कम हुई। नवपाषाण काल में कृषि के आरम्भ के साथ ही गांवों का उदय हुआ। यह काल मानव जीवन में एक क्रांतिकारी युग था। इसमें कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। इससे मानव का रहन-सहन, जीने का ढंग एवं सामाजिक संगठन बदल गया। भारत के विभिन्न भौगोलिक आंचलों में कबीलों अथवा जनजातीय समाज का उदय हुआ।

हड़प्पा सभ्यता में अन्न का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन ही इस सभ्यता के विकास का प्रमुख आधार था। नगरों में खाने के लिए अनाज की पूर्ति गांवों से होती थी। हड़प्पा में 50X40 मीटर के आकार का एक भवन मिला है जिसे अन्नागार (गोदाम) कहा गया है जिसमें अनाज, कपास इत्यादि रखा जाता था। कालीबंगा में खेत की सतह पर हल चलाने के प्रमाण मिले हैं।

ऋग्वेद के प्रथम तथा दसवें मण्डल (अध्याय) में कृषि सम्बन्धित उल्लेख हैं और कृष्टि शब्द का 33 बार उल्लेख है। प्रथम मण्डल में लिखा है कि देवताओं ने मनु को हल चलाना तथा जौ की खेती करनी सिखाई। दसवें मण्डल में खेती के लिए जंगल काटने का वर्णन है। 'इन्द्र' तथा 'पूषण' देवता खेती में सहायता करते थे।

शतपथ ब्राह्मण (ग्रन्थ) में पूरा एक अध्याय कृषि कर्म पर लिखा गया है। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहर खोदने का उल्लेख और फसलों की बीमारियाँ समाप्त करने के लिए अनेक मन्त्रों का प्रयोग बताया गया है। देवताओं से कृषि की समृद्धि और अच्छी फसल के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं।

भारत में 1000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि क्षेत्र में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप पैदावार बढ़ी। प्राचीन पालि ग्रंथों में कृषि के लिए लोहे के औजारों का उल्लेख है साथ ही अष्टाध्यायी ग्रन्थ से भी इसकी पुष्टि होती है। इससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि, उत्पादन का बढ़ना और कृषक बस्तियों का विस्तार हुआ। इसका लाभ राज्य को भी मिला। कृषि पंचांग, ऋतुओं व जलवायु के ज्ञान ने कृषि को गति दी। कृषि के विस्तार से मगध जैसे साम्राज्य का उदय हुआ और नगरीय गतिविधियों को बल मिला।

600 ईसा पूर्व तक बड़े-बड़े खेतों व बड़ी बस्तियों की स्थापना हो चुकी थी। कृषि व राज्य के विकास का प्रमुख आधार पशु थे। साथ ही धार्मिक कर्मकांडों में पशु बलि के अत्यधिक प्रचलन से पशु-धन का नुकसान हुआ। उस समय के बौद्ध व जैन धर्म ने पशुओं की बलि का पुरजोर विरोध किया और अहिंसा पर बल दिया। इन धर्मो को राज्य व जनता द्वारा सहयोग मिला। क्योंकि ये नए धर्म उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पशुओं के संरक्षण की बात कर रहे थे।

मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था की बुनियाद कृषि ही थी। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया ताकि कृषि के लिए सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। कृषि के विस्तार ने ही व्यापार एवं शिल्प-उद्योग को प्रोत्साहित किया। कृषि व पशुओं के महत्व के प्रमाण हमें मौर्य शासक अशोक के स्तम्भों पर मिलते हैं। सारनाथ के स्तम्भ शीर्ष (जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है) के नीचे एक बड़ा पाषाण चक्र है। जिस पर एक शेर, एक हाथी, एक अश्व के साथ एक बैल भी है। इसके इलावा रामपुर के स्तम्भ पर नटुआ बैल बना हुआ है।

कुषाण शासकों के समय में भूमि के स्वामित्व की अवधारणा का विकास हुआ। जो किसान जंगल काटकर जमीन निकालता था वह जमीन उसी की मानी जाती थी। इसकी पुष्टि मनुस्मृति और मिलिनदपन्हो जैसे ग्रंथों से होती है।

सातवाहन शासकों के समय में दक्कन में कृषि की उल्लेखनीय प्रगति हुई। धान व कपास प्रमुख फसलें थी। विदेशी विवरणों में आन्ध्र को कपास की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। सिंचाई के लिए तालाब व कुएँ बनवाने में सातवाहन शासकों ने रूचि ली।

गुप्तकालीन राज्य का आधार भी कृषि व्यवस्था ही थी। गुप्तकालीन अभिलेखों में कई प्रकार की भूमि की चर्चा की गई है। गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त के सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त और पर्णदत्त के पुत्र चक्रपतिता ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई।

इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्राचीन काल में विभिन्न राज्यों का आधार कृषि था। बिना कृषि के आधार के राज्य के विकास की कल्पना बेमानी है।

(एक शिक्षक की कलम से)

मई दिवस, लाल झंडा और 21 वी सदी

–अनिल राजिमवाल

लाल झण्डे का जन्म जून 1832 में पेरिस के बैरिकैडस पर हुआ जब मजदूर अपनी मागों को लेकर बागी हो गये थे। झण्डे का एक रोचक इतिहास है। यह उनके नेतृत्व में हुआ था और इसने मजदूरों को मई 1886 में हुई घटना और काम के आठ घण्टे और अन्य उनकी मांगों को उठाने के लिए प्रेरित किया।

फ्रांस की क्रान्ति और लाल झण्डा

लाल रंग का फ्रांस की क्रान्ति और उसके पहले मौजूद सामंती शासन के साथ गहरा संबंध है। झण्डे का इस्तेमाल असल में एक खतरे अथवा चेतावनी के लिए किया जाता था। राजा छोटे लाल झण्डे पूरे शहर में घोषणा करने अथवा चेतावनी देने के लिए लगाता था। यह अभी के तरह क्रान्ति का प्रतीक नहीं था, जो कि बाद में बन गया। 1789 फ्रेंच क्रान्ति के बाद लाल झण्डे 21 अक्टूबर 1789 को मार्शल लॉ की घोषणा के लगाये गये, इसके बाद वे वहीं लगाये जाने लगे जहां कानून लगाया जाता था, इस प्रकार यह जनता का प्रतीक बन गये। ऐसा करने के लिए, पेरिस में टाऊन हॉल की मुख्य खिड़की पर एक लाल झंडा फहराया गया और इसे सभी गलियों और चौकों में प्रदर्शित किया गया। कुछ साल बाद, लाल झंडे के तहत विद्रोहियों का उल्लेख था, जिसमें 'संप्रभु जनता का मार्शल लॉ' शब्द के साथ थे। लाल टोपी को 1793 में लोगों द्वारा व्यापक रूप से पहना गया था, और यहां तक कि प्रसि) रोबस्पियर द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया गया था, ''लाल बनाम तिरंगा''। विकसित गणराज्यों ने प्रतीक के रूप में लाल झंडे को स्वीकार कर लिया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, सांस-कुलोटस (निम्न वर्गीय क्रान्तिकारी) सबसे आगे थे। वे अनाकार प्रवृति के मेहनतकश थे, जो अभी तक वर्गों में विकसित नहीं हुए थे, इनमें संगठित औद्योगिक वर्ग की तुलना में अधिकतर दस्तकार थे।

लाल पादरीः

लाल पादरी फ्रांसिसी क्रान्ति के असंतुष्ट पादरी थे। वे शब्दों और कर्म दोनों से पादरियों के हरावल थे। लाल पादरी सामाजिक और दार्शनिक मीन दोनों पर लड़े, हालांकि निरंतरता से नहीं। वह मध्ययुगीन रूढियों से मुक्ति का समय था। लाल पादरियों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सहारा लिया जो कि फ्रांसिसी क्रान्ति की पहचान था। कुछेक लाल पादरियों में शामिल थे पेटिट जीन, जैक्स रूक्स, डोलिवियर, क्रोइसी आदि।

फ्रांस में मजदूरों का लाल झण्डाः

फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति मजदूरों की पहली बड़ी कार्रवाई थी, जिसने सामंती-बुर्जुआ गठजोड़ के राजनीतिक शासन का पलट दिया था। इससे पूंजीपति वर्ग सत्ता में आया। अगस्त ब्लांकी प्रमुख नेतृत्वकारी व्यक्तित्व थे। इस प्रकार सर्वहाराओं ने निम्न वर्गीय क्रान्तिकारियों'की परंपराओं को आगे बढ़ाया। नवंबर 1831 में, फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर ल्यों में श्रमिकों के विद्रोह से फ्रांस हिल गया था। 30 हजार बुनकरों और 70 हजार अन्य श्रमिकों ने सभी पांचों फाटकों को बंद कर दिया। 21 नवंबर, 1831 को, श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच इतिहास में पहला सशस्त्र टकराव हुआ। अगले दिन, श्रमिकों ने इन शब्दों के साथ काला बैनर लहराया ''टू लिविंग वर्किंग अथवा डाई फाइटिंग'। दो दिन बाद, शहर श्रमिकों के नियंत्रण में आ गया। लेकिन वे राजनीतिक दिशा में आगे नहीं बढ़े, जो चार्टिस्ट आंदोलन ने बाद में इंग्लैंड में किया। 9 अप्रैल, 1834 को ल्योंस में एक दूसरा विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने लाल झंडे उठाए, जिन पर ''रिपब्लिक या डेथ'' अंकित था।

25 जून 1832 को पेरिस के मजदूरों ने लूईस फिलिप के खिलाफ बगावत कर दी और बैरिकेडस पर लाल झण्डा फहरा दिया।

इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलनः

जबकि फ्रांसीसी आंदोलन प्राय एक सशस्त्र आंदोलन था, वहीं शक्तिशाली राजनीतिक जन कामगारों ने स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य के साथ 1830-40 के दशक के दौरान इंग्लैंड में संघर्ष शुरू किया था। 1834 के अंत में, आधे 5 लाख लोगों के साथ ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई, और 1836 में, लंदन वर्किंग मैन्स एसोसिएशन का गठन किया गया। डेमोक्रेटिक एसोसिएशन और ग्रेट नार्दर्न यूनियन भी अस्तित्व में

आई। दोनों ने मिलकर लाखों मजदूरों को संगठित किया। फरवरी 1839 में पहला चार्टिस्ट कन्वेंशन हुआ। नेशनल चार्टर एसोसिएशन मजदूर वर्ग का पहला सामूहिक राजनीतिक संगठन था। 1842 तक श्रमिक खुले में आ गए और व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह कर दिया था।

चार्टिज्म ने दो प्रमुख राजनीतिक मांगें उठाईं। श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार, और दस घंटे का कार्यदिवस। दूसरी राष्ट्रीय याचिका ने संसद के लिए 3.3 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए। पहली बार यह एक मिलियन से अधिक एकत्र किये गये थे। संसद मार्च, जुलूस, याचिकाओं की इंग्लैंड में बाढ़ सी आ गयी। संसद मार्च ने इंग्लैंड को हिला दिया था, 1842 में आंदोलन अपने शिखर पर पहुँच गया था। मतदान के अधिकारों की मांग करने वाला शांतिपूर्ण सर्वहारा आंदोलन पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। एंगेल्स ने जोर दिया कि यह सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित एक सामाजिक क्रांति थी।

जून 1847 में कानूनी तरीके से दस घंटे के कार्यदिवस की शुरुआत की गई।

जर्मन मजदूर वर्ग की शानदार चुनावी सफलताएँ

जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (1863) मजदूर वर्ग की पहली राजनीतिक पार्टी थी। इसने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं की शुरुआत में लगातार वोटों और सीटों की संख्या में बढत बनायी। इसे 1878 से 1890 तक प्रतिबंधित कर दिया गया था लेकिन यह बंद नहीं हुई। एक समय यह संसद में इसने एक-चौथाई, यहां तक कि एक-तिहाई से अधिक मतों से जीत हासिल की। इसने 107 से अधिक दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशित किया। मार्क्स और फिर एंगेल्स ने समाजवाद की ओर बढ़ने की एक विधि के रूप में मत पेटियों के उपयोग का काफी मूल्यांकन किया। एंगेल्स ने मतदाताओं और उनके समर्थकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के आंदोलन का अग्रिम रक्षक भी कहा।

अमेरिका में संघर्षः

1791 में फिलाडेल्फिया में एक बढ़ई काम के 10 घंटे के लिए मारा गया था, और 1835 में सभी मजदूर '6 से 6 बजे काम और भोजन के लिए दो घंटे' के बैनर के साथ दस घण्टे काम के लिए हड़ताल पर चले गए थे। 8 घंटे की मांग 1836 में उठाई गई थी और बोस्टन जहाज के बढ़ईयों ने इसे 1842 में ही इसे हासिल कर लिया था। 1864 में, 8 घंटे की मांग शिकागो के श्रमिकों के लिए केंद्रीय मुद्दा बन गई थी।

अमेरिका में 10 घंटे के कार्यदिवस पर पहला कानून 1847 में न्यू हैम्पशायर में लाया गया था। 1829 के चुनावों में, श्रमिक टिकट को 28 प्रतिशत वोट मिले, स्किडमोर एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरे। 1873 में इलिनोइस में वर्कर्समैन की पार्टी का गठन किया गया और 1874 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्समैन की पार्टी उत्तरी अमेरिका में बनी। 1869 में ऑर्डर ऑफ नाइट्स ऑफ लेबर की स्थापना एक ट्रेड यूनियन के रूप में हुई। 1870 के दौरान अमेरिका में हडतालें मुख्य रूप से काम के 8 घंटे को लेकर हुई थी। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर (एएफएल), फेडरेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस ऑफ यूएसए और कनाडा य1881) से निकलकर आयी थी।

काम के 8 घंटे के लिए दबाव बनाने के लिए वर्किंगमैन की पार्टी ने राष्ट्रपति जॉनसन से मुलाकात की। 19 मई, 1869 को राष्ट्रपति यूलिस ग्रांट ने 8 घंटे के लिए एक उद्घोषणा जारी की। अमेरिकी कांग्रेस ने मैकेनिकों और मजदूरों जैसे संघीय कर्मचारियों के लिए 25 जून, 1868 को 8 घंटे का कानून पारित किया। लेकिन इसे लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर आंदोलनों की जरूरत थी।

1870 में 8 घंटे काम का दिन केंद्रीय मांग बन गयी। न्यूयॉर्क शहर में एक लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और 1872 में 8 घंटे के दिन की जीत हासिल की। अल्बर्ट पार्सन्स 1878 में 'शिकागो 8-आवर लीग' के सचिव बने। 1880 में एक नेशनल 8 ऑवर कमेटी अस्तित्व में आई।

1884 में शिकागो में फेडरेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस (बाद में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर या एएफएल) के एक सम्मेलन ने 1 मई 1886 को 8 घंटे के दिन के रूप में मनाने का फैसला किया। नाइट्स ऑफ लेबर की स्थानीय इकाइयों ने मांग का समर्थन किया। ट्रेड यूनियनों ने 1 मई, 1886 को पूरे अमेरिका में मजदूरों की हड़ताल को अभूतपूर्व सफल बताया। अल्बर्ट पार्सन्स (नाइट्स आफ लेबर), उनकी पत्नी लूसी पार्सन्स और उनके दो बच्चों ने 1 मई को मिशिगन एवेन्यू, शिकागो में 80 हजार श्रमिकों का

नेतृत्व किया। लाखों लोग अगले दिनों अमेरिका में हड़ताल पर चले गए। सारा देश जे जी बलान्चार्ड के गाने 'ऐट आवर्स सोन्ग' के पीछे' एकताबद्ध हो गया। 'वी आर सम्मनिंग अवर फार्सेज फ्राम शिपयार्ड, शॉप्स एण्ड मिल्स'......(हम शिपयार्ड, दुकान और मिल से अपनी सेनाओं को बुला रहे हैं)

वर्कर्स न्यूजपेपर के संपादक अगस्त स्पाइज ने मैककॉर्मिक प्लांट, शिकागो में 3 मई मजदूरों को संबोधित किया था। वहां प्लांट के हडताल तोड़ने वालों के साथ तनाव व्याप्त था। पुलिस ने गोलीबारी की और चार लोग मारे गये। 4 मई को हेय मार्केट में आयोजित सभा के बाद एक बम फटा इससे पुलिस को झूठे मामले में नेताओं को गिरफ्तार करने और जजों को उन्हें सजा देने का बहाना मिल गया। आठ नेताओं स्पाइज, पारसन्स, एंगेल, फिशेर, फिल्डमैन, श्वाब, लींग और आस्कर नीबे को फांसी की सजा दी गयी। पहले चार को 11 नवंबर 1887 को फांसी दी गयी। 26 जून 1893 को इलिनोइस के गर्वरन पी एल्टगेल्ड ने जाहिर किया किया की मुकदमा पूरी तरह से झूठा और गढ़ा गया था, बाकि नेताओं को रिहा कर दिया गया और कहा गया कि फांसी दिये गये नेता हिस्टीरिया भरी हुई जूरी और पक्षपाती जजों का शिकार बन गये। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रार्बट ओवेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आठ घण्टे काम, आठ घण्टे मनोरंजन और आठ घण्टे आराम का फार्मूला दिया।

एएफएल ने दिसंबर 1888 में फैसला किया कि मजदूरों को आठ घण्टे से अधिक काम नहीं करना चाहिए। दूसरे इंटरनेशनल ने 1889 में तय किया कि 1890 से प्रत्येक वर्ष 1 मई को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में नाया जायेगा।

मई दिवस और लाल झण्डा

लाल झण्डे का इतिहास 1886 से कहीं पुराना है, जैसा कि हम देखते हैं, कि यह बाद में एकदम आम हो गया। वास्तव में अमेरिका में परंपरागत मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर में मनाया जाता था। कुछ कारणों से जिसमें व्यवसायिक चक्र भी शामिल है यह 1884 में मई में शिफ्ट हो गया था। मजदूर दिवस के आयोजन में परिवार लाल बिल्लों, बैनर्स, झण्डों, झण्डियों आदि के साथ। लाल बैनर का इस्तेमाल 1840 के दशक के शुरूआती दिनों में हुआ। 1886 के मई दिवस आयोजन ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया।

भारत में रिपोर्ट पहला मई दिवस का आयोजन 1923 में हुआ जिसका नेतृत्व एम सिंगारवेलू ने किया। इसकी रिपोर्ट 1925 में कराची, 1927 और 1928 में मुम्बई आदि में भी हुई। लाल झण्डा मद्रास में फहराया गया था।

21वीं सदी में मजदूर वर्गः

मई 1886 से एक पूरा ऐतिहासिक युग बीत चुका है, और पूंजीवाद, समाजवाद और श्रमिक वर्ग में बहुत कुछ बदल गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आंदोलन ने इतिहास पर अपनी छाप एक नए समाज के लिए संघर्ष करने वाले वर्ग के रूप में छोड़ दी है। मजदूर दिवस या मई दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन गया है।

हम औद्योगिक क्रांति की तुलना में एक उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। उत्पादन और संचार के साधनों में बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। इसलिए हमें औद्योगिक युग के दौरान बनी कई अवधारणाओं को बदलने की आवश्यकता है। वर्ग और सामाजिक संरचनाएं मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और उपकरणों की प्रकृति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित कंप्यूटर आज बुनियादी साधन हैं जिनका उपयोग सामाजिक कार्यो में बड़ी संख्या में किया जाता है। सेवाओं और सूचना नेटवर्किंग के आधार पर तेजी से शहरीकरण नई सुविधाओं को जोड़ता है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्रान्ति हमारे समाज की रचना को बदल रही है। श्रमिक वर्ग की संरचना में भारी बदलाव आ रहा है। यह बदलाव व्यापक है, जिसमें सूचना कर्मचारी, सेवा कर्मचारी, इंजीनियर, प्रोग्रामर, प्रबंधक, कंप्यूटर नियंत्रक आदि शामिल हैं। मध्यम वर्ग द्वारा मजदूर-कर्मचारी के स्थान का अधिग्रहण एक प्रमुख पहलू है।

डेनियल बेल ने 1970 के दशक में समाज में उत्पादन से सेवा और संचार में बुनियादी बदलाव की ओर इशारा किया था। टाफलर, पोस्टर, रिचा, रिफकिन और कई अन्य जैसे विद्वानों ने उभरती इन विशेषताएं को रेखांकित किया हैं।

मजदूर वर्ग की संरचना में बुनियादी बदलाव उत्पादन से सेवा क्षेत्रः उत्पादन में एक अनुपातिक गिरावट है जबकि सेवा क्षेत्र में उभार है। गैर उत्पादित मजदूर संरचना का 70 प्रतिशत से अधिक गठित करते

हैं। भारत में सैकड़ों किलोमीटर तक एक कताई और बुनाई मिल पाना मुश्किल हैः पुराने प्रकार के विशाल औद्योगिक केंद्र सेवा क्षेत्रों, इलेक्ट्रानिक्स, संचार, सूचना आदि के नए केंद्रों के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि नए मजदूरों के नारे, मांग, रणनीति और युक्तियां अलग हैं। लैटिन अमेरिका, भारत, फ्रांस, यूरोप आदि में नई ऐतिहासिक और राजनीतिक बदलाव हो रही हैं। पुराने प्रकार के औद्योगिक श्रमिकों को नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

काम के घण्टों का प्रश्न अधिक जटिल हो गया है। भारत सहित कुछ दक्षिणपंथी शासनों के हमले में काम के घण्टे बढ़ाये जा रहे हैं और श्रमिकों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। इसके अलावा, 'कार्य' की प्रकृति परिवर्तन से गुजर रही है, जिससे निश्चित सामूहिक काम के घण्टों की पहचान करना मुश्किल हो गया है, और इसमें अधिक बदलाव हो रहे हैं।

मजदूर वर्ग आंदोलन को 21वीं सदी के इन नये सवालों को हल करना होगा।

लघु-कथा

संगठन की ताकत

एक आदमी था, जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था उसको सभी जानते थे बड़ा मान सम्मान मिलता था, अचानक किसी कारण वश वह निश्क्रिय रहने लगा , मिलना - जुलना बंद कर दिया ,और संगठन से दूर हो गया।'

कुछ सप्ताह पश्चात् एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया ।'

ःमुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया।'

'दोनों चुपचाप बैठे रहे। केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे।'

'कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले, उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी 'जल रही थी' उसे उठाकर किनारे पर रख दिया। और फिर से शांत बैठ गया।'

मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है।'

'लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई।'

'कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्ज्वल प्रकाश था और आग की तपन थी वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था।"इस बीच.. दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले।'

'जानें से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी, और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी।'

'जब आदमी, मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।'

'आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है। कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भाँति बुझ जाता है।'

'संगठन से ही हमारी पहचान बनती है इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए!'

क्या पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबी का उन्मूलन संभव हो सकता है ?

-अशोक कुमार

पूंजीवाद श्रम के शोषण पर आधारित व्यवस्था है। श्रम का शोषण वही कर सकता है जो संपत्तिवान और बलशाली हो । इस व्यवस्था में श्रम का शोषण उसी का हो सकता है जो सम्पत्तिहीन और गरीब हो और निर्बल हो। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था में सम्पत्तिहीन और गरीब मेहनतकश वर्ग की विशाल फौज का होना इस व्यवस्था का केंद्रीय और मुख्य तत्व है। यह पूंजीवादी व्यवस्था की खास विशेषता है। इसीलिए पूंजीवाद का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कदापि नहीं हो सकता। पूंजीवाद का एकमात्र लक्ष्य तो मुनाफा कमाना ही होता है और पूंजीपतियों के यह मुनाफे मुख्य रूप से दलित-शोषित श्रमिकवर्ग के श्रम के शोषण का ही फल होता है। यही मुनाफे आगे चलकर निजी संपत्ति के रूप में प्रकट होते है जो श्रम के शोषण और दमन की प्रक्रिया को गति देते हैं। पूंजीवाद मुखयतः निजी मुनाफों पर आधारित व्यक्तिवादी व्यवस्था है जो शेष समाज के शोषण और दमन पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति के मुनाफों की प्यास कभी भी खत्म नहीं होती। इसी कारण जैसे-जैसे पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़ते हैं वैसे-वैसे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक मंदी जैसे आर्थिक संकट और जातिवाद, धार्मिक घृणा, साम्प्रदायिक उन्माद जैसी सामाजिक बीमारियां भी उग्र रूप लेकर प्रकट होती हैं और इन बुराइयों के दंश दलित-शोषित श्रमिकवर्ग को ही झेलना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि गरीबी और पूंजीवाद का चोली और दामन जैसा शाश्वत संबंध रहा है । एक दूसरे के बगैर ये दोनों अधूरे होते हैं क्योंकि मेहनतकश वर्ग के श्रम के फल को लूटकर ही पूंजीवाद का अस्तित्व संभव होता है । इसीलिए गरीबी पूँजीवाद की छाया की तरह प्रकट होती है। गरीबी पूंजीवादी व्यवस्था की उप-उत्पत्ति (bi-product) है। वह पूंजीवाद के साथ ऐसे ही उग आती है जैसे गेहूं के साथ भूसा स्वयंमेव उग आता है । लेकिन यही भूसा पूंजीवाद के लिए मुसीबत भी बन जाता है फिर उससे निपटने के लिए वह पराली की तरह उसे भूसे को जलाकर नष्ट भी करना पड़ता है । इसीलिए पूंजीवाद न केवल मेहनतकश वर्ग के लिए बल्कि स्वयं अपने लिए भी एक मुसीबत है । इसीलिए गरीबी उन्मूलन का अर्थ है पूंजीवाद का खात्मा और पूंजीवाद के खात्मे का अर्थ है गरीबी का उन्मूलन । पूंजीवाद का खात्मा मेहनतकश वर्ग के क्रांतिकारी नेतृत्व में सम्पन्न होता है। इसीलिए पूंजीवाद और दलित-शोषित श्रमिकवर्ग के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहता है। इस वर्ग संघर्ष में दोनों पक्ष जो कार्रवाई करते हैं वह उनके लिए जरूरी होती है, क्योंकि पूंजीपति पूंजीपति बने रहने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए भरसक कोशिश करता है। दूसरी ओर, दलित शोषित श्रमिकवर्ग जिंदा रह सके इसलिए उचित मजदूरी पाने की भरसक कोशिश करता है। दोनों एकदूसरे की कीमत पर ही सफल हो सकते हैं।' पूंजीवाद के इसी आंतरिक अंतर्विरोध के कारण पूंजीवाद का उन्मूलन सम्भव हो पाता है क्योंकि एक बीमार व्यक्ति (व्यवस्था) के स्वास्थ्य के लिए या तो बीमारी (गरीबी) को हटाया जाना जरूरी होता है या बीमारी व्यक्ति की मौत का कारण सिद्ध होती है। इसीलिए पूंजीवाद के चलते गरीबी को पूर्ण रूप से मिटाया नहीं जा सकता । इसीलिए मेहनतकश वर्ग के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा किया जाए। गरीबी के उन्मूलन के साथ ही जातीय, धार्मिक उत्पीड़न, साम्प्रदायिकता जैसी सामाजिक और सामन्ती बीमारियों और कूड़े-कचरे का सफाया होना सम्भव और सुनिश्चित हो जाता है। तब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता जैसे शब्द अपने वास्तविक अर्थो में प्रकट होते हैं क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए स्वतंत्रता और समानता का क्या अर्थ हो सकता है ? एक पूंजीपति और एक गरीब आदमी के

बीच न्याय कैसे संभव हो सकता है? एक संपत्तिहीन मजदूर और धनवान मालिक के बीच मैत्री और बंधुता का होना कैसे संभव हो सकता है? यह असंभव है। उनके बीच तो दया, करुणा और सहानुभूति का ही संबंध हो सकता है । लेकिन दया, करुणा और सहानुभूति कोई प्रेम और मैत्री के भाव नहीं हैं। ये तो दास और स्वामी, गुलाम और मालिक के सम्बन्धों को ही व्यक्त करते हैं। इसीलिए गुलाम और मालिक के संबंध कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं हो सकते। ऐसे संबंध शत्रुतापूर्ण ही हो सकते हैं। वर्गविभक्त समाज में प्रेम, बंधुता, मैत्री और भाईचारा जैसे भाव तो समान संपत्तिगत सम्बन्धों में ही प्रकट होते हैं। असमान सम्पत्तिगत संबंध शत्रुता, संघर्ष और हिंसा के भावों को प्रकट करते हैं । इसीलिए लियो ह्यूबरमन जैसे विचारक ने ठीक ही कहा है, कि 'श्रम और पूंजी के बीच सदभाव की सारी बातें बकवास हैं। पूंजीवादी समाज में कोई सदभावना नहीं हो सकती क्योंकि जो चीज किसी वर्ग के लिए हितकर है, वह दूसरे वर्ग के लिए हानिकारक है।' वे आगे कहते हैं, 'गले के साथ चाकू का जो सम्बन्ध होता है, पूंजीवादी समाज में वही संबंध उत्पादन के साधनों के मालिकों और मेहनतकशों के बीच होना लाजिमी है।' (लियो ह्यूबरमन, समाजवाद का ककहरा, पृष्ठ 10) इसीलिए गरीबी दूर करने की बजाए पूंजीवाद श्रमिकवर्ग के प्रतिरोध से निपटने के लिए पूंजीवाद धर्म, धार्मिक उपदेशों, जातिवाद और वर्णभेद जैसे सामंती अवशेषों का सहारा लेकर श्रमिकवर्ग को बांटकर उनमें फूट डालने का काम करता है ताकि उनके प्रतिरोध की धार को कुंद किया जा सके । इसी कारण भारत में धार्मिक, जातीय और वर्णभेद को लेकर प्रायः आपसी संघर्ष और दंगे होते रहते हैं।

प्राचीन सामन्ती युग में भी तत्कालीन सामंती शोषकवर्ग ने भी अपनी लूट को जायज ठहराने और दलितवर्ग कि जहालत भारी जिंदगी के लिए कर्म का सिद्धांत गढ़ा और धर्म और धर्मशास्त्रों के माध्यम से घोषित किया कि दलितवर्ग की गरीबी और दुर्दशा का कारण शोषकवर्ग के द्वारा उनके श्रम के शोषक का फल नहीं बल्कि उसके पूर्वजन्मों में किए गए कृत्यों का फल है । इसी तरह बुद्ध ने भी मनुष्य के तमाम दुखों का कारण उसकी अपनी तृष्णाओं को बताया शासकवर्ग द्वारा किए गए उनके श्रम के शोषण को नहीं । इस तरह से अन्य धर्मों ने भी दलितवर्ग के शोषण और दमन में शोषकवर्ग की मदद करने का ही काम किया क्योंकि इन तमाम धर्मों के होते हुए भी समाज में दास और दास स्वामी, ब्राह्मण और शूद्र, शासक और शासित और शोषक और शोषित के संबंध बने ही रहे। इस तरह इन मनघड़ंत सिद्धांतों और नितिमत्ता, धम्म, शील, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, समाधि जैसे मनमोहक शब्दों के मकड़जाल ने शोषकवर्ग की लूट पर पर्दा डालने का ही काम किया। लेकिन दलित-शोषित श्रमिकवर्ग की गरीबी और जहालत का कारण धर्म या आध्यात्म के मार्ग से च्युत होना नहीं रहा है और न ही किसी धम्म या आध्यात्म की किसी ध्यान-विधि, किसी धार्मिक पुरुष के उपदेशों, किसी कथित महान नेता का अनुगमन करने से, न ही किसी शास्त्र का पठन-पाठन करने से और न ही किसी मन्त्रोच्चार या हवन-यज्ञ के द्वारा इस समस्या का कोई निपटारा ही संभव हो सकता है। धम्म या धर्म व्यक्ति के भीतर घटने वाली बेहद निजी घटना मानी जाती है क्योंकि धम्म या निर्वाण जैसी किसी घटना के अनुभवों को किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी समूह के साथ किसी भी सूरत में सांझा नहीं किया जा सकता। यह असम्भव है। व्यक्ति के भीतर घटने वाली घटना बेहद निजी घटना है। यह कोई सामाजिक घटना नहीं है जबकि गरीबी पूर्णतः भौतिक सामाजिक और व्यवस्थागत घटना है। इसीलिए व्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव के जरिए ही इसका निपटारा संभव हो सकता है। दलित और शोषित श्रमिकवर्ग की गरीबी और दुर्दशा का मूल और वास्तविक कारण शोषकवर्ग द्वारा दलित-शोषित श्रमिकवर्ग के श्रम का शोषण और दमन ही रहा है। इसीलिए इस समस्या का निपटारा भी भौतिक स्तर पर ही संभव हो सकता है। इसीलिए नितिमत्ता, धम्म, शील प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा जैसे शब्द भटकने और भटकाने वाले ही सिद्ध हुए हैं।

पूंजीवाद भी सामंती व्यवस्था की ही तरह श्रम के शोषण और निजी संपत्ति के अधिकार पर आधारित व्यवस्था है । पूंजीवाद की श्रमिक-विरोधी

नीतियों और गतिविधियों के कारण आज भारत में अमीरी और गरीबी के बीच खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। पूंजीपतियों के मुनाफों में भारी इजाफे हो रहे हैं। देश की सारी धन-संपत्ति और तमाम प्राकृतिक संसाधन मुनाफों के रूप में चंद पूंजीपतियों के गिरोह की तिजोरियों में सिमटते जा रहे हैं । पूंजीपतियों के मुनाफों की रफ्तार थम नहीं रही है जिसके कारण आज देश के एक प्रतिशत पूंजीपतियों के पास देश की कुल धन-संपदा के 73 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा हो चुका है ।

अपना मुनाफा बढ़ाने का पूंजीपतियों के पास एक मुख्य तरीका यह है कि वह अपने उत्पादों की लागत कम करने के लिए वह श्रमिकों की संख्या में कटौती करे। इसी कारण पूंजीपतियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह मजदूरों की छंटनी करे और उसके स्थान पर मशीनों के इस्तेमाल के कारण बेरोजगारी का संकट पैदा होता है। दूसरा तरीका यह है कि वह मजदूरों की मजदूरी में अनाप-शनाप कटौती करता है जिसके कारण मजदूरों की क्रयशक्ति बेहद घट जाती है। इससे उत्पादों की लागत तो कम हो जाती है और पूंजीपतियों के मुनाफा भी बेहद बढ़ जाता है लेकिन उत्पादन अत्यधिक बढ़ जाता है और बाजार उत्पादित सामानों से भर जाते हैं। लेकिन इससे मजदूरों और आम जनता और खरीददारों की क्रय शक्ति बेहद घट जाती है जिसके कारण खरीददार बाजार से गायब हो जाते है। यही हालात आर्थिक मंदी के कारण बन जाते हैं। इसी आर्थिक मंदी के कारण, आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, और अपने पैर पसारे हुए हैं यही आर्थिक संकट मेहनतकश जनता में वर्ग चेतना की कमी के कारण जातीय संघर्ष, वर्णभेद, धार्मिक उत्पीड़न और साम्प्रदायिक हिंसा के रूप में प्रकट होता है। इसी आर्थिक संकट के चलते मेहनतकश जनता धनसंपत्ति में से अपने-अपने हिस्सों को प्राप्त करने के लिए छीना-झपटी में लग जाती है और स्वयं को जाति, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय जैसे संकीर्ण विचारों के रूप में स्वयं को संगठित करके आपसी संघर्षो में उलझ जाती है। देश में इन्हीं आर्थिक संकटों के कारण उत्पन्न यह छीना-झपटी समाज में जातीय, धार्मिक और साम्प्रदायिक संघर्ष, आपसी वैमनस्य, नफरत, घृणा और हिंसा के रूप में प्रकट हो रही हैं। इन सभी संघर्षो का मुख्य कारण शासकवर्ग की दलित-शोषित श्रमिकवर्ग विरोधी और पूंजीपति वर्ग की समर्थित नीतियां ही जिम्मेदार रही हैं। वर्तमान किसान आंदोलन भी शासकवर्ग की किसान-विरोधी और पूंजीवाद समर्थित नीतियों का ही परिणाम है। अतः दलित-शोषित श्रमिकवर्ग की पूर्ण मुक्ति के लिए पूंजीवादी लूट के कारण बढ़ती आर्थिक असमानता और गरीबी को जड़मूल से मिटाया जाना बेहद जरूरी है और यह कार्य पूंजीवादी व्यवस्था के चलते संभव नहीं हो सकता ।

नया साल

-अपर्ण मंजनीक

नया साल
ठंडी सड़कों पर गरमाते जज़्बों के नाम
ओस की बूंदों से उफनते लावे के नाम
धरती में बोए बीजों से
उगती क्रांति के नाम

नया साल
सत्ता को दी ललकार के नाम
लोगों द्वारा जलाई मशाल के नाम
नया साल
जुल्म को घेरते लहूलुहान पांव के नाम
जेल में बन्द
जन आवाजों के नाम
शहादतों के नाम

नया साल
लड़ रहे
मेहनतकश मजूदरों, किसानों के नाम
औरतों, बच्चों, बूढ़ों के नाम

नया साल
मुल्क में नए अध्याय के नाम
नया साल
लाल सुर्ख सवेर के नाम

आधुनिक विज्ञान के आदि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस
(1858-1937)

-डॉ. हरीश्चन्द्र भारतीय

सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पराजित होने के बाद भारत पर पूरी तरह अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया और अपने लम्बे इतिहास में देश पहली बार लम्बे समय के लिये पराधीन हो गया। अंग्रेजों ने पश्चिमी देशों में भारतवासियों के बारे में यह धारणा फैला रखी थी कि वे अर्धसभ्य, अशिक्षित, आलसी लोग हैं, और यह कि अंग्रेज उन पिछड़े लोगों को आगे लाने, शिक्षित करने एवं सभ्य बनाने में मदद कर रहे हैं। अतः राजा राम मोहन राय, गालिब, माइकल मधुसूदन, दयानन्द सरस्वती एवं स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुषों की देश-विदेश में फैली ख्याति के बावजूद भारतीयों में यही धारणा प्रचलित थी कि वे बहुत पिछड़े हुए लोग हैं और आधुनिक विज्ञान को समझने और आत्मसात् करने में अक्षम हैं। ऐसे समय भारतीय क्षितिज पर एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ जिसने यूरोपवासियों की उस भ्रामक धारणा को न केवल निर्मूल साबित कर दिया वरन् इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी व अमेरिका आदि में अपने अद्भुत प्रयोगों का प्रदर्शन करके न केवल वहां के लोगों को अचंभित कर दिया, वरन् उन्हें भारतीयों की क्षमता अैर विशेषताओं के बारे में नये सिरे से सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया।

संसार के बेतार टेलीग्राफी के आविष्कार का श्रेय इटली के वैज्ञानिक मारकोनी (1874-1937)को दिया जाता है। लेकिन जगदीश चन्द्र बोस मारकोनी से लगभग एक वर्ष पहले ही सन् 1895 में तत्कालीन बंगाल के गवर्नर के सामने सार्वजनिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा बिना तारीय सम्पर्क के 75 फुट दूरी पर विद्यूत घंटी बजवा दी थी तथा एक सूक्ष्म बारूदी सुरंग में विस्फोट करा दिया था। ये तरंगे दूसरे कमरे में मोटी दीवारें पार करके पहुंची थी। सही अर्थ में बेतार अथवा रेडियो के वास्तविक आविष्कर्ता तो जे.सी.बोस ही थे। डॉ. बोस ऐसे वैज्ञानिक थे, जिनमें एक सन्त, एक तपस्वी जैसी प्रवृत्ति थी। उनमें न अपने प्रचार की लालसा थी और न किसी अवार्ड की तमन्ना थी। आजकल तो लोग प्रायः पारितोषिक और सम्मान के पीछे ही भागते रहते हैं।

आरम्भिक कालः- सर जगदीश चन्द्र बोस का जन्म 30 नवम्बर सन् 1858 को मैमनसिंह में (अब बांग्लादेश) में हुआ था। उनके पिता भगवान चन्द्र बोस डिव्टी मजिस्ट्रेट थे तथा माता श्रीमती वामसुन्दरी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनकी आरम्भिक पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई। उन्हें अपने माता-पिता एवं अध्यापकों से अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने बचपन से ही अपने देश, उसकी जनता, संस्कृति और इतिहास की अच्छी जानकारी प्राप्त की। देशभक्ति और भारतीयता के स्वाभिमान की भावना उनमें आरम्भ से ही कूट-कूट कर भरी थी। उनमें भारत की वेद कालीन विरासत के प्रति बहुत आदरभाव था। जब आगे चलकर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया तो उनके व्यक्तित्व के जो अनुकरणीय आयाम सामने आये वे हम सब भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सर जे.सी.बोस में वेदकालीन ऋषियों की दूरदृष्टि, सादगी, गहन चिन्तन और निस्पृहता थी।

एक महान वैज्ञानिक की तीक्ष्ण दृष्टि, खुलापन, निर्भीकता अैर तीव्र ज्ञान-पिपासा थी तथा एक आदर्श भारतीय का देशभिमान था।

जे.सी.बोस ने कलकत्ता के सेंट जेवियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। वहां के छात्रजीवन की एक रोचक घटना का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। उस कॉलेज में अधिकतर यूरोपियन और एंग्लो-इंडियन छात्र थे। अपने बीच एक देहाती छात्र पाकर वे बड़ी हंसी-मजाक करते। उनमें एक छात्र चैम्पियन मुक्केबाज भी था। वह बोस को अकसर परेशान करता रहता था। आखिर जगदीश बोस की सहनशक्ति ने जवाब दे दिया और उन्होंने उस यूरोपियन छात्र को चुनौती दे डाली। संयोग की बात, बोस की जीत हुई और उसके बाद क्लास में और क्लास के बाहर सहपाठियों में उनका सम्मान बढ़ गया। बोस की हार्दिक इच्छा थी कि वे आई.सी.एस.

पास करके भारतीय प्रशासकीय सेवा में प्रवेश करें, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे प्रशासक नहीं वरन् स्कालर (विद्वान) बनें। बोस सन् 1881 में इंगलैंड गये। और सन 1885 में कैम्ब्रिज से विज्ञान विषयों, जिनमें भैतिकी प्रमुख विषय था, में बी.एस.सी. करके वापिस लौटे और कलकत्ता के 'प्रैजिडेंसी कॉलेज' में भैतिकी प्रोफेसर हो गये।

स्वाभिमानी भारतीय प्रोफेसरः

जब जे.सी.बोस प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रोफैसर हुए, तब वहां एक अजीब जातीय भेदभाव बरता जाता था। यूरोपीय प्रोफैसर के मुकाबले भारतीय प्रोफेसर को दो-तिहाई वेतन दिया जाता था। बोस के साथ एक और चोट की गई। चूंकि उस समय उनकी नौकरी अस्थायी थी, इसलिए उन्हें दो तिहाई के भी केवल आधे वेतन की पेशकश की गई। यह बात न केवल उनके व्यक्तिगत स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली थी, वरन् उनके सहयोगी शिक्षकों एवं सारे देश के सम्मान पर गहरा प्रहार करने वाली थी और जे.सी.बोस ने इसका विरोध करने का एक विलक्षण तरीका अपनाया। उन्होंने बिना वेतन कार्य कार्य करना आरम्भ किया और तीन वर्ष तक वे पूर्ण लगन और योग्यता के साथ अध्यापन कार्य करते रहे। महात्मा गांधी के अद्‌भुत हथियार 'सत्याग्रह' के सार्वजनिक प्रयोग के बहुत पहले ही बोस ने इस तरीका का इस्तेमाल किया। आखिर, सार्वजनिक शिक्षा के निदेशक और कॉलेज के प्रिन्सिपल को बोस की मूल्यवान सेवा और त्याग का महत्व तथा उनकेविरोध का औचित्य समझ में आया और उन्हें न केवल विदेशी प्रोफेसरों के बराबर वेतन देना स्वीकार किया, वरन् पिछले तीनों वर्ष का पूरा वेतन भी एक मुश्त दिया। अपने स्वाभिमान और देश के सम्मान की रक्षा के दृढ़ संकल्पकी यह एक शानदार मिसाल है।

शोध कार्य की राह परः

सर जे.सी.बोस के अनुसार प्रेजीडेन्सी कॉलेज में रिसर्च कार्य करने लायक प्रयोगशाला सुविधा नहीं थी। अतः उन्हें अपना शोध कार्य अपनी निजी प्रयोगशाला में करना पड़ा। संयोग से वे इतने सम्पन्न तो अवश्य थे कि छोटी-मोटी प्रयोगशाला स्थापित कर सके और वे रिसर्च करने की आवश्यक सुविधा जुटाने में सफल हुए। इस प्रकार दस वर्ष तक अपार धैर्य के साथ कार्य करने का अच्छा पणिाम मिला। विज्ञान में उनकी लगन देखकर कॉलेज में एक छोटी प्रयोगशाला का प्रावधान किया गया।

बोस ने सन् 1895 से रिसर्च पेपर्स लिखने की श्रृंखला आरम्भ की। उनका पहला पेपर 'पोलेराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रे बाई ए क्रिस्टल' 1895 में बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के जर्नल में छपा। इसके बाद दो पेपर्स 'इलेक्ट्रिकल जर्नल' नाम की तत्काली प्रख्यात पत्रिका में छपे। इसके बाद उनके वैज्ञानिक जीवन में बड़ा मोड़ आया। उनके 'डिटरमिनेशन ऑफ द इंडिसेज ऑफ इलेक्ट्रिक रिफ्रेक्शन' नामक लेख को 'रॉयल सोसायटी' (यू.के. की विश्वविख्यात विज्ञान संस्था) द्वारा बहुत सराहा गया। उस समय किसी भी वैज्ञानिक के लिए यह बहुत बड़े सम्मान की बात समझी जाती थी। रॉयल सोसाइटी ने विज्ञान की प्रगति के लिए उन्हें कुछ अनुदान भी दिया। तब बंगाल सरकार को बोस की महत्ता का आभास हुआ और उसने भी उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ सुविधायें प्रदान कीं।

उपलब्धियां, ख्याति और विवादः

भारत के प्रथम विश्वविख्यात पुरोधा वैज्ञानिक डा.जे.सी.बोस की उपलब्धियों, ख्याति और विवादास्पद होने की एक लम्बी कहानी है। लेकिन हमारे लिये जो अनुकरणीय बात है वह यह कि अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि से उन्हें कोई दम्भ नहीं हुआ और न उनके कार्यों पर उठे विवादों से वे विचलित हुए। उनमें अपार संयम और आत्मविश्वासथा, और वे अपने प्रयोगों के परिणामों पर आधारित निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त थे। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के सफल प्रदर्श किये तथा अधिकांश वैज्ञानिकों से प्रशंसित हुए।

हम इस बात का उल्लेख पहले कर चुके हैं कि बेतार (वायरलेस) टेलीग्राफी के असली आविष्कारक जे.सी.बोस ही थे, लेकिन उन्होंने पेटेन्ट नहीं करवाया और इसीलिये करीब एक वर्ष बाद यानी 1896 में उसका श्रेय मारकोनी को चला गया। यही वह आविष्कार था जिसके आधार पर रेडियो, टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल जैसे यंत्रों का आविष्कार

हुआ तथा वर्तमान दूरसंचार प्रणाली का विकास हुआ। भैतिकी के प्रयोगों के दौरान बोस के समक्ष एक रहस्य का उद्‌घाटन हुआ। विद्युत तरंगों को ग्रहण करने वाला धातु का छोटा सा टुकड़ा (चाहे तो यंत्र कह दें) होता है। प्रौद्योगिकी भाषा में इसे 'कोहेरर' (Coherer) के नाम से पुकारा जाता है। बहुत अधिक समय तक काम में लेने से वह थक जाता है और काम करना बन्द कर देता है, रेडियों में अक्सर यह तथ्य देखा जाता हैं कुछ समय बाद उसकी 'थकावट' दूर हो जाती है और व पुनः सक्रिय हो जाता है। हमें प्राय' इस प्रकार के अन्य अनुभव रात-दिन होते हैं। कार का इंजिन गरम हो गया जो ठंडा होने पर पुनः काम करने लग जाता हैं बोस ने निर्जीव (जड़) पदार्थो और जीवों के बीच 'थकावट' के तथ्य में एक विचित्र समानता देखी और वे उद्दीपकों के प्रति जीवों के प्रतिक्रियाओं के अध्ययन में जुट गये। प्राणियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में उस समय तक जानकारी काफी बढ़ चली थी, अतः बोस ने वनस्पति और प्राणिजगत में जीवन की एकता को प्रमाणित करने के लिए पेड़-पौधों पर अपने प्रयोग आरम्भ किये। बोस ने सन् 1896 में अपने आरम्भिक प्रयोगों के परिणाम 'रायल सोसायटी' को भेजे। वे लोग उनके कार्य को देखकर अचम्भित रह गये। उनके शोध कार्यो की महत्ता को स्वीकार करते हुए उन्हें उसी वर्ष कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने 'डॉक्टर ऑफ साइंस' (डी.एस.सी) की उपाधि प्रदान की।

सन् 1897 में डॉ. बोस को शुवार संध्या संगोष्ठी में रॉयल सोसाइटी के समक्ष लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार का आमंत्रण विशिष्ट वैज्ञानिकों को ही दिया जाता था।उस जमाने में इंग्लैंड विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ा हुआ देश था। सन् 1897 के शुक्रवार की एक शाम जे.सी. बोस का प्रथम लेक्चर 'विद्युत तरंगों' पर हुआ और फिर वे पौधों और प्राणियों की प्रतिक्रियाओं पर बोले। उनके लेक्चर से तत्कालीन फिजियोलॉजी विशेषज्ञ सर माईकल फोस्टर अत्यधिक प्रभावित हुए।

उन्होंने विभिन प्रतिक्रियाओं के ग्राफ कर्व देखे और उनमें एक एक को उठाकर बोस से पूछा-'सुनो बोस, इस कर्व में ऐसी क्या विशेषता है ? इस बात को तो हम लोग लगभग आधी से जानते आये हैं।' -तब बोस ने उत्तर दिया-'नहीं, यह टिन (एक धातु) का कर्व है।' यह जानकर फोस्टर हक्के-बक्के रह गये। उन्होंने बोस को अपने उस कार्य पर तुरन्त एक पेपर रॉयल सोसाइटी, जिसके फोस्टर सेक्रेटरी थे, को भेजने के लिए कहा।

मई, 1901 में बोस ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष दूसरा लेक्चर दिया और उसके बाद उन्हें 1915 में तीसरे लेक्चर के लिये बुलाया गया। किसी भी वैज्ञानिक के लिए रॉयल सोसाइटी में तीन बार लेक्चर्स के लिये निमंत्रित होना असाधारण सम्मान की बात थी। रॉयल सोसाइटी में पहली बार लेक्चर के लिए बुलाये जाने के पीछे भी एक कहानी है। जब बोस कलकत्ता में 'वायरलेस टेलीग्राफी' की सफलता के बाद अधिक दूर तक बिना तारों की सहायता के संदेश भेजने की तकनीक को परिष्कृत करने में लगे हुए थे, तब ही उन्हें विज्ञान के ब्रिटिश एसोसिएशन के लिवरपूर सेशन में आमंत्रित किया गयाथ ा। बोस वहां गये और वहां वे अपने कार्य पर बोले। विद्युत तरंगों पर उनके शोध कार्य से ब्रिटिश वैज्ञानिक बहुत प्रभावित हुए। उस समय ब्रिटेन में लार्ड रेले (1842-1919) और लार्ड केलविन (1824-1907) बहुत प्रभावशाली वैज्ञानिकों में थे। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप डॉ.जे.सी.बोस को पहली बार रॉयल सोसाइटी द्वारा आमंत्रित किया गया था।

विवादों के बीचः

प्रो. पैट्रिक गेडस ने जे.सी.बोस की जीवन कथा लिखी है। बोस ने 6 जून 1901 को रॉयल सोसाइटी के समक्ष अपने पूरे प्रयोगों के साथ वनस्पतियों और प्राणियों में उद्दीपको (Stimuli) की प्रतिक्रियाओं की समानता पर विशद् लेक्चर दिया। उसके उपरान्त उस समय के जाने-माने फिजियोलॉजिस्टों ने बड़ी विचित्र आपत्ति उठाई। प्रो. गेडस ने उसका उल्लेख इस प्रकार किया है- 'बोस के पेपर का अच्छा स्वागत हुआ। किन्तु अब एक चोट हुई। चोट करने वाले इंग्लैंड के विख्यात फिजियोलोजी विशेषज्ञ वैज्ञानिक सर जॉन बर्डन सैन्डरसन (1860-1936) थे। सैन्डरसन इलेक्ट्रो-फिजियोलॉजी के विशेषज्ञ माने जाते थे और उनका स्वयं का पौधों और प्राणियों की

इलेक्ट्रो-फिजियोलॉजी पर बहुत काम था। उन्होंने बहस आरम्भ की और उनके पूर्व भौतिकी संबंधी कार्य की सराहना की। लेकिन उन्होंने इस बात पर खेद पकट किया कि बोस ने अपने मूल क्षेत्र (भैतिकी) को छोड़कर दूसरे क्षेत्र वाली फिजियोलॉजी में दखल देना शुरू कर दिया है। बेहतर यही होगा कि वे भौतिकी तक ही सीमित रहें। प्रो. सैन्डरसन ने बोस को अपने रिसर्च पेपर के शीर्षक 'इलैक्ट्रिक रेस्पोन्स' के स्थान पर 'सर्टेन फिजिकल रिएक्शन्स' कर देने की भी सलाह दे डाली। दो अन्य नामी प्रोफेसरों ने उनका समर्थन किया। किन्तु बोस उनकी आलोचना से विचलित नहीं हुए। उहोंने प्रो. सैन्डरसन के सुझाव को अस्वीकार करते हुए इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि रॉयल सोसाइटी जैसी महान संस्था में किसी से यह कहा जाये कि ज्ञान-विज्ञान में आप इस सीमा तक ही बढ़ें। विज्ञान के क्षेत्र में भी कभी-कभी ऐसी संकीर्ण और भेदभाव की भावनायें मिल जाती हैं। आखिर सभी इन्सान ही तो होते हैं, खूबियां भी होती हैं तो कमजोरियां भी। बहरहाल, रॉयल सोसाइटी ने उनके उस पेपर को छापने से इन्कार कर दिया। यह एक लम्बी कहानी है। बोस अपने काम में लगे रहे। शीघ्र ही उन्होंने अपने कार्य का इंग्लैण्ड के धुरुंधर वैज्ञानिकों, विशेषकर प्रख्यात वनस्पतिज्ञों के समक्ष फिर प्रायोगिक प्रदर्शन किया। उन्होंने देखा कि जब पौधे पर उद्दीपक का प्रयोग किया तो गैल्वेनोमीटर की दर्पण की प्रकाश किरण स्केल पर दूर तक जाती देखी गई। प्राणियों और पौधों के जीवन की साम्यता (एकता) यानी 'यूनिटी ऑफ लाइफ' को डॉ. जे.सी. बोस ने अच्छी तरह प्रमाणित और स्थापित कर दिया। रॉयल सोसाइटी ने डॉ. बोस के पेपर को सम्मान के साथ प्रकाशित किया।

सन् 1915 में बोस को रॉयल संस्था ने तीसरी बार लेक्चर के लिये निमंत्रित किया। इस विश्वविद्यालयों में भी लेक्चर्स के लिये आमंत्रित किया गया। इसी यात्रा के दौरान प्रो. बोस ने वियना और अमेरिका में अनेक स्थानों पर लेक्चर्स दिये। इस समय जे.सी.बोस अपने ख्याति की चरम सीमा पर थे।

प्रमुख खोजें और आविष्कार

1. सन् 1895 में वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया जिसका उल्लेख किया जा चुका है।

2. भैतिकी से डॉ. बोस पेड़-पौधों की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने सर्वाधिक खोजबीन विद्युत तरंगों के पेड़-पौधों पर होने वाले प्रभावों एवं उनकी प्रतिक्रियाओं (रेस्पोन्स) के क्षेत्र में की। इस प्रकार उन्होंने 'बायो-फिजिक्स' के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया।

★ प्रो. बोस ने यह प्रमाणित कर दिया कि जिस तरह प्राणी-वर्ग उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ही पेड़-पौधे भी करते हैं। उन्हें भी बिजली से शॉक लगता है, उन पर शराब का नशीला असर होता है, जहर का असर होता, उन्हें चोट लगने पर कष्ट का अनुभव होता है, उन्हें संगीत और स्नेह अच्छा लगता है। वे भी सोते हैं। उनमें भी एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) होता है और उनमें तंत्रिका-आवेग आता-जाता हैं जीवन (लाइफ) की दृष्टि से पेड़-पौधों और प्राणियों में मौलिक समानता है, यह स्थापना बोस की सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है। इसे वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित करने में बोस के कार्य की विशष्टता है, अन्यथा भारती चिन्तक तो हजारों वर्षो से समानता को मानते आये हैं।

★ बोस ने पौधों से संवेदनशीलनता यानी उद्दीपक से होने वाली उत्तेजना को नापने के लिए जिस यंत्र का आविष्कार किया वह 'रजोनेंट रिकार्डर' (Resonanat Recorder) हैं। यह यंत्र अपने आप ही सैकिंड के हजारवें भाग में होने वाली प्रतिक्रिया तक को दर्ज कर लेता है। इसी का अन्य रूपांतरिक 'ऑसिलेटिंग रिकॉर्ड' नाम का यंत्र है जो पेड़-पौधों के सूक्ष्म अंगों में जीवन के स्पंदन (नाड़ी चलने-सदृष्य) को दर्ज करता है।

★ जे.सी.बोस द्वारा आविष्कृत दूसरा मूल यंत्र 'क्रेस्कोग्राफ' (Crescograph) हैं। यह भी दिखने में बड़ा साधारण यंत्र लगता है, किन्तु यह पेड-पौधों की वृद्धि दर को नाप लेता हैं यह इतना संवेदनशील हैं कि घोंघे (Snail) की चाल के बीस हजारवें भाग के बराबर की दर को भी दर्ज कर लेता है। इसका रूपांतरित यंत्र 'मेग्नेटिक क्रेस्कोग्राफ' कहलाता है जो पौधों की कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रियाओं का पता लगा लेता है।

★ पेड़-पौधों में सैंकड़ों फुट तक जड़ से चलकर शीर्ष

तक जल कैसे पहुंच पाता है, जे.सी.बोस ने प्रचलित जल यांत्रिकी (Hydro Mechanič) के सिद्धांत नकारते हुए पेड़ पौधों में आंतरिक उद्दीपन के कारण जल आरोहण (Ascent of Sap) के सिद्धांत की स्थापना करते हुए कहा कि यह पेड़-पौधों की अपनी अन्तर्भूत विशेषता है।

* उनकी एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण देन यह थी कि आवश्यकता पड़ने पर पेड़-पौधों को काटने के बजाय उन्हें उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण कर देना चाहिये। उन्हें मूल स्थान से उखाड़ते समय चोट के सदमे (Trauima) से बचाने के लिए बेहोश करके उखाड़ना चाहिये और दूसरे स्थान पर यथाशीघ्र लगा देना चाहिये। डॉ. बोस ने वृक्षों को बेहोश करने की विधि का आविष्कार किया।

* सन् 1917 में कलकत्ता में उन्होंने 'बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट' की स्थापना की, जो उनकी एक अमर यादगार है।

सम्मान, उपाधियां आदि

सामान्य तौर पर अपने ही समाज या देश में किसी भी बड़े व्यक्ति को उस समय तक सम्मान नहीं दिया जाता, जब तक बाहर के लोग उसकी महत्ता की प्रशंसा नहीं करते। वैसे भी हमारे यहां बहुत पुरानी कहावत है-'घर का जोगी जोगणा, आण गांव का सिद्ध, जब जे.सी.बोस की लार्ड रेले और लॉर्ड केल्विन जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों ने प्रशंसा की, रॉयल सोसाइटी ने लेक्चर्स के लिए आमंत्रित किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डी. एस.सी. की डिग्री प्रदान की, तब भारत में भी उन्हें स्थान-स्थालन से लेक्चर्स के निमंत्रण मिलने लगे और कई विश्वविद्यालयों ने उनहें 'ऑनोरिस कॉजा' (Honaris Causa) डी.एस.सी. की उपाधि से सम्मानित किया।

सन् 1913 में वे 55 वर्ष के हो गये थे। उन्हें सेवानिवृत होना था, किन्तु बंगाल सरकार ने उन्हें न केवल दो वर्ष का एक्सटेंशन दिया वरन् उसके बाद प्रोफेसर के पूरे वेतन पर उन्हें 'प्रोफेसर इमेरिट्स' बना कर जीवन पर्यन्त विज्ञान के विकास में उनकी प्रतिमा का लाभ उठााया।

सन् 1916 में उन्हें 'सर' की उपधि प्रदान की गई। उस समय उनके अभिनन्दन हेतु विख्यात वैज्ञानिक डॉ.पीसी.रे (1861-1944) की अध्यक्षता में एक बड़ा समारोह किया गया। डॉ. पी.सी. रे ने उन्हें महान् वैज्ञानिक ही नहीं वरन् युग-प्रवतर्क कह कर सम्मानित किया। सर जे.सी.बोस के प्रशंसकों में बर्नाड शॉ (1856-1950, गुरुदेव टैगोर (1861-1841), महात्मा गांधी (1969-1948) और स्वामी विवेकानन्द (1863-1902) जैसे महापुरुष भी थे।

क्या सर जे.सी.बोस एफ.आर.एस.(F.R.S.) थे? कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कि उन्हें सन् 1920 में एफ.आर.एस. बनाया गया था।, लेकिन अधिकविश्वस्त पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है। अतः इस बारे में और अधिक पुख्ता खोजबीन की आवश्यकता है। कुछ भी हो सर जगदीश चन्द्र बोस वह पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान जगत् में भारतीय प्रतिभा का झण्डा फहराया। 23 नवम्बर सन् 1937 को भारत का वह महान् सपूत चिर निद्रा में सो गया।

कविता

आप धार्मिक होंगे या विज्ञान निष्ठ।
दोनों एक साथ नहीं हो सकते ।
उसी प्रकार
आप विद्वान हो सकते हैं,
वैज्ञानिक हो सकते हैं,
डॉक्टर हो सकते हैं ,
इंजीनियर हो सकते हैं,
ज्ञानी हो सकते हैं,
बुद्धिमान हो सकते हैं,
चतुर हो सकते हैं,
जरूरी नहीं इन सब के बावजूद आप
विज्ञान निष्ठ हो।

-संजीव खुदशाह

कोरोना क्राइसिस के दौरान

मेडिकल फील्ड की सामान्य जानकारियां

-डॉ. के. बी. बंसोड़े

1. कोरोना काल में आजकल लोगों का सवाल यह है कि बीमारी की वजह से उनके नाक में किसी भी प्रकार की सुगंध या दुर्गंध का अहसास नहीं हो रहा है तथा इसके अलावा मुँह में कोई स्वाद भी नही आ रहा है ।

दरअसल इसका कारण यह है कि, बुखार के समय शरीर का जब तापमान बढ़ जाता है, तब हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, जो कि हमारे शरीर के तापमान को एक नियंत्रित स्तिथि में रखने का प्रयास करती है। अत्यधिक तापमान बढ़ने पर उसकी कार्यप्रणाली पर जरा दुष्प्रभाव पड़ जाता है।

चूँकि शरीर के समस्त मांसपेशियों को भी जब इस बढ़े तापमान का सामना करना पड़ता है, तो इसका दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर तथा ब्रेन के न्यूरॉन्स पर भी पड़ता है। इसी कारण अक्सर मुँह का स्वाद या नाक के सूंघने की तांत्रिक पर भी थोड़ा सा असर आ जाता है। यह एक अस्थायी (टेम्परेरी) घटना होती है, जब बुखार आना बंद हो जाता है, तब यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। आजकल यह कुछ ज्यादा समय के लिये भी हो जाता है। लेकिन यह परमानेंट समस्या बिल्कुल नही है ।'

चूंकि इसका कोई विशेष उपचार नही होता है, इसलिये घबराने जैसे बात नही होनी चाहिये।

इसके अलावा भी कई बार बुखार के अत्यधिक बढ़ जाने पर जब तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो छोटे बच्चों को अक्सर झटके (कँवल्शन्स) भी आते हैं। बड़े या वयस्क भी अत्यधिक तापमान के कारण बडबडाने भी लग जाते हैं। यह भी एक टेम्परेरी या अस्थायी घटना है। इसे दवा देकर ठीक किया जा सकता है, तथा इसका प्राथमिक उपचार यह है कि मरीज के सभी कपड़े शरीर से हटाकर गीले कपड़े से पोछा लगातार लगाना चाहिये, जब तक कि शरीर का तापमान 100° फारनहाइट से कम ना हो जाये।

2. आजकल कुछ लोग बताते हैं कि चूंकि कोरोना की बीमारी फैली हुई है, इसलिये किसी भी स्तिथि में कूलर या एयरकंडीशनर का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह भी गलत अवधारणा है।'

मानव ने अपनी सहूलियत के लिये अत्यधिक गर्मी से बचाव का उपाय छत बनाकर, हाथ से हिलाने वाले पंखों का आविष्कार करके एवम आगे जब बिजली (Electricity) से चालित पंखे, कूलर या एयरकंडीशनर का उपयोग करना सीखा है, वैसे ही जैसे अत्यधिक ठंड से बचने के लिये हम गर्म कपड़ों या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जो सही है। जीवन रक्षक है ।

कुल मिलाकर इस कोरोना क्राइसिस के समय भी हमें पंखे, कूलर तथा एयरकंडीशनर का उपयोग बेहिचक करना चाहिये। यह आवश्यक भी है। लेकिन हमें कूलर या एयरकंडीशनर का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान अवश्य देना चाहिये कि हमें अपने शरीर के तापमान को सामान्य स्थिति में रखने के लिये इनका उपयोग करना होता है। अक्सर लोग एयरकंडीशनर को जरूरत से ज्यादा ही कम तापमान पर चलाते हैं और गर्मी में कंबल ओढ़कर सोते हैं। यह बिल्कुल गलत है ।

मेडिकल टर्मिनॉलोजी में हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना) या हाइपरथर्मिया (शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना) कहते हैं। लगातार हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया का बने रहना भी शरीर की आंतरिक क्रियाप्रणाली पर बेहद विपरीत प्रभाव डालता है। इससे बचना ही जरूरी है । ठंडे प्रदेश में लोग अत्यधिक ठंड से बीमार हो जाते हैं। उसी प्रकार अत्यधिक गर्मी से भी लोग बीमार होते हैं ।

इसलिये दोनों प्रकार के तापमान यानी अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी से बचने के विभिन्न उपाय अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने से हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है, तथा हम बिना बीमार पड़े स्वस्थ रहकर अपना जीवन सुरक्षित बिता सकते हैं।

3. अक्सर लोग आधुनिक युग में दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकियों या मशीनों के प्रयोग की आलोचना करते मिल जाते हैं। हालांकि खुद उनका उपयोग वे बड़े मजे से करते हैं लेकिन नसीहतें दूसरों को देते रहते हैं ।

ऐसे लोग अक्सर प्राचीन कालीन इस्तेमाल की विधियों का गुणगान करते रहते हैं, जो कि बड़ा ही हास्यस्पद भी है। अभी भी लोग चूल्हे पर लकड़ियों के भोजन के स्वादिष्ट होने की बढ़ाई करते मिल जायेंगे, लेकिन उनके खुद के घर गैस सिलेंडर , माइक्रोवेव ओवन और हीट इंडक्शन के बिना खाना बनता ही नही होगा।

इसी तरह वे लोग तुलसी, गिलोय वगैरह के इस्तेमाल की सलाह भी धड़ल्ले से देते हैं। यानी वे आधुनिक चिकित्सापद्धति के विरोध में प्राचीन पद्धतियों के गुणगान करते मिल जाते हैं ।

ऐसे उदाहरणों पर जोर ना देते हुए यह बताना आवश्यक है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति एक विकसित चिकित्सा पद्धति है। जिसे एलोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव के विकास के समस्त काल से चली आ रही चिकित्सापद्धतियों का ही विकसित रूप है। इसलिये आधुनिक युग के समस्त भौतिकी शास्त्र रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, भौगोलिक, जेनेटिक्स वगैरह के आविष्कार का इस्तेमाल करके आज की स्थिति में आये हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल, बीमारी की विभिन्न प्रकार की पहचान के लिये, एवम् उपचार के लिये सामान्यतयः प्रचुर प्रयोग किया जाता है, उसी तरह जांच के लिये सिटी स्कैन, MRI scan, PET scan, एक्स रे, पैथोलॉजी जांच के लिये माइक्रोस्कोप का उपयोग, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग दवाइयों के लिये, वगैरह के इस्तेमाल से बीमारी ठीक की जा सकती है

हृदय की पतली नलिकाओं में जब वे बन्द हो जाती है, तो स्टंट्स का उपयोग करके खोल दी जाती है। हड्डियों के जल्द से जल्द जोड़ने के लिये हड्डियों में रॉड डालना आसान हो गया है ।

प्राचीनकालीन अवधारणाओं एवम् उपचार पद्धतियों की अपनी सीमाएं हैं, जिसे स्वीकारना चाहिये। इसे समझना होगा, तथा आधुनिकता को स्वीकारना ही होगा ।

अभी तुम उनकी जरूरत हो

–महेश चन्द्र पुनेठा

यह तुम्हारी गलतफहमी है
शासक न हिन्दू न मुसलमान,
न सवर्ण, न दलित होता है
वह सिर्फ शासक होता है
यह और बात है कि वह
शासन करने को
पहन लेता है-
धर्म और जाति का चोला
क्योंकि आसान हो जाता है
ऐसे उसका काम
जाति या धर्म की खाइयों को
पटने नहीं देता है वह
क्योंकि ताकत होती है शासक की
आदमी-आदमी के बीच की खाई
गारण्टी होती है स्थायित्व की
खुशफहमी का कोई कारण नहीं
जो बन्दूक तुम्हारे कन्धे पर रख
चलायी जा रही है
तुम्हारे विधर्मी या विजातीय पर
वह तुम्हारे छाती से बहुत दूर नहीं है।
यह मत भूलो
उनके लिए तुम भी शासित हो
मात्र शासित
अन्तर सिर्फ इतना है
अभी तुम उनकी जरूरत हो
नितान्त तात्कालिक
अगर नहीं है विश्वास तो
जरा मुंह खोलकर, देख लो।
बन्दूक कहां होती है फिर....?

मई दिवस पर
भारत में बच्चों की दयनीय स्थिति पर विशेष लेख

बच्चे मेरे देश के

-आर.पी.गांधी

बच्चे देश का भविष्य होते हैं। देश अपनी स्वतन्त्रता की 71वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। बच्चे जिनको हम देश का भविष्य मानते हैं अगर उन पर दृष्टि दौड़ाएं तो करोड़ो बच्चे अशिक्षित, कुपोषण का शिकार, बाल मजदूरी करते देखे जा सकते हैं। ढ़ाबों पर जूठन साफ करते, भीख मांगते, घरों में घरेलू कार्य करते भी इनकों प्रायः देखा जा सकता है। कानून के घर कोर्ट, कचहरियों में चाय परोसते, बूट-पालिश करते भी इनको हम देख सकते हैं। कपड़ों के नाम पर चीथड़ों में लिपटे कई बार सर्दियों में नगें पांव इनकों देखना दुख का कारण बनता है। अब आप ही जरा सोचिए कि जहां बचपन की इतनी दुर्दशा है उस देश का भविष्य कैसा होगा?

फिरोजाबाद में कांच उद्योग में लगे बच्चे जिनके फेफड़ों में कई प्रकार की गैसों का जाना, कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बना देता है। बनारस में कालीन उद्योग में जुटे अपनी छोटी-छोटी अंगुलियों से बारह-बारह घंटे कार्य करते है। मां-बाप आर्थिक मजबूरियों के कारण बच्चों से काम करवाने के लिए मजबूर होते है। बच्चा होने के कारण इनको मेहनताना भी बहुत कम दिया जाता है। केरल में दियासलाई उद्योग भी इन बच्चो के सहारे चलता है महिला-मजदूरों से भी कम पैसों में काम लिया जाता है।

मध्य प्रदेश में बीड़ी का कारोबार महिलाओं और बच्चो पर निर्भर है। जंगलो में तेन्दू के पते इकटठे करने के लिए महिलाओं और बच्चो की सहायता ली जाती है। सहारनपूर (यू.पी) में लकड़ी उद्योग में नक्काशी का काम अधिकतर बच्चों से ही लिया जाता है। यह काम हथौड़ी और छैनी की सहायता से किया जाता है। मां-बाप की मजबूरियों के कारण बच्चों उनका बचपन छीना जाता है। शिक्षा के नाम से कोरे इस तरह के बच्चे जल्दी बुढ़ापे की ओर बढ़ते है। मकराना (राजस्थान) में जहां पत्थर से मूर्तिया घड़ी जाती है। बच्चों सहित सारा परिवार फटे हाल काम में जुटा रहता है। कार्य करने की अवधि भी निश्चित नही होती। इस प्रकार इनका शोषण किया जाता है। तब कहीं जाकर दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते है। बच्चों को स्कूल जाने का अवसर नहीं दिया जाता। गया (बिहार) रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा फैंकी गई जूठी पतलों को हथियाने के लिए भूखे बच्चे दौड़ लगाते है। जूठन को चाटकर भूख मिटाने का प्रयास होता है। कुली गिरी करते हुए गर्दन तोड़ वजन उठाए लडखड़ाते बच्चों को लेखक ने स्वयं अपनी आंखो से देखा है। एक दिन अपने ही शहर यमुनानगर (हरियाणा) में मै मन्दिर के पास खड़ा था। पांच साल का एक लड़का और तीन साल की लड़की छोटी-छोटी लकड़ियो चुनकर उनके बंड़ल बना कर ले जा रहे थे सर्दियो के दिन ठिठुरते नंगे पांव वह अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। जब वे लकड़ियां लेकर घर पंहुचेंगे तो उनका चूल्हा जलेगा और उनको रूखा-सूखा भोजन मिल पाएगा। मेरे पास ही मन्दिर का एक पुजारी खड़ा था। मैने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए पुजारी से कहा कि इन बच्चों को देख रहे है। कितनी दुर्दशा है इन मासूम बच्चों की। पुजारी ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया ये सब चलता है। तब मै सोचने पर मजबूर था कि इन पेड़ों को अपने यजमान की जेबों पर ध्यान रहता है कि मानवता के दुःख को महसुस करने की इनमें संवेदनाए ही नही। कई बार देश की राजधानी दिल्ली में तहखानों में काम करते हुए कितने ही बच्चे बरामद किए गए। कानून ने तो अपना काम कर दिया पर अन्धे बहरे कानून के दिमाग में यह बात बिल्कुल न थी कि जो थोड़ी-बहुत आर्थिक सहायता इन बच्चों के लिए मां-बाप को मिलती थी उसका क्या होगा जब तक मेरे देश के नेता इस बारे सोचने के लिए बाधित नही होते कि ये बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर क्यों है? तब तक इस समस्या का उचित समाधान नही हो

पाएगा बाल-मजदूरी के खिलाफ कानून कितने ही बना लें। ये बाल-मजदूरी चलती ही रहेगी।

इस देश के हर नागरिक को जब तक यह गारंटी नही मिलती कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मगर यहां तो सत्ता प्राप्ति और इसके द्वारा धन संग्रह ही नेताओं का उद्देश्य रह गया है। सवारी-गाड़ी के डिब्बों में पांव में घुंघरू बांध कर और कई प्रकार के स्वांग रच कर फिल्मी धुनों पर गीत गाकर मांगते बच्चों को प्रायः देखा जा सकता है। कई जगह ये बच्चे डिब्बे में सफाई का कार्य करने के बाद यात्रियों के आगे हाथ फैला कर मेहनताना की उम्मीद लगाते हैं। रेलवे स्टेशनों और प्लेट फार्म पर कितने ही बच्चे सर्दियो एव गर्मियों में सोते हुए देखे जा सकते हैं। कई बार गर्मी या सर्दी को जब वे बर्दाश्त नही कर पाते तो जिन्दगी से हाथ धो बैठते है।

कुछ गैर-कानूनी संस्थाएं बच्चों को चुरा कर और उनको अपंग बनाकर भीख मांगने के धंधे में धकेल देती है। असामाजिक तत्व चोरी छिपे नशे का कारोबार भी इन बच्चों से कराते हैं। कुछ बच्चे हवस के भेड़ियों के कारण देह-शोषण के शिकार भी बन जाते है। लड़कियों पर तो और भी जुल्म ढाए जाते हैं। उनको वैश्यावृति के लिए बाध्य किया जाता है। इस कारण ऐसी लड़कियां 30-35 वर्ष की आयु में ही कई प्रकार के लैंगिक रोगो का शिकार हो जाती हैं और तड़प-तड़प कर दम तोड़ देती हैं। एक दिन मैं बाजार में एक दुकान पर बैठा था। इतने में दो मासूम बच्चे एक बड़ा सा थैला लिए वंहा पहुंचे। शायद वे भाई-बहिन थे। उन्होने थैले में से एक मैली सी चादर निकाली और जमीन पर बिछा दी। इसके बाद बारी-बारी चादर पर कलाबाजियां लगाने लगे। उनके पास एक थाली, लोहे का एक रिगं और एक धातु का कटोरा था। जब एक कलाबाजी लगाता था तो दूसरा थाली बजाता था। अब लड़का थाली बजा रहा था और लड़की कुछ करतब दिखा रही थी। उसके बाद उन्होंने पांव में घुंघरू बांध फिल्मी धुनों पर नाचना गाना शुरू कर दिया। जब उन बच्चों का प्रोग्राम खत्म हुआ तब बच्चों ने कटोरे के सहारे आस-पास खड़े लोगो से पैसे मांगने शुरू का दिए। मैं भी उस दुकान पर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। उन बच्चों के कार्यक्रम खत्म होने पर उनको अपने पास बुलाया। पास के एक चाय-स्टाल से चाय मंगा कर उन बच्चों को पिलाई। उनसे बातचीत शुरू की। उनको सवाल किया गया कि वे कितना सफर हर रोज़ तय कर लेते हैं। जिसका जवाब था-इसकी कोई सीमा नही। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उन बच्चों ने बताया। नहर के पास हम जैसे लोगों की कई झोंपड़िया है। उन झोंपड़ियो है में हमारी भी एक झोंपड़ी है। जिसमें हम अपने मां-बाप के साथ रहते है। सवेरे ही बगैर कोई नाशता किए हमें घर से भेज दिया जाता है। इस तरह से तमाशा दिखाकर जो हम कुछ पैसे इकट्ठे करते है उसी से हम अपना नाशता भी कर लेते हैं और इस तरह तमाशा दिखाते हुए हम जगह-जगह घूमते रहते हैं। शाम होने पर जब हम अपनी झोंपड़ी में पहुंचते है तो जितने भी पैसे हमने इकटठे किए होते हैं हमारा बाप हमसे छीन लेता है और उन पैसों से शराब खरीद लाता है। शराब पीने के बाद हमारी मां को गालियां देता है और कई बार घूसों और लातों से माारता है। बदले में वह चीखती-चिल्लाती है। मार खाती रहती है और असहाय हो गाली निकाल कर प्रतिरोध भी प्रकट करती है। जिस दिन कम पैसे लेकर झोंपड़ी में पहुंचते है तो हमें भी सजा के तौर पर दो-चार थप्पड़ जड़ दिए जाते है। बचाव के लिए जब मां बीच में आती है तो बाप उसे धक्का देते हुए बक-बक करने लगता है। क्या औलाद जनी है जो सारा दिन घूम-घूम कर चार पैसे भी इकटठे नहीं कर सकती। मैं उन बच्चों की कहानी सुन कर विचलित हो उठा और सोचने लगा कि इन सब विकृतियों के लिए जिम्मेवार कौन है? 'क्या यह हमारा समाज' जिसने आजादी के इतने वर्षो के बाद भी ऐसे हालात पैदा किए। ऐसे हालात को बदला क्यों नही? मेरे देश के लाखों-करोड़ो बच्चें गरीबी की दलदल में फंसे जीने को मजबुर है जिनका कोई भविष्य नहीं। उन बच्चों की मां गाली घूंसे खाकर भी एक शराबी पति के साथ रहने को मजबूर क्यों है? उन बच्चों का पिता अपनी जिममेदारियों से बेमुख हो शराब के नशे में क्यों डूबा है? क्या वह विघाता जिसने इन सब की विधि लिखी है, आखिर मुजरिम कौन है? अन्धविश्वास, अज्ञानता, अनपढ़ता और भाग्यवादी होना हमें इस अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता। हम हर घटना का कारण भाग्य पर छोड़ कर स्वंय को सन्तुष्ट करने के प्रयास में लगे रहते हैं और अपनी

हर मुसीबत का हल पूजा-पाठ व भक्ति में ढूंढते हैं और ये बातें सामाजिक क्रान्ति की बहुत बड़ी शत्रु हैं।

1947 से पहले की बात है जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। जिला गुजरांवाला (पाकिस्तान) सौदाला शाह के नाम से एक दरगाह है जिसके बारे यह मशहूर है कि निःसन्तान दम्पति अगर वहां जाकर मन्नते मांगे तो उनके सन्तान हो जाती है। सन्तान किसी पीर की दुआओं अथवा बद्दुआओं का असर तो नही होती। कई बार शारीरिक कमियों के अथवा शारीरिक अस्वस्थ्ता के कारण अगर जोड़े के यहां बच्चा पैदा हो जाता है तो वह जोड़ा अपनी अज्ञानता और अन्ध-विश्वास के कारण यह सोचता है कि हमारा बच्चा पीर के आर्शीवाद से हुआ है। इसलिए ऐसा दम्पति अपना पहला बच्चा पीर की दरगाह पर चढ़ा देता है। दरगाह के प्रबन्धक बच्चे के सिर पर फौलादी टोपी पहनाकर दरगाह के तयखाने में बच्चें की परवरिश करते है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास तो होता रहता है परन्तु मस्तिष्क छोटा रह जाता है और उसका सामान्य विकास नहीं हो पाता। मानसिक विकास न होने के कारण वे बच्चे पशुनुमा हो जाते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। लोगों के लिए वे मनोरजंन का साधन बन जाते हैं। स्थानीय भाषा में उनको 'सौदौला शाह के चूहे' कहकर पुकारा जाता है। चन्द भिखारी इन बच्चों को भीख मांगने के लिए कुछ समय के लिए ठेके पर ले जाते हैं। जैसे पहले कभी मदारी लोग गली, मोहल्लों और बाजारों में रीछ और बन्दर का तमाशा दिखाकर पैसे मांगते थे उसी ढंग से ये भिखारी जो उन 'सौदौला शाह के चूहे' को ठेके पर लेकर आते है उनको तमाशे का साधन बना पैसे मांगते हैं। गलीं, मोहल्ले, बाजारों में इन बच्चों से प्रदर्शन करवा कर अपनी आजीविका चलाते हैं। हरे रंग का लम्बा चोगा उन बच्चों को पहनाया जाता है। लोगों को उन बच्चों द्वारा मनोरंजन होता है और वह बच्चा समाज की अज्ञानता और सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण पशु तुल्य जीवन जीने को विवश होता है। उन बच्चों के मां-बाप अपनी निर्दयता और अन्य विश्वास के कारण उन बच्चों की पाश्विक जिन्दगी से बेखबर मौज-मस्ती की जिन्दगी जीते रहते हैं और सरकार अन्ध-विश्वासों को पनपने में सहायता करती है। ऐसे ही अरब देश हिन्दुस्तान से बच्चों को बरामद कर मनोरंजन के लिए ऊंटो की पूंछ के साथ बांध देते है। ऊंट को दौड़ाते है तो बच्चा बार-बार ऊंट की टांगो से टकराता है और जोर से चीखता है। चीख की पुकार सुन ऊंट और भी तेजी से भागता है। लोग बच्चों पर हो रहे जुल्म को देख कर खुश होते है और जिन्दगी का आनन्द लेते हैं। जबकि दूसरी और बच्चे मानसिक सन्तुलन खो बैठते है और उनका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इनमें सें कुछ बच्चे जीवन से हाथ धो बैठते है। एक बार मुम्बई पुलिस के छापे में 15-20 बच्चे बरामद भी किए गए थे जिनको अरब देशों में भेजा जाना था।

पाकिस्तान की एक घटना जिसे मैं कभी भूल नही सकता। दो मुस्टण्ड़े मर्दो के पास एंक जवां गर्भवती मादा सौदौलेशाह की चुहिया थी जिसका सिर घुटा हुआ छोटा सिर,बड़ी-बड़ी वीरान आंखे, कानों में बड़े-बड़े बाल और उसको चलाने के लिए वे दोनों मर्द उसके पांव पर डण्डे मारते थे जैसे पुलिस बेड़ियां पहने हुए कैदियो के पांव पर ड़ण्ड़े मार कर चलाती है। जिस ड़िब्बे में वे उस चुहिया को लेकर सवार हुए मैं भी उसी डिब्बे में सवार हो गया। उस समय मेरी उम्र कम थी मगर सोचने की शक्ति पूरी थी। मै उस बेबस,मजबूर गर्भवती महिला की ओर देख रहा था जो अपनी बड़ी-बड़ी वीरान आंखो से खुद को और दुनियां को समझने की कोशिश कर रही थी। मै सोच रहा था जिन मस्टण्ड़ों ने इसको गर्भवती बनाया है जो स्त्री अपना बच्चों संभालने में असमर्थ है जिसे अपनी भी होश नहीं वह बच्चे को क्या संभालेगी? क्या ऐसे जालिमों के लिए कहीं कोई सजा नहीं। क्यों कानून आंखे मूंद कर सोया रहता है। जुल्म अपना काम करता रहता है। किसी को भी ऐसी दरिन्दगी पर गुस्सा क्यों नही आता? वक्त की सरकारें ऐसे अन्ध-विश्वास को पनपने देती हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि दुनिया के बुद्विजीवियों उठो, जागो ओर उन जंजीरो को तोड़ ड़ालो जिनमें बधें हुए बेबस लोग जिन्दगी काटते रहतें है। परिवर्तन के लिए सगंठित सघर्ष की अति आवश्यकता है।

अंतर्जातीय विवाह जातीय तनाव को कम कर सकते हैं

-भारत का सर्वोच्च न्यायालय

-मुनेश त्यागी

3 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है की अंतर्जातीय विवाह जाति और सांप्रदायिक तनाव को संभवतः कम कर सकेंगे। न्यायालय ने नोट किया कि शिक्षित नौजवान लड़के और लड़कियां आजकल अपना जीवनसाथी चुन रहे हैं जो पूर्व के सामाजिक संबंधों से भिन्न है और उनमें एक विचलन है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नौजवान अपने बड़ों से धमकियों का सामना करते हैं और न्यायालय इन नौजवानों की सहायता को आगे आ रहे हैं। उसने कहा कि अब पुलिस अधिकारियों को अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफीसर को समझाना चाहिए और ऐसे दिशा निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने चाहिए कि इस प्रकार के सामाजिक रूप से संवेदनशील वादों से कैसे निपटें।

इस मामले में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय ने लड़की के माता-पिता द्वारा दर्ज की गई पि.त. को खत्म कर करते समय यह बात कही। इस केस में लड़की ने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से कर्नाटक के जिला बेलगवाई में शादी कर ली थी। अपने हाल के निर्णय में कोर्ट ने आशा व्यक्त की थी कि लड़की के माता-पिता विवाह को स्वीकार करेंगे और लड़के और लड़की से सामाजिक संबंध स्थापित करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारी राय में आगे का केवल यही रास्ता है जाति और समाज के प्रभाव में अपनी बच्ची और दामाद को अलग-थलग करना कोई स्थित सामाजिक कार्यवाही नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आजकल शिक्षित लड़के और लड़कियां अपने जीवनसाथी चुन रहे हैं जो समाज की पुरानी प्रथाओं के विपरीत हैं जहां जाति और समुदाय मुख्य भूमिका निभाते हैं।संभवत आगे का केवल ही रहता है जो जाति और सामाजिक तनाव को कम करेगा। यही उचित समय है,जब न्यायालय इन नौजवानों की रात को आगे आ रहे हैं।

न्यायालय ने अपने निर्णयों की नजीर देते हुए कहा कि यह निर्णित हो चुका है कि जब दो व्यस्क व्यक्ति विवाह बंधन के लिए तैयार हो जाते हैं तो परिवार, समुदाय या जाति की सहमति जरूरी नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने आगे कहा कि 2017 के निर्णय में यह कहा जा चुका है कि यह व्यक्ति की इच्छा के सम्मान का अभिन्न हिस्सा है क्योंकि जहां इच्छा का क्षरण होता है वहां सम्मान के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।

हादिया केस 2018 के निर्णय का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी इच्छा के व्यक्ति से शादी करना संविधान की धारा 21 का अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह की बातें सर्वोच्च न्यायालय ने लता सिंह बनाम स्टेट के मामले में कही थीं कि अंतर धार्मिक और अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़कियां हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं और यही जाति और धर्म की दीवारों को गिरा सकते हैं और और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को हमारा यह स्टैंडिंग आर्डर है कि ऐसे जोड़ों की हिफाजत की जाए जिन्हें शादी के बाद अपने मां-बाप से, परिवारजनों से या जाति के लोगों से अपनी जान माल का खतरा है।

इस प्रकार हम लगातार देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है और कई हाईकोर्ट लड़के और लड़की के आपसी सहमति से विवाह करने के निर्णय की रक्षा करने के लिए आगे आ रहे हैं और इसे उचित ठहरा रहे हैं। यह सभी न्यायालयों का स्वागत योग्य फैसला है। हम इसकी तहे दिल से प्रशंसा करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं।

<u>भारत के प्रख्याल नास्तिक</u>

शिबनरायन रे

डॉ॰रणजीत

बंगाल के प्रसिद्ध विचारक, शिक्षाविद्, दार्शनिक व 20 सदी भारत के साहित्यिक समालोचक व उग्र मानववादी और मार्क्सवादी क्रांतिकारी तथा मानवेन्द्र नाथ रॉय पर कई पुस्तकें लिखने वाले शिबनरायन रे के बारे में एक बाद बर्ट्रेंड रसेल ने टिप्पणी की थी कि उनका दृष्टिकोण दुनिया के किसी भी समकालीन लेखक के दृष्टिकोण से ज्यादा तर्कपूर्ण है।

रे का जन्म 20 जनवरी, 1921 ई. को कोलकाता में पिता, प्रो, उपेन्द नाथ विद्याभूषण शास्त्री व मां, कवयित्री राजकुमारी रॉय से हुआ था। उनके पिता ने स्वयं संस्कृत और अंग्रेजी में 50 पुस्तकें लिखी थीं। मां भी पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर लिखा करती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि शिबनरायन ने 20 वर्ष का होने से पहले ही लिखना प्रारम्भ कर दिया था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा व साहित्य में बी०ए. पास किया और सिद्धि कॉलेज, कोलकाता में प्रवक्ता नियुक्त हो गये, जहां वे 15 सालों तक इस पद पर रहे। इसी बीच उन्होंने गीता रे से शादी कर ली। बाद में वे मेलबर्न विश्विद्यालय में भारतीय अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष हो गये। उसके बाद वे लन्दन विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय तथा फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीट्जर्लैंड, हंगरी, फ्रैंकफर्ट तथा स्टैनफर्ड के विश्विद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। वे विश्वभारती विश्विद्यालय में रवीन्द्र भवन के निर्देशक (1981-1983) भी रहे। बाद में वे इंडियन रिनेंसां इन्स्टीट्यूट (1960-1969) के कार्यकारी सचिव भी रहे। उनका देहांत फरवरी 26, 2008 को शांति निकेतन में हुआ। जैसा कि उनकी इच्छा थी, उनका मृत शरीर छात्रों के अध्ययन के लिए मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया।

रे युवा अवस्था में ही साम्यवाद से प्रभावित हो गये थे। रूस में स्टालिन साम्यवादी सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध होकर रे ने अपने विचारों में परिवर्तन किया और इन्हीं परिवर्तित विचारों को बाद में उग्र मानववाद का नाम दिया गया। इस रेडिकल मानववाद के मूल विचारक ॲम.ऍन.रॉय थे और वे अपने इन विचारों पर शिबेनरायन सहित कई कामरेडों से विचार-विमर्श किया करते थे। बाद में सन् 1948 ई. में ॲम.ॲन. रॉय ने अपना मानववादी आन्दोलन प्रारम्भ किया तो शिबनरायन उनके साथ थे। उग्र मानववादियों का कहना था कि धर्म और पार्टीबन्दी तथा अंधविश्वास और ईश्वरवाद मनुष्य की तर्कबुद्धि को गुलाम बनाकर उसकी स्वतंत्र और स्वाभाविक-चिन्तन शक्ति को बाधित करते हैं। फिर वह अपने आचरण में भी गुलाम बन जाता है। अतः उग्र मानववादी मनुष्य को किसी एक धर्म, किसी एक विचारधारा, किसी एक राजनीति, किसी एक ईश्वर व किसी भी विश्वास मात्र से बंधने से रोकना चाहते थे। वे साम्यवाद के विरुद्ध नहीं थे पर आदमी को उसका गुलाम बनते भी नहीं देखना चाहते थे। इस दिशा में शिबनरायन का लेखन विश्व स्तर का माना जाता है।

सन् 1980 ई. में मेलबर्न में रहते हुए शिबनरायन रे ने कोलकाता से बंगला भाषा में एक पत्रिका निकालनी प्रारम्भ की जिसका नाम था 'जिज्ञासा'। पत्रिका शीघ्र ही साहित्य, इतिहास, संस्कृति और दर्शन का मुखपत्र बन गई और बंगाल भर में बुद्धिजीवियों द्वारा पढ़ी जाने लगी। शिबनरायन ने ॲम.ॲन.रॉय के साहित्य को चार पुस्तक खण्डों में प्रकाशित किया है। मृत्यु के समय वे ॲम.ॲन.रॉय की जीवन लिख रहे थे।

रे ने अपने जीवन के प्रारम्भ में कविताएं भी लिखी थीं जो कविता-संग्रह के रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके कुल प्रकाशनों की संख्या 50 से अधिक है।

प्रमुख प्रकाशन निम्न हैः

शेष पृष्ठ 36 पर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भाषा का सवाल

-बूटा सिंह सिरसा

शिक्षा और भाषा का आपस में बहुत गहरा संबंध है क्योंकि सारी शिक्षा भाषा के माध्यम से ही दी जाती है। भाषा के माध्यम शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ अन्य भाषाएं सीखना भी शिक्षा का हिस्सा होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व भाषा का सवाल विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले जरुरी है कि भाषा के बारे में भी चर्चा करें।

भाषा क्या है: हमारे में से ज्यादातर लोग भाषा को संप्रेषण का साधन मानने के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं (बल्कि उनको कर दिया गया है) इसलिए हम सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने के रूप में भाषा की उपयोगिता को अक्सर भूल जाते हैं। भाषा के उपयोग का यह बड़ा दायरा उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं। शिशु के व्यक्तित्व और उसकी क्षमताओं के विकास को आकार देने में भाषा विशेष भूमिका निभाती है। एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह भाषा संसार के प्रत्येक बच्चे के दृष्टिकोण उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहां तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को भी आकार देती है। दुनिया का हर बच्चा चाहे उसकी मातृभाषा कोई भी हो भाषा का इस्तेमाल कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है। एक बड़ा उद्देश्य है दुनिया को समझना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाषा एक बढिया औजार का काम देती है। (प्रो. कृष्ण कुमार की पुस्तक 'बच्चे की भाषा और शिक्षक' से)

शिक्षा नीति 2020 एवं भाषा : NEP 2020 एवं भाषा संबंधी चर्चा 4.11 से लेकर 4.22 तक में पृष्ठ संख्या 19 से 22 तक की गई है। इसके मुख्य पांच पहलू हैं । हम इनका विश्लेषण करेंगे।

1. 3 वर्ष की आयु से ही त्रिभाषा फार्मूला:

जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है। फाउन्डेशनल स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिए जाएंगे। (4.12) शिक्षा नीति में यद्यपि किसी अनुसंधान का कोई हवाला नहीं दिया गया है । दुनिया के विकसित देशों में औपचारिक शिक्षा 5 से लेकर 7 वर्ष की आयु से शुरू होती है। स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त फिनलैंड में 7 वर्ष से औपचारिक स्कूली शिक्षा आरम्भ होती है। शुरुआती प्राइमरी शिक्षा सिर्फ मातृभाषा में ही देनी चाहिए। तीन भाषाएँ थोपने से बच्चे किसी भी भाषा में सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा:- यह शिक्षा नीति मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई के महत्व को मान्यता देते हुए बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करती है परंतु लागू करते समय बात कुछ और ही है। NEP को कैबिनेट द्वारा पास किये जाने के बाद से सोशल मीडिया पर यह बात वायरल की गयी कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होगी! अध्यापक साथियों ने भी इस पर खूब तालियां बजाई 'जहाँ भी संभव हो शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा 'मातृभाषा' स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद घर की भाषा, स्थानीय भाषा को यहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा (4.11)। पहली बात यह कि मातृभाषा सिर्फ पांचवी तक ही शिक्षा का माध्यम क्यों हो बल्कि सारी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए । दूसरी बात भारत में पहले ही 10वीं 12वीं व उच्च कक्षाओं तक की पढ़ाई मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं में होती है। उदाहरण के लिए पंजाब में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई पंजाबी भाषा में की जा सकती है। यह अलग मुद्दा है कि प्रत्येक राज्य में मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को दरकिनार करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसलिए

यह शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बजाय कम कर रही है। पांचवी कक्षा तक ! तीसरी बात 'जहाँ तक संभव हो' की शर्त लगा कर इस को बिल्कुल खोखला कर दिया गया है। 'जहां तक संभव हो' शर्त की आड़ में निजी विद्यालयों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है कि चाहे वे क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा को विषय के तौर पर भी न पढाएं। वर्तमान में भी बहुत सारे निजी स्कूल ऐसे हैं यहां मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा बोलने पर भी जुर्माना लगाया जाता है तथा मातृभाषा के प्रति बच्चों में हीन भावना पैदा की जाती है। यह एक प्रकार से बच्चों को बौद्धिक तौर पर अपाहिज बना देने का ही कार्य है।

3. छठी से आठवीं तक भारतीय भाषाओं का मजेदार 'फन' कोर्स :-'इस प्रोजेक्ट गतिविधि में छात्र अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाऔं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, जिसके तहत उनके सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाऔं से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्‌भव को ढूँढने से लेकर इन भाषा के समृद्ध अंतर-प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल है।'

'4.16' यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि संस्कृत के साथ दूसरी शास्त्रीय भाषाऔं का जिक्र उनके नाम की जगह सिर्फ 'और शास्त्रीय भाषाएं' कह कर क्यों किया गया है। यह मजेदार प्रोजेक्ट भी एक प्रकार से बच्चे पर बोझ ही है। इसका उद्देश्य कि भाषाओं की आपसी साँझ से ही राष्ट्रीय अखंडता की भावना पैदा की जा सकती है लेकिन असल उद्देश्य 'एक देश एक भाषा' के नाम पर हिंदी संस्कृत को थोपना ही है। हमारे देश की एकता अखंडता का मुख्य आधार ही विविधता में एकता है। कितनी सारी भाषाएं बोलियां देश में बोली जाती हैं । सभी भाषाओं बोलियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छठी से बारहवीं कक्षा के दौरान भारत की किसी शास्त्रीय भाषा की 2 साल की पढ़ाई :-'सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के पास भारत की क्षेत्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा।

(4.16) भारत में छः भाषाऔं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है संस्कृत, तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। दक्षिण भारत में लोगों के अंदर एक हद तक अपनी भाषा के प्रति चेतना होने के कारण वहां पर इस 2 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा में संस्कृत पढाए जाने की संभावना कम है परंतु उत्तरी भारत में इसका मतलब सिर्फ संस्कृत ही होगा। यह किसी विशेष भाषा को थोपने का ही मामला है।

5. **संस्कृत भाषा त्रिभाषा फार्मूले की एक भाषा** :- संस्कृत, संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी, इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लेटर और गरीब साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी की बराबरी नहीं कर सकता । संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ (जिन्हें 'संस्कृत ज्ञान प्रणालियो' के रूप में जाना जाता है) के विशाल खजाने हैं इन सब को विभिन्न धर्मो के लोगों के साथ-साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षो में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ, स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा।'

(4.17) हमारे देश के संविधान की आठवीं अनुसूची में भी बाईस भाषाओं को मान्यता दी गई है स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक संस्कृत को अलग एक विषय के रूप में पढ़ाना, यह विशेष विषय सिर्फ संस्कृत ही क्यों? कोई भी अन्य भाषा क्यों नहीं? यानि कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भी एच्छिक विषय संस्कृत ही होगा ! यह तर्क दिया गया है कि संस्कृत में ज्ञान-विज्ञान और कला साहित्य की समृद्ध पुरातन परंपरा है। जबकि यह परम्पराएँ संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी है। पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं में ज्ञान का अपना खजाना है। तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं का अपना साहित्यिक भंडार है।

नई शिक्षा नीति में पंजाबी व उर्दू भाषा का कहीं जिक्र तक नहीं है।

इन पहलुओं का विश्लेष्ण करने से यह बात सामने आती है कि शिक्षा नीति 2020 मातृभाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओँ को दरकिनार करके हिंदी संस्कृत थोपने की वकालत करती है। एक तरफ भारतीय भाषाओं विशेषकर संस्कृत की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है लेकिन शिक्षा नीति का ड्राफ्ट व शिक्षा नीति सिर्फ 2 भाषाओं (हिंदी व अंग्रेजी) में ही छापी गई । होना तो यह चाहिए था कि शिक्षा नीति का ड्राफ्ट व शिक्षा नीति संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में छापी जाती ताकि देश में सभी भाषाएँ बोलने, पढ़ने वाले शिक्षा नीति का अध्ययन कर पाते।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो :-

संसार के सभी भाषा विज्ञानी व शिक्षा शास्त्री मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश करते हैं क्योंकि मातृभाषा में ही प्रत्येक इंसान सबसे बढ़िया सोच, समझ, सीख बोल एवं स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरी भाषा सीखने के लिए पहले अपनी मातृभाषा सीखनी जरूरी है। अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही दूसरी भाषा सीखी जा सकती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था इसके बिल्कुल उलट है अन्य भाषाओं विशेष तौर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय भाषाओं को वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, पर पिछले कोई 30 वर्षो से भारतीय भाषाओं की दुर्गति की गति और भी तीव्र हो गई है और अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषाओं को विस्थापित किए जा रही है विशेष तौर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में इसका मूल कारण तो निहित स्वार्थ ही हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम क्यों हो इसके बारे में **विभिन्न खोज अध्ययनों के कुछ निष्कर्षः**

यूनेस्को के अनुसार 'यह स्वतः सिद्ध है कि बच्चे के लिए शिक्षा का सबसे बढ़िया माध्यम उसकी मातृभाषा है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह सार्थक चिन्हों की ऐसी प्रणाली है जो अभिव्यक्ति और समझ के लिए उसके दिमाग में स्वयंचालक रूप में काम करती है। सामाजिक आधार पर जिस जन समूह के सदस्यों से उसका सम्बन्ध होता है। उसके साथ एकात्मक होने का साधन है, शैक्षिक आधार पर वह मात्र भाषा के माध्यम से एक अनजाने माध्यम की अपेक्षा तेजी से सीखता है। 'यूनेस्को, 1953:11' इसी तरह यूनेस्को ने 1968 में अपनी पुस्तक में फिर दोहराया कि 'शिक्षा के लिए मातृभाषा का प्रयोग जितनी दूर तक संभव हो किया जाना चाहिए'

ब्रिटिश काऊंसिल IELTS करवाने वाली संस्था ने अपने अध्ययन में लिखा है कि 'बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए' दक्षिणी एशिया के देशों (विशेषकर भारत) की अंग्रेजी इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं है ' स्कूल स्तर की पढ़ाई में विश्व के पहले 10 देशों में प्रथम 8 देशों में स्कूली शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त फिनलैंड में भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग अपनी भाषा में प्रशासकीय सेवाओं की मांग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा

केन्या के साहित्यकार न्गुगी वा थिओंगो लिखते हैं कि 'यदि किसी से उसकी भाषा छीन ली जाए तो वह मानसिक रूप से हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। यह काम बंदूक की गोली नहीं कर सकती। भाषा किसी भी संस्कृति की वाहक होती है और हमारी संस्कृति ही उन नैतिक मूल्यों का आधार होती है जिनके सहारे हम दुनिया में अपना स्थान बनाते हैं।'

हमारे देश में सरकारों द्वारा आम जनता के मन में एक प्रकार से यह गलत धारणा बैठा दी गई है कि अंग्रेजी माध्यम से ही अच्छी शिक्षा संभव है। लेकिन पूरी दुनिया के निष्कर्ष व अनुभव इसके बिल्कुल उलट हैं। इसी गलत धारणा का सबसे ज्यादा लाभ बाजार ने उठाया है। शिक्षा को पूरी तरह से बाजार की वस्तु बना दिया गया व अंग्रेजी माध्यम के नाम से निजी पब्लिक स्कूल खुले। अब राज्य सरकारें ही पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों को भी अंग्रेजी माध्यम के नाम पर अभिभावकों से फीस वसूलने के फैसले लागू कर रही हैं। जैसे कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने चौदह सौ से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल संस्कृति स्कूलों के नाम

शेष पृष्ठ 33 पर

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और हिंदू धर्म विरोध

-डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकताओं को हताश करने तथा उनके बारे में जान-बूझकर दुष्प्रचार करने के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह हिंदू धर्म का विरोध क्यों करती है। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अंधविश्वासों के खिलाफ सक्रिय विवेकवादी आंदोलन के संदर्भ में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। इसका मतलब है, समिति के कार्य में प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से धर्म की चिकित्सा होती है। जिन लोगों को धर्म के आधार पर अपना काम पूरा करना है, उन लोगों को तो 'सच्चे धर्म को मान लेना चाहिए' का आग्रह करने वालों को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोकमानस को चौकन्ना कर देने वाले कार्य से डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि ऐसा सतग लोमानस भविष्य में धर्म के संदर्भ में भी चौकन्ना रहेगा। इसीलिए समिति के कार्य के बारे में जान-बूझकर दुष्प्रचार करने के लिए ऐसा प्रचार किया जाता है कि 'समिति केवल हिंदू धर्म के विरोधी है'। इस संदर्भ में सच्चाई यह हैः

1. अधंविश्वास श्रद्धा के क्षेत्र का काला बाजार हैं काले धंधे करने वाले लोगों को धर्म देखने की जरूरत नहीं होती। समिति उसे कभी देखती भी नहीं हैं अंधविश्वास को बढ़ानेवाले और शोषण करने वाले ढकोसलों एवं कर्मकांडों का विरोध समिति समय-समय पर करती आई हैं समिति ने मुस्लिम धम्र के ढकोसलों के विरोध में जो संघर्ष किया, उसके ब्योरे समिति की विगत बीस वर्षो की पत्रिकाओं में दर्ज हैं प्रार्थना के कारण अंधे लोग देख सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं और पंगु चल सकते हैं। ऐसा दावा ईसाई धर्मोपदेशकों ने किया था, जिसका समिति ने विरोध किया है। जैन धर्म के खर्चीले और निरर्थक कर्मकांड स्वयं को बौद्धधर्मीय कहते हुए गांव के मंदिरों पर सिर टकराने की फलटण (महाराष्ट्र) की रूढ़ि के विरुद्ध समिति ने संघर्ष किया है। इन बातों की कोई भी जांच कर सकता है।

2. समिति अधंविश्वास के जितने मामलों की पड़ताल या विरोध करती है, उनमें बहुसंख्य मामले हिंदू के होते हैं। यह वस्तुस्थिति है। इसका कारण यह है कि भारत के 82 प्रतिशत लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। दूसरे शब्दों में, समिति की ओर से जांच पड़ताल करने के लिए लिये गए मामलों में 82 प्रतिशत मामले हिंदुओं के ही हैं। इसीलिए वे ज्यादा नज़र आते हैं।

3. समाज में आज भी एक धर्म में मौजूद अंधविश्वास के बारे में दूसरे धर्म के लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। एक जाति के अंधविश्वास के बारे में दूसरी जाति के लोग कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने पर हो-हल्ला होता है। ब्राह्मणों के उपनयन-संस्कार, कमराठा जाति में विधवा पुनर्विववाह पर पाबंदी, गड़रिया समाज के मेंले में होने वाली पशुहत्या के बारे में हिंदू धर्म के ही अन्य किसी सदस्य ने कुछ सुझाया तो उसे केवल नाराजगी नहीं बल्कि सामूहिक क्रोध का सामना करना पड़ता है। समाज में अगर 82 प्रतिशत हिंदू हैं तो 'अनिस' के हिंदू कार्यकर्ता भी उतनी ही मात्रा में हैं। स्वाभाविक रूप से इन कार्यकर्ताओं के मुस्लिम अंधविश्वासों के बारे में बोले गए कटु वचन सहे नहीं जाते।

4. हिंदू धर्म में जितनी विस्तृत जाति-व्यवस्था है उतनी अन्य किसी धर्म में नहीं। हिंदू धर्म में साढ़े छह हजार जातियां हैं इसीलिए इस धर्म की महत्वपूर्ण इकाई जाति हैं प्रत्येक जात के अलग-अलग कर्मकांड हें, रूढ़ियां और परंपराराएं हैं। उनका प्राचीन रूप शायद उचित हो लेकिन आज वह केवल अंधविश्वास बनकर रह गया हैं हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म हैं उसका एक ही धर्मग्रंथ नहीं बल्कि अनेक हैं। उसमें बहुदेववाद है। इसकी अपेक्षा ईसाई धर्म केवल 2000 वर्ष पुराना है, उसका धर्म ग्रंथ एक ही है। मुसलमान धर्म की आयु केवल 1400 वर्ष की हैं वे भी एक ही अल्लाह को मानते हैं। उनका धर्म ग्रंथ भी एक ही हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि परंपरा से

आए हिंदू धर्म में अंधविश्वासों को पनपने के लिए पर्याप्त समय था।

5. एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए कि हिंदू धर्म की यात्रा में अंधविश्वासों की कठोर जांच-पड़ताल करने वाले समाजसुधारक भी पैदा हुए। साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई चार्वाक और लोकायत की परंपरा इस बात का प्रमाण है। माहत्मा फुल, राजऋषि शाहू महाराज लोकहितवादी आगरकर, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, सावरकर, प्रबोधकार ठाकरी, गाडगेबाबा जैसे अनेक समाजसेवकों की बड़ी सूची हिंदू धर्म में नज़र आती है। वारस्तव में इन महामानवों की इनसानियत की सीख किसी विशेष धर्म के लिए नहीं थीं लेकिन परिस्थिति की अनिवार्यता में वह हिंदू धर्म की बन गई। जिन्हें हिंदू हृदयसम्राट माना जाता है, ऐसे स्वतंत्रय वीर सावरकर ने धर्मग्रथिों की कठोर छानबीन की है। उनके स्पष्टीकरण को देखने पर यह पता चलता है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन की बहुत बड़ी परंपरा हिंदू धर्म के लिए समजासेवकों ने ही दी है। हिंदू-धर्म के सुधारवादी संप्रदायों ने, जैसे-प्रार्थना समाज ने माना है कि ईश्वर एक है, उसे किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है अथवा किसी ग्रंथ या किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है।

6. सभी ग्रंथों के बारे में सावरकर का मत इस प्रकार है-'जिस मनुष्य को धर्म का केवल 'दूरध्वनि-यंत्र' या भोंपू नहीं बनाना है, मनुष्य के रूप में उसे स्वयं का बुद्धिनिष्ठ मत चाहिए तो उसे शब्दनिष्ठा का उन्मूलन का वेद, अवेस्ता, बाइबल और कुरान जैसे सभी प्रतिष्ठित ग्रंथों को मानवरचित मानना होगा और ऐसे ठोस विचारों को सामाजिक बनाना होगा।...चार सदियों पूर्व यूरोप धर्म की अपरिवर्तनीय सत्ता का ऐसा ही गुलाम बन गया था, लेकिन उसने बाइबल को दूर हटाकर विज्ञान का हाथ पकड़ लिया। श्रुति-स्मृति पुराण्धों की बेड़ियां तोड़कर आधुनिक बन गया, अप-टू-डेट बन गया और विगत चार सौ वर्षो में हमारे चार हजार वर्ष आगे निकल गया। त्रिखंड-विजयी बन गया। हमारे राष्ट्र को अगर ऐसा बनना है तो पुराने ग्रंथों को बंद कर प्राचीन श्रुति-यसमृति पुराणों का शासन लपेटकर रखना होगा अथवा केवल ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में संग्रहालयों में सम्मान से उन्हें रखकर विज्ञानयुग का पन्ना पलटना होगा। उन ग्रंथों का महत्त्व केवल 'कल क्या हुआ था ?' प्रश्न के उत्तर तक ही सीमित रखना होगा। आज क्या उचित है, यह सप्रमाण बताने के अधिकार प्रायोगिक विज्ञान का है। आधुनिकता में अतीत के अनुभवों का सार तो कहीं न कहीं होता ही है लेकिन श्रुति-स्मृति पुराणोक्तियों में आधुनिक ज्ञान कतई नहीं होता। इसीलिए अप-टू-डेट बनने में अक्लमंदी है। आज के बाद अच्छा-बुरा, उचित-अनुचित का शांकाओं के उत्तर प्रत्यक्षतः एक ही कसौटी पर परखने होंगे। उसे शास्त्र का आधार है या नहीं, ऐसे प्रश्न की अब नौबत ही न आएगी।

7. भारत में और महाराष्ट्र में हिंदू के नाम पर अपनी स्वार्थी राजनीति चलाने वाली कुछ धार्मिक शक्तियां मौजूद हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे हिंदू-कल्याण के ठेकेदार हैं। हिंदुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस धर्म में कौन से सुधार आवश्यक हैं अथवा नेहीं, यह केवल उनके मतानुसार ही तय होना चाहिए।

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक प्रगतिवादी संगठन है। प्रगतिवादी कार्यकार्ता स्वयं कभी भी जाति और धर्म के लेबल लगाकर नहीं घूमते। धर्म के बारे में बातें नहीं करते। धर्म को वे नजरअंदाज करते हैं, जिसका गलत लाभ धर्मरक्षण के नाम पर चलने वाले हिंदू संगठन उठाते हैं और उपदेश देने लगते हैं, बल्कि उन उपदेशों के पालन को अनिवार्य बतलाते हैं। वे धर्म के स्वयंघोषित रक्षक होते हैं। ऐसी तानाशाही को समिति ठुकराती है। इसका कारण यह है कि स्वयं की धर्मरक्षक मानने वाले ये लोग उदात्त, नैतिक हिंदू धर्म के नुमाइंदे कभी नहीं थे और रहेंगे भी नहीं। दूसरी बात, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बहुसंख्यक कार्यकर्ताओं ने हिंदू माता-पिता कोख से जन्म लिया है, और उन्होंने धर्म नहीं बदला है। इसलिए वे हिंदू ही हैं और यही यर्थाथ है। इसीलिए हिंदू धर्म की अंधश्रद्धाओं के बारे में बोलने का उन्हें पूरा अधिकर है। वह कथित हिदुत्ववादियों को देने का कोई मतलब नहीं है।

8. पल भर के लिए मान लिया जाए कि अंधश्रद्धा

निर्मूलन का जो काम समिति करती है, वह हिंदुओं के लिए ही है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह काम अच्छा है या बुरा? उचित है या अनुचित? सामाज के हित के लिए है या उसके नुकसान के लिए? समिति के अनुसार यह कार्य केवल उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। मजे की बात यह है कि हिंदुत्ववादी लोग भी ऐसा ही कहते हैं और वे ही पूछते हैं कि कार्य केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों करते हैं? उनके मन की उधेड़बुन ऐसे समय स्पष्ट नज़र आती है। अंधविश्वास घर का कूड़ा-करकट है। पल भर को मान लें कि हमारा देश 10 कमरों का एक घर है। स्वाभाविक रूप से 82 प्रतिशत जनसंख्या वाले धर्म के पास 8 कमरे होने चाहिए। तकरीबन 12-13 प्रतिशत जनसंख्या वाले मुस्लिम धर्म के पास 10 में से 1 ही कमरा होना चाहिए। शेष एक कमरा अन्य धर्म के लिए खुला होगा। अब सोचिए, समिति जान हथेली पर रखकर 10 कमरे वाले अहाते के 8 कमरे अगर साफ करती है तो बहुसंख्य कमरे अर्थात् कुल अहाते से ही कूड़ा-करकट बाहर निकलेगा। ऐसे समय अगर कोई यह धमकी देता है कि 9वें कमरे से पहले 8 कमरों की सफाई का काम हाथ में लिया तो खबरदार, यह समझना कठिन नहीं है कि वह अड़ियल भूमिका पर उतर आया है या वह पागलपन है या फिर वह नहीं चाहता कि 8 कमरों में रहने वाले लोगों को कूड़े-करकट से, गंदगी से मुक्ति मिले और उनका जीवन सुंदर हो। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कार्य निश्चत ही हिंदुओं के हित में जाता है और उसक विरोध करना समाज के दुश्मन का ही काम हो सकसता है। उपर्युक्त दलीलें देने में एक गलत धारणा छिपी होती है कि अंधविश्वास नष्ट होने पर हिंदू कायर बन जाएंगे और अंधविश्वासी मुसलमान कट्टर और ताकतवर बन जाएंगे। ऐसा होने पर कट्टर मुसलमान कायर हिंदुओं पर जीत हासिल कर लेंगे। वर्तमान आधुनिक युग में जनतांत्रिक जमाने में इतनी भ्रामक और घटिया दलीलें देने वालों पर सचमुच तरसा आता है।

-साभारः डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर की पुस्तक 'अधविश्वास उन्मूलन विचार' में से।

पृष्ठ 31 का शेष (राष्ट्रीय शिक्षा नीति)

पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिया। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इन स्कूलों में दाखिला फीस व मासिक फीस लेने का फैसला लागू कर दिया।

इसी प्रकार 2013 से नौवीं से बारहवीं कक्षा में व्यवसायिक शिक्षा के नाम पर एन.एस.क्यू. एफ. स्कीम के अन्तर्गत वोकेशनल विषय लागू करके उन विषयों को भाषा का विकल्प बना दिया गया। जिससे हरियाणा में नौवीं से बारहवीं में संस्कृत, पंजाबी व उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में बहुत भारी कमी आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायिक विषयों को छठी कक्षा से ही लागू करने की बात कही गयी है। व्यवसायिक शिक्षा जो कि कौशल विकास के नाम से लागू की जा रही है एक प्रकार से बच्चे से उसकी भाषा छीनने का ही काम करेगी। भाषा छीन लेने का मतलब है बच्चे से उसके सपने, उसकी संवेदना, उसकी सृजनात्मकता छीन लेना। इन सब के बिना वह एक मशीन ही तो होगा!

अंग्रेजी माध्यम का सवाल अध्यापक वर्ग के लिए भी सोचने समझने का सवाल है अध्यापकों, बुद्धिजीवियों का भी एक हिस्सा यह सोचता है कि अंग्रेजी माध्यम शिक्षा ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है जबकि ऐसा नहीं है। अध्यापकों बुद्धिजीवियों की मांग तो यह होनी चाहिए थी कि उच्च शिक्षा व सभी प्रतियोगी परीक्षाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी बाईस भाषाओं में होनी चाहिए ताकि भारतीय भाषाएं भी विकसित हो समृद्ध हों। न कि उसकी बजाय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया जाए। दुनिया की सभी भाषाएँ समृद्ध और परिपूर्ण हैं और उसके बोलने वाले अपनी भाषा में अपने विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी संस्कृति को अपनी अगली पीढ़ी तक ले जा सकते हैं। हम अपनी मातृभाषा के साथ-साथ सभी मातृभाषाओं का सम्मान करते हैं।

(14 मार्च 2021 को हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति एवं अध्यापक संघ द्वारा की गई राज्य स्तरीय कन्वेंशन में दिए गया वक्तव्य।)

विज्ञान की दुनिया का पहला शहीद 'ब्रूनो' था

यह कहानी निकोलस कॉपरनिकस (1473 –1543) से शुरू होती है। वे पोलैंड के रहने वाले थे। गणित व खगोल में इनकी रुचि थी।

खगोल में अब तक हमारे पास टालेमी का दिया हुआ ब्रह्मांडीय मॉडल था। इसके अनुसार पृथ्वी स्थिर थी और केंद्र में थी व सभी अन्य खगोलीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते दर्शाए गए थे। विद्वानों ने इसका समय-समय पर अध्ययन किया था। गणतीय दृष्टि से कुछ दिक्कतें थी जो इस मॉडल से हल नहीं हो रही थी।

कॉपरनिकस का मानना था कि यदि पृथ्वी की बजाए सूर्य को केंद्र में रख लिया जाए तो काफी गणनाए सरल हो सकती हैं। कॉपरनिकस साधु स्वभाव का व्यक्ति था। वह समझता था कि यदि उसने अपना मत स्पष्ट कर दिया तो क्या कुछ हो सकता है। वह चर्च के गुस्से को समझता था, सो उसने चुप रहना उचित समझा। लेकिन उसने अध्ययन जारी रखे। वह बूढ़ा हो गया और उसे अपना अंत निकट लगने लगा। उसने मन बनाया कि वह अपना मत सार्वजनिक करेगा।

उसने यह काम अपने एक शिष्य जॉर्ज जोकिम रेटिकस को सौंप दिया कि वह इन्हें छपवा दे। उसने यह काम अपने एक मित्र आंद्रिया आसियांडर के हवाले कर दिया। इन्होंने कॉपरनिकस की पुस्तक प्रकाशित करवा दी। यह उसी समय प्रकाशित हुई जब कॉपरनिकस मृत्यु शैया पर था। वह इसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकता था। आंद्रिया आसियांडर एक धार्मिक व्यक्ति था। इसका मत कॉपरनिकस के मत से मेल नहीं खाता था। इन्होंने बिना किसी सलाह या इजाज़त के पुस्तक में कुछ फेरबदल किए। उन्होंने पुस्तक की भूमिका में यह लिख दिया कि कॉपरनिकस कि यह सब कल्पना है, यथार्थ अध्ययन नहीं हैं। पुस्तक के नाम में भी कुछ बदलाव किया। प्रकाशित होते ही यह चर्च की निगाह में आई। चर्च नहीं चाहता था कि किसी भी वैकल्पिक विचार की शुरुआत हो। चर्च ने पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी प्रतियां जब्त कर ली। किसी तरह कुछ प्रतियां बच गई। चर्च ने समझा अब बात आगे नहीं बढ़ेगी।

कुछ समय तक सब शांत रहा। एक बार इटली का एक नवयुवक गीयरदानो ब्रूनो (1548 – 1600) चर्च में कुछ पढ़ रहा था, वह पादरी बनना चाहता था। किसी तरह उसके हाथ कॉपरनिकस की पुस्तक लग गई। इन्होंने यह पढी। इनकी इस पुस्तक में दिल दिलचस्पी बढ़ी। इन्होंने सोचा कि क्यों एक व्यक्ति किसी अलग विचार पर बहस करना चाहता है। इन्होंने इस विषय पर आगे अध्ययन करने का मन बनाया। पादरी बनने की उनकी योजना धरी की धरी रह गई। जैसे-जैसे वह अध्ययन करता गया उसका विश्वास मजबूत होता गया। वह भी चर्च की ताकत और गुस्से को समझता था। इसलिए उन्होंने इटली छोड़ दी। वह इस मत के प्रचार के लिए यूरोप के लगभग एक दर्जन देशों (प्राग, पैरिस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि) में घूमा।

चर्च की निगाह हर जगह थी। कुछ विद्वान इसके मत से सहमत होते हुए भी चर्चा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। चर्च की निगाह में ब्रूनो अब भगौड़ा था। वह जितना भी प्रचार करता चर्च की निगाह में उसका जुर्म उतना ही संगीन होता जाता था। वह छिपता तो भी कहां और कब तक? वैचारिक समझौता उसे मंजूर नहीं था। चर्च ने ब्रूनो को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। एक व्यक्ति को तैयार किया गया कि वह ब्रूनो से पढ़ना चाहता है। फीस तय की गई। ब्रूनो ने समझा कि अच्छा है एक शिष्य और तैयार हो रहा है। ब्रूनो इस चाल को समझ नहीं पाया। उसने इसे स्वीकार किया और बताए पते पर जाने को तैयार हो गया। इस प्रकार वह चर्च के जाल में फंस गया। जैसे ही वह पते पर पहुंचा चर्च ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

चर्च ने पहले तो इन्हें बहुत अमानवीय यातनाएं दी। उसे एकदम से मारा नहीं। चर्च ने उसे

मजबूर करना चाहा कि वह अपना मत वापस ले ले और चर्च द्वारा स्थापित विचार को मान ले। ब्रूनो अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। चर्च ने लगातार 6 वर्ष प्रयास किए कि वह बदल जाए। उसे लोहे के संदूक में रखा गया जो सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म हो जाता था। किसी भी तरह की यातनाएं उसके मनोबल को डिगा नहीं पाई। अब तक चर्च को भी पता चल चुका था कि ब्रूनो मानने वाला नहीं है। न्यायालय का ड्रामा रचा गया। चर्च ने सजा सुनाई कि इस व्यक्ति को ऐसे मौत दी जाए कि एक बूंद भी रक्त की न बहे। ब्रूनो ने इस फरमान को सुना और इतना ही कहा- 'आप जो ये मुझे सजा दे रहे हो, शायद मुझसे बहुत डरे हुए हो।'

17 फरवरी सन 1600 को ब्रूनो को रोम के Campo dei Fiori चौक में लाया गया। उसे खंभे से बांध दिया गया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि वह कुछ और न बोल सके। उसे जिंदा जला दिया गया।

इस प्रकार ब्रूनो विज्ञान की दुनिया का पहला शहीद बना।

लोग वर्षो से मान्यताओं, धारणाओं, प्रथाओं और भावनाओं के पीछे इतने पागल हैं कि वे अपने विचारों से अधिक न कुछ सुनना चाहते हैं और न देखना। बदलना व त्यागना तो उससे भी बड़ी चुनौती है। यह जो एक डर बनाया जाता है असल में वो कुछ लोगों के एकाधिकार के छिन जाने के कारण बनाया जाता है, इसलिए वे इस डर को बनाये रखने की हिमायती है, बशर्ते उसके पीछे कितनी ही कल्पनायें क्यों न गढ़नी पड़ जाए।

साभार :- आर. पी. विशाल

Samrat Chandrabhal Maurya नास्तिक

पृष्ठ 28 का शेष

★ प्रेक्षिता (इसका विषय है आधुनिक अंग्रेजी साहित्य
★मौमाची तंत्र
★साहित्य चिंता, 1956
★कोथार-तोमार मन (कविता)
★ॲम.ॲन.रॉय दार्शिनिक-क्रांतिकारी,1959
★नायकेर मृत्यु,1960
★प्रवासेर जर्नल
★रेडिकलिज़्म
★आई हैव सीन बंगाल्स फेस, 1973
★गांधी, इडिया ॲण्ड द वर्ल्ड
★कबिर निर्वासन ओ अनन्य भावना, 1973
★इन क्वेस्ट ऑ फ्रीडम-ए-स्टीह ऑफ द लाइफ-ऍण्ड वर्क्स ऑफ ॲम. ॲन.रॉय
★बिटविन रिनेसां ॲण्ड रिवोल्युशन (लेख)
★फ्राम द ब्रोकेन नेस्ट टु विश्व भारती
★ए न्यू रिनेसां
★स्वदेशी, स्वकाल, व्वजन, 1996
★सेलेक्टेड वर्कस ऑफ ॲम.ॲन.रॉय
★बंगाल रिनेसांः 8 द फसर्ट फेज
★ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनः मेसेज ऑफ रोम्या रोब्लां
★वियतनाम सीन फ्राम ईस्ट ॲण्ड वेस्ट
★इन मैन्स ऑन इमेज (सहलेखिका एलेन रॉय)

कवि एडिथ सिटवेल ने उनकी प्रशंसा में विचार प्रकट किये थेः 'यह मेरी निश्चत् धारणा है कि शिबनरायन रे हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ आलोचकों में से हैं। उनके लिखे पृष्ठों से सर्वथा सौंदय, अर्थ व जीवन के लिए ऊर्जा छलकती रहती है।'

अनमोल वचन

वही आदमी वास्तव में मनुष्य कहा जा सकता है जिसके सामने कोई ऊँचा आदर्श हो, जीवन का ध्येय हो। तब उसका जीवन एकांगी नहीं रहता, तब वह पेट के लिए या मेदे के लिए या शरीर के किसी अंग विशेष के लिए नहीं जीता; उसके जीवन में एक सपूर्णता आने लगती है और उसी से मनुष्य और अनय जीवों के भेद का पता चलता है। इसी में मनुष्य की शक्ति निहित है।

-निकोलाई आस्त्रोवस्की

बाबाओं के काले कारनामें

कथा वाचक ने कुंडली देखने बुलाया नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

युवती ने दर्ज कराया केस, आरोपी आष्टा के पास गांव से गिरफ्तार

भास्कर संवाददाता । इंदौर

ज्योतिष विद्या की आड़ में युवतियों को फंसाने वाले कथावाचक घनश्याम शर्मा को लसूड़िया पुलिस ने शुक्रवार को आष्टा के गांव से गिरफ्तार किया है। इसने लॉकडाउन के पहले युवती को समस्या निवारण के लिए बुलाया। फिर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। उसका निर्वस्त्र फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। शादी का झांसा देकर उसे आष्टा के पास एक गांव ले गया। लॉकडाउन में उसे अपने साथ रखा। इस दौरान युवती ने उसके मोबाइल से सबूत जुटाए और उसकी पेन ड्राइव चुरा ली। आरोपी देवास और उज्जैन में कई धार्मिक संस्थाओं के लिए कथावाचक का काम करता है।

विरोध करने पर नग्न फोटो दिखा किया ब्लैकमेल, तंत्र मंत्र से माता-पिता को माने की धमकी दी।

युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी 2014 में शादी हुई थी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर वह विजय नगर स्थित मायके में रहने लगी। 2019 में सोशल मीडिया के जरिये उसकी मुलाकात पंडित घनश्याम शर्मा से हुई। उसने पति की समस्या बताई तो पंडित घनश्याम ने कष्ट निवारण के लिए पूजा अर्चना करने के कहा। मेघदूत गार्डन के बाहर साईं मंदिर में मुझे कुंडली लेकर आने को कहा। फिर आशाद्वीप अस्पताल के पीछे बुआ के घर ले गया। वहां पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया। बेहोशी में दुष्कर्म किया। जब होश में आई तो लगा कि कुछ गलत हुआ है। मैंने विरोध किया तो मेरे नग्न फोटो पति को भेजने का बोलकर ब्लैकमेल करने लगा। बाद में तंत्र क्रिया के नाम पर माता-पिता को खत्म करने की भी धमकी दी। इसके बाद शादी का झांसा देकर फुडरा गांव ले गया। वहीं मैंने इसके खिलाफ पेन ड्राईव में कई युवतियों से चैटिंग, उन्हें बुलाकर ब्लैकमेल करने और उनके साथ अश्लील फोटों खीचने के सबूत जुटाये। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद इसकी पेन ड्राइव चुराकर पिता के माध्यम से इसके चंगुल से छूटी। शुक्रवार रात पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को आष्टा के गांव में गिरफ्तार कर लिया।

-दैनिक भास्कर उज्जैन - 23-01-2021

वे अंधविश्वासी नहीं

हर दिन शुभ है, इसलिए बिना लगन के ही करते हैं विवाह

सीवान के कुशवाहा समाज की अनोखी परंपरा

सीवान/ बिहार में सीवान के कुशवाहा समाज में शादी के लिए किसी अच्छे मुहर्त या लगन का इंतजार नहीं किया जाता। इस समाज में बिना लगन की शहनाई बजाने के परंपरा है। इसे कुशवाहा लगन का नाम दिया गया हैं। यह पहल समाज में एक नई चेतना को जागृत करती है। समाज के लोगों का तर्क है कि सब दिन ईश्वर के हैं, इसलिए सभी दिन शुभ हैं। जिस तरही जन्म और मृत्यु तय है, उसी तरह रिश्ते भी एक दूसरे से तय हैं।

इस समाज का मानना है कि शादी का संबंध ऊपर से ही लिखकर आता है, जब जिससे संबंध लिखा है वह होकर रहेगा, इसके लिए आडंबर की क्या जरूरत है।

बिना लगन की शहनाई बजाने से सारी चीजें सस्ती ओर सुविधानुसार मिल जाती है। इससे शादी-ब्याह में गैर जरूरी खर्चे से मुक्ति मिलन जाती है। कुशवाहा समाज के मुन्ना वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद महंथ सिंह ने कहा कि मेहनत और परिश्रम कर लोग जीवन यापन करते हैं। सामान्य लगन के दिनों में चीजें महंगी हो जाती हैं। अतिथियों का स्वागत बहुत महंगा पड़ जाता है। समाज के सभी लोग उपस्थित भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह परंपरा कहीं ज्यादा अनुकूल लगती है।

अंधविश्वास के चलते

पति की मौत के बाद छह महीने तक कोने में सिमटे हुए रहने की दर्दनाक प्रथा अब भी जिंदा– कोना प्रथा।

पुरुष पर ऐसी बंदिश नहीं': पत्नी की मौत के बाद पुरुष कुछ भी पहने, चाहे दूसरी शदी रचाए

(आनंद चौधरीः जयपुर)

राजस्थान के सिरोही जालौर जिलों में पति की मौत के बाद महिलाओं को ऐसी ही व्यथा से गुज़रना पड़ता है। इन छह माह में विधवा के बच्चों या परिवार पर बड़ा संकट आ जाए तो भी वह कोने से हिल नहीं सकती। किसी पुरुष की छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए। महिला जब तक उस कोने में रहती है उसे अपने हाथ-पैर सहित शरीर को पूरा ढंककर रखना होगा। इन्हें जिंदगी भर एक ही रंग के कपड़ों में इसी तरह ढककर ही रहना होगा। सूरज उगने से पहले अपने सारे काम निबटाने होंगे। उजाला होने के बाद फिर कोने में सिमटना होगा। बंदिशें उम्र मुताबिक कम ज्यादा होती हैं। जवान पर ज्यादा बंदिशें हैं। दोनों जिलों में ऐसी 20 हजार से ज्यादा विधवाएं हैं।

सिरोही जिले के शभुगढ़ गांव की कालीबाई (बदला हुआ नाम) के पति की डेढ़ माह पहले मौत हो गई। कालीबाई को एक कोना दे दिया गया। उसके तीन बच्चे हैं, जिन्हें बूढ़ी सास संभालती है। घर में और कोई नहीं। काली ही मजदूरी कमाती थी। काली को साढ़े चार माह इसी कोने में में रहना होगां। पूरे जीवन इसी रंग में पूरी तरह ढंक कर।

सवालः

पुरुष प्रधान समाज में ये प्रथा विधवा को दृढ़ संयमशील और शालीन बनाने के लिए शुरू की गई। मगर ये बहुत भयानक सजा है। वैधव्य वो कठिन काल है, जब महिला को सबका साथ और दिलासे की बहुत जरूरत है। उसे अकेला एक कोने मे छोड़ देना कितना सामाजिक और कितना संवेदनशील है ?

सिरोही की 24 साल की रामकली (बदला हुआ नाम) घर के पिछवाड़े में खंडहर बरामदे में ही चटख लाल रंग के कपड़ों में बैठी इस विधवा को एक कोना मिला है.....चार महीने गुजर चुके पति की मौत को, दो महीने और इसी कोने में रहना है। खुला बरामदा कभी तपकर, कभी ओढ़कर कभी भीग कर कभी ठिठुर कर। 5 साल का बच्चा बीमार है। डॉक्टरों ने कैंसर के लक्षण बताए हैं। रामकली 6 माह पूरे होने पर पीहर जाकर आएगी, तभी प्रथा पूरी होगी, तब तक बच्चा भगवान भरोसे है।

कोरोना की महिमा

उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पुजारी चंन्द्र मोहन गुरु की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं मंदिर के दो अन्य पुजारी कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना से बचाव के लिए महाकाल प्रबंध समिति द्वारा महारुद्राभिषेक व महामृत्युंजय जाप करवाया जा रहा है, जो 11 दिनों तक चलेगा। उधर महाकाल मंदिर में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है।

महाकाल मंदिर के पुजारियों में इस समाचार के बाद शोक की लहर छा गई है। अभिषेक के दौरान पुजारियों और पुरोहितों ने चंद्र मोहन गुरु के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा।

साभारः www.matikimahima.in

भूतों का डर दिखाकर महिला से तांत्रिक ने ठगे 55 हजार

कैथलः गांव सिसमौर निवासी एक बीमार महिला को भूत-प्रेतों का डर दिखाकर सेगा निवासी एक तांत्रिक ने 55 हजार रूपये ठग लिए। आरोपी ने उसे जहरीली वस्तु भी खिला दी जिससे उसकी हालत खराब हो गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

गांव सिसमौर निवासी सुमन देवी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2004 में गांव सिसमौर में हुई थी। उस समय से ही उसकी तबियत काफी खराब रहती थी। किसी ने उसे बताया कि गांव सेगा में रामफल गोसाई झाड़ा लगाकर या अन्य तरीके से ठीक कर देता है। उसके बाद वह अपने पति को साथ लेकर करीब 4-5 महीने पहले गांव सेगा में रामफल भगत के पास गई । महिला ने बताया कि आरोपी उसे देखकर कहा कि घोर विपत्ति आई है। एक भूत पीछे लगा हुआ है। इससे छुटकारा पाने के लिए पाठ करवाना होगा। इस काम के लिए आरोपी ने 55 हजार रूपये की मांग की। काफी बीमार होने के कारण उन्होंने मजबूरी में हामी भर दी। उसके बाद वे हरिद्वार चले गए और वहां हवन व अनुष्ठान करवाया। उसके कुछ दिन बात तक वह ठीक रही। लेकिन फिर से वही दिक्कत होने लगी। वह अपने बीमार परिजन के साथ कई बार रामफल भगत के पास इलाज करवाने के लिए गई और हर बार वह पैसे लेता रहा। चार जनवरी को महिला की तबियत फिर खराब होने पर परिजन उसे तांत्रिक के पास ले गए। जहां उसने बतासे में कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया जिससे उसकी तबियत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तितरम थाना एसएचओ दलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की आगामी जांच की जा रही है। कार्रवाई पूरी कर जल्द ही आरोपी को पकड़ा जायेगा।

-अमर उजाला 6-01-2021

जज को ज्योतिषी ने लगाया 8 करोड़ रुपये का चूना

बंगलूरू। हाईकोर्ट की एक रिटायर्ड जज को राज्यपाल बनवाने या बड़ा सरकार काम दिलाने के नाम पर आठ करोड़ रुपये की ठगी करने वाले ज्योतिषी का गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक खुद को ज्योतिषी बताने वाले युवराज रामदास ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इंद्रकाला बीएस को कई बड़े भाजपा नेताओं के संग खिंचवाए गए फोटो दिखा कर वादा किया कि वह उन्हें किसी बड़े पद पर बिठवा देगा। इसके लिए उसने 8.26 करोड़ रुपये ले लिए। जब इंद्रकाला का कोई काम नहीं हुआ, तो उन्होंने ज्योतिषी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

ज्वाइंट कमिश्नर संदीप पाटिल के मुताबिक गिरफ्तार ज्योतिष युवराज रामदास आदतन ही ठग है। दिसंबर 2020 में उसने मुंबई के एक व्यापारी से भी दस करोड़ रुपये ठगे थे। वह अपने आपको भाजपा नेताओं का करीबी बताता है और लोगों को काम करवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लेता है। वो पार्टी-फंड के नाम पर लेता है। कनार्टक के मुख्ययमंत्री कुमार स्वामी को भी करीबी बता कर कई लोगों को ठगा था।

अभिनेत्री राधिका कुमार स्वामी, जिनका पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी के साथ भी जोड़ा था, उनको 1.24 करोड़ रुपए देने के मामले में भी युवराज से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक युवराज के घर से करोड़ों रुपए नकद के चेक और 26 लाख रुपए नकद मिले हैं। जब पूर्व सीएम कुमार स्वामी से राधिका के इस मामले में सवाल पूछा, तो उन्होंने उसे पहचानने से ही इंकार कद दिया। इंद्रकाला ने लालच में आकर युवराज को अपना एक घर बेच कर पहले 3.77 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद कई तरह के लोन लेकर 4.50 करोड़ रुपए उसे और दिए थे। पैसा मिलने के बाद युवराज ने उनसे संपर्क बंद कर दिया।

महाराष्ट्रः देवी देवताओं के नाम से टीवी पर यंत्र-तंत्र बेचने वाले विज्ञापनों पर रोक का आदेश

औरंगाबादः बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने टीवी चैनल और मीडिया में देवी-देवताओं के नाम पर बेचे जा रहे यंत्र-तंत्र की बिक्री के अंधविश्वास फैलाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस प्रकार के यंत्रों का उत्पादन, बिक्री और प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ मानव बलि, अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून के तहत गुनाह दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी 30 दिनों में मांगी है। जस्टिस एमजी शेवालकर और टीवी नलवाडे ने राजेद्र गणपतराव अंभोरे की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि टीवी और मीडिया में धर्म का भय दिखाकर यंत्र-तंत्र बेचे जा रहे हैं। धागा-ताबीज बिकने के विज्ञापन बड़ी संख्या में दिखाकर आम जनता को लूटा जा रहा है। जबकि 2013 के कानून के तहत ऐसे विज्ञापन मीडिया पर प्रसारित करने पर पाबंदी है। याचिकाकर्ता अंभोरे ने सुनवाई के दौरान याचिका वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन समाज हित को देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखी। कोर्ट ने अंधविश्वास फैलाने वाले विज्ञापनों का प्रसार रोकने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से एक सेल का गठन कर एक माह में अधिकारी नियुक्त करने का आदेश भी दिया।

– भास्कर (6-1-2021)

हर साल केवल भारत में 80 लाख टन हार-फूल देश भर की नदियों में फेंके जाते है।

देश भर में फूलों की भारी डिमांड को देखते हुए फूलों की खेती करने वाले किसानों ने बड़े पैमाने पर रासायनिक कीटनाशकों और खादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ये रासायनिक स्प्रे और कीटनाशक जब हमसे होते हुए नदी नालों के पानी में जाकर मिलते हैं, तो साफ पानी को भी जहर जैसा हानिकारक (PH4) स्तर बना देते हैं।

सन 2005 की WHO रिपोर्ट के हिसाब से इन फूलों पर डाले जाने वाले रसायनो में 36ः रसायन इतने खतरनाक हैं कि इनके संपर्क में आने वाले मनुष्यों को खुजली, नजरों की कमजोरी, अस्थमा और यहाँ तक की त्वचा का कैंसर तक हो सकता है। अधिकतर फूलों के खेत में औरतें और छोटे बच्चे काम करते हैं, जो इन रसायनों के प्रभाव से अनभिज्ञ होते हैं।

International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET) के प्रदीप कुमार जी ने Impact of Waste Flower on Environment शीर्षक के अपने शोध में स्पष्ट किया है कि फूलो की खरीदी में कमी लाने की जागरूकता फैलाने वाली एक वेबसाइट Flowerpetal-com अकेले 'वेलेंटाइन डे' पर 100 मिलियन गुलाब के फूलों से 9000 मेट्रिक टन कार्बन-डायऑक्साइड पैदा होती है।

हमारे द्वारा धार्मिक समारोहों में थोड़ी देर की सजावट करने वाले ये फूल सड़ने के साथ वातावरण में भयंकर मीथेन और कार्बनडायक्साइड छोड़ते हैं। आपको यहाँ बता दें कि वैश्विक तापमान को बढ़ाने में मीथेन, कार्बन-डाइऑक्साइड से 72 गुना ज्यादा ताकतवर होती है।

ऐसे रासायनिक तत्व जब पानी में मिलते हैं, तो बड़े पैमाने पर मछलियों, कछुओं और जलीय जीवों की जान ले लेते हैं। सड़कों और कूड़े के ढेर में जब गाय भैंसें इन्हें खाती हैं, तो भयंकर आतों के रोग का शिकार बनती हैं।

बच्चों का कोना

कैसे हमें दिखाई देता

चाचा-चाचा मुझे बता दो
आंखों में होता है क्या ?
कैसे हमें दिखाई देता
होती इसमें कौन क्रिया
चाचा..चाचा...
चाचा बोले रामू बेटे
आंख कैमरा जैसी है
लगा कैमरे में जैसा बस
लैंस यहां भी वैसा है
आंखों में काली पुतली पर
प्रभा-पुंज पड़ता आकर
पुतली के जो बीच छेद से
किरणें घुसती हैं भीतर
पुतली के कुछ ही पीछे
बस लैंस एक रहता उभरा
इसके बिल्कुल ठीक पृष्ठ
रैटिना पर्दे सा ठहरा
चाचा-चाचा फिर समझा दो
आंखों में है होता क्या ?
कैसे हमें दिखाई देता
होती इसमें कौन क्रिया ?
चाचा-चाचा....
पुतली से भीतर सौ किरणें
पलभर में तिर जाती हैं
लैंस सामने इनके पड़ता
किरणें ये जब पड़ती हैं
इसके बीच निकलने से ये
रैटिना पर पड़ती हैं
रैटिना पर आकर किरणें
एक नया प्रतिबिम्ब बनातीं
आकृति में जो छोटा होता
और उल्टा ये बिम्ब उठातीं
रैटिना से सम्बंधित
नाड़ी दिमाग तक जो जाती
वह दिमाग के द्वारा ही तो
आकृति सीधी दिख पाती
आंखों में है होता क्या ?
कैसे हमें दिखाई देता ?
होती इसमें कौन क्रिया ?
चाचा-चाचा समझ गया मैं।

आज़ादी-आज़ादी

पंछी जैसे घूमें,
नील गगन को चूमें,
झूमें पर्वत-वादी-
आज़ादी-आज़ादी!
कल-कल बहता पानी,
मस्त पवन सैलानी,
जैसे एक मुनादी-
आज़ादी-आज़ादी।

कोई ला के मुझे दे

एक छूट्टी वाला दिन
एक अच्छी -सी किताब,
एक मीठा-सा सवाल
एक नन्हा-सा जवाब-
कोई लाके मुझे दे।

(भारत ज्ञान विज्ञान समिति हरियाणा की पुस्तक 'हम भारत के बच्चे' से साभार)

ब्रेन हैमरेज़; ब्रेन स्ट्रोक
मस्तिष्क आघात अर्थात दिमाग की नस का फटना
ठंड के दिनों में सावधानी रखें मस्तिष्क आघात के मरीज को कैसे पहचानें?

एक पार्टी चल रही थी, एक महिला को थोड़ी ठोकर सी लगी और वह गिरते-गिरते संभल गई, मगर उसने अपने आसपास के लोगों को यह कह कर आश्वस्त कर दिया कि -सब कुछ ठीक है, बस नये बूट की वजह से एक ईंट से थोड़ी ठोकर लग गई थी।

यद्यपि आसपास के लोगों ने ऐम्बुलैंस बुलाने की पेशकश भी की..

साथ में खड़े मित्रों ने उन्हें साफ होने में मदद की और एक नई प्लेट भी आ गई! ऐसा लग रहा था कि महिला थोड़ा अपने आप में सहज नहीं है! उस समय तो वह पूरी शाम पार्टी एन्जॉय करती रहीं, पर बाद में उसके पति का लोगों के पास फोन आया कि उसे अस्पताल में ले जाया गया जहाँ उसने उसी शाम दम तोड़ दिया!!

दरअसल उस पार्टी के दौरान महिला को ब्रेन-हैमरेज हुआ था!

अगर वहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई इस अवस्था की पहचान कर पाता तो आज वो महिला हमारे बीच जीवित होती..!!

माना कि ब्रेन-हैमरेज से कुछ लोग मरते नहीं है, लेकिन वे सारी उम्र के लिये अपाहिज और बेबसी वाला जीवन जीने पर मजबूर तो हो ही जाते हैं!!

स्ट्रोक की पहचान-

बामुश्किल एक मिनट का समय लगेगा,

आईए जानते हैं-

न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं-

अगर कोई व्यक्ति ब्रेन में स्ट्रोक लगने के, तीन घंटे के अंदर, अगर उनके पास पहुँच जाए तो स्ट्रोक के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त (reverse) किया जा सकता है।

उनका मानना है कि सारी की सारी ट्रिक बस यही है कि कैसे भी स्ट्रोक के लक्षणों की तुरंत पहचान होकर, मरीज को जल्द से जल्द (यानि तीन घंटे के अंदर-अंदर) डाक्टरी चिकित्सा मुहैया हो सके, और बस दुःख इस बात का ही है कि अज्ञानतावश यह सब हो नहीं हो पाता है!!!

मस्तिष्क के चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक के मरीज की पहचान के लिए तीन अति महत्वपूर्ण बातें जिन्हें व STR कहते हैं, सदैव ध्यान में रखनी चाहिए।

अगर STR नामक ये तीन बातें हमें मालूम हों तो मरीज के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है।

ये 3 बातें इस प्रकार हैं-

1. Smile अर्थात उस व्यक्ति को मुस्कुराने के लिये कहिए।

2. Talk यानि उस व्यक्ति को कोई भी सीधा सा एक वाक्य बोलने के लिये कहें, जैसे- -आज मौसम बहुत अच्छा है, आदि।

और तीसरा...

3. Raise अर्थात उस व्यक्ति को उसके दोनों बाजू ऊपर उठाने के लिए कहें।

अगर उस व्यक्ति को उपरोक्त तीन कामों में से एक भी काम करने में दिक्कत है, तो तुरंत ऐम्बुलैंस बुलाकर उसे न्यूरो-चिकित्सक के अस्पताल में शिफ्ट करें और जो आदमी साथ जा रहा है उसे इन लक्षणों के बारे में बता दें ताकि वह पहले से ही डाक्टर को इस बाबत खुलासा कर सके।

इनके अलावा स्ट्रोक का एक लक्षण यह भी है-

उस आदमी को अपनी जीभ बाहर निकालने को कहें। अगर उसकी जीभ सीधी बाहर नहीं आकर, एक तरफ मुड़ सी रही है, तो यह भी ब्रेन-स्ट्रोक का एक प्रमुख लक्षण है।

तर्कशील हलचल

तर्कशीलता और जिज्ञासा शिक्षा के आधार

जादू से जन जागृति और पौधों से पर्यावरण

आज रावनहेड़ा (कैथल) के स्कूल में दोपहर बाद चमत्कारों के जाल में फंसने से बचाने हेतु बच्चों को जादू का शो दिखाया और उसकी ट्रिक को समझाते हुए बताया कि जादू कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक ट्रिक है या विज्ञान है.....

खाली डिब्बे से पासे निकालना,
रूमालों का रंग बदलना,
त्रिशूल को जीभ के आरपार करना,
स्टील की तलवार निगलना,
बड़ी चीज को छोटा करना,

नोट के बीचों बीच बिना छेद किये पैन गुजारना, डिब्बे में रंगीन पानी डालकर फूलों की बरसात करना और रुमाल से अंगूठी गायब करके उसे 12 तालों वाले डिब्बे में से निकालकर दिखाना आदिहैरानी जनक ट्रिक्स दिखाई गयी।

अंत में बच्चों को बताया गया कि तलवार को निगलने की क्या ट्रिक है जिससे बच्चे बहुत हैरान और खुश हुए।साथ ही उन्हें समझाया गया कि हमें तर्कशील बनना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिएय यदि हम ऐसा करेंगेतो अन्धविश्वास दूर होंगे तथा कोई भी हमें धोखा नहीं दे पायेगा।

हैड मास्टर श्री चंद्रमोहन समेत अध्यापक सोहनलाल, नरेश ,रामकुमार, नवाब सिंह कर्मी सुरेश, सुनीता, भूरो सहित सभी बच्चों ने शो का खूब आनंद लिया। इससे पहले कल और आज पौधे भी लगाये गए ताकि पर्यावरण के प्रति बच्चों में लगन पैदा हो।

जिला बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र में तर्कशील सोसायटी के उद्देश्यों के बारे में प्रस्तुति

दिनांक 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिन पर जिला बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं के अलावा तर्कशील सोसायटी हरियाणा की ओर से बलवंत सिंह लेकचरर ने भी अपनी बात रखी। संबोधन के साथ साथ उन्होंने सोसायटी के उद्देश्यों पर आधारित विस्तृत रूप से चमत्कारों का पर्दाफाश प्रोग्राम प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने जादू के कुछ ट्रिक दिखाकर उनके रहस्यों के बारे में बताया कि किस प्रकार बाबा लोग चमत्कार दिखा कर अपने तथाकथित भक्तों को उल्लू बनाते हैं जबकि वास्तव में इस प्रकार के चमत्कार हाथ की सफाई और ट्रिक होते हैं।

उन्होंने सोसायटी की 23 शर्तों एवं उद्देश्यों के बारे में भी अपनी बात रखी।

दुड़ाना में किसानों के बीच धरने के दौरान अंधविश्वास से बचने की जानकारी दी गई व चमत्कारों का पर्दाफाश किया गया।

-राजेश तर्कशील

मो.9468069485

अनमोल वचन

उन किताबों से प्यार करो जो ज्ञान का स्रोत हों, क्योंकि सिर्फ ज्ञान ही वन्दनीय होता है; ज्ञान ही तुम्हें आत्मिक रूप से मजबूत, ईमानदार और बुद्धिमान, मनुष्य के प्रति सच्चा प्रेम करने लायक, मानवीय श्रम के प्रति आदर-भाव सिखाने वाले, मनुष्य के अथक एवं कठोर परिश्रम से बनी भव्य कृतियों को सराहने लायक बना सकता है।

-मेक्सिम गोर्की

तर्कशील जुगनुओं ने लोगों की चेतनाओं को किया रौशन'

आँखें बन्दकर पढ़ने के दावे का किया पर्दाफाश

-अजायब जलालआना
मोः 9416724331

तर्कशील सोसायटी पंजाब (रजि.) समाज में फैल रहे अंधविश्वासों और अवैज्ञानिक घटनाओं के प्रति आम जनता को लगातार जागरूक करती आ रही है। ताकि कोई भी किसी बच्चे या आम नागरिक को भ्रमित कर, भ्रम फैलाकर किसी को गुमराह न कर सके।

तर्कशील सोसायटी पंजाब भारत के संविधान अनुच्छेद 51 ए और अन्य कानूनों और नियमों के तहत लोगों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है ... समय-समय पर सोसाइटी ब्रेनपीडिया (आंखों पर पट्टी बांधकर नाक से सूंघ कर पढ़ना) का पर्दाफाश करती आ रही है। मंडी डबवाली, उकलाना, जालंधर आदि शहरों में इस सच्चाई को लोगों के सामने पहले भी लाया गया है। जीव विज्ञान के नियम के तहत हमारी संस्था का मानना है कि कोई भी इंसान आँख बंद करके नहीं पढ़ सकता है। अगर वह पढ़ भी सकता है, तो शर्तिया उसे हर हालत में उसे आँख से ही दिखाई दे रहा होता है। मानव शरीर का कोई अंग या अन्य भाग किसी भी यौगिक विधि दैवीय शक्ति द्वारा देखने में सक्षम नहीं है।

सोसाइटी की 23 शर्तों के अनुसार यह भी शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आँखें बंद करके और नाक से सूँघकर पढ़ने का दावा करता है, तो सोसाइटी अपने द्वारा जाँच के बाद, यदि वह देखने में सफल हो जाता है, तो उसे 5 लाख रु ईनाम देने का वादा करती है।

ऐसी ही एक खबर 8 मार्च को सिरसा जिले के अखबारों में छपी। हरियाणा के सिरसा जिले के छतरियां गाँव के राजिंदरा स्कूल के छात्र साहिल को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आँख बंद करके सूँघकर 26 सेकंड में पूरी ताश के सभी पत्तों की पहचान कर देने के लिए पूरे एशिया से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा भी प्रदान किया गया, यह समाचार प्रकाशित हुआ था।

इस खबर को ध्यान में रखते हुए, तर्कशील इकाई कालांवाली ने एक बैठक की और एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया था कि कोई भी आँखें बन्दकर नहीं पढ़ सकता है। यदि छात्र तर्कशीलों की शरतों को मानते हुए पढ़ लेता है तो उसे 5 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा।

छात्र के माता-पिता कालांवाली सोसाइटी के कार्यालय में आए और गांव के सरपंच और अन्य गणमान्य लोगों के सामने चुनौती स्वीकार की व सोसाइटी की शर्तों को स्वीकार लिया। परन्तु प्रदर्शन के मौके पर वे इन शर्तों से पीछे हटते नजर आए।

थोड़े ही समय में, तर्कशील राज्य समिति को विश्वास में लेकर 14 मार्च को हरियाणा के जिला सिरसा, गांव बड़ागुढ़ा के पंचायत घर स्थल पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। तय समय पर राज्य कमेटी के प्रभारी राजिंदर भदौड़ की अध्यक्षता में, राज्य मीडिया प्रमुख अजायब जलालाना, जसवंत बोपाराय, गुरप्रीत सहना, इकाई भदौड़ के कुलदीप,बठिंडा इकाई से हाकिम सिंह, कुलवंत सिंह की पूरी टीम, मौड़ इकाई से हरदीप सिंह की टीम डबवाली से जगतार सिंह सिंघेवाला की टीम,कालांवाली इकाई की पूरी टीम शमशेर चोरमार के नेतृत्व में अपना रोल अदा कर रही थीं।

लगभग 12 बजे, तर्कशील सोसाइटी की पूरी टीम अपनी योजनाओं के अनुसार मंच पर पहुंच गई। लोगों का भारी इकट्ठ जुड़ा हुआ था। छात्र के माता-पिता की हठधर्मिता के कारण,उन्हीं द्वारा सोशल मीडिया पर आने के लिए जनता को पहले से ही सूचित किया गया था। मंच का संचालन करते हुए, शमशेर चोरमार ने पूरे घटनाक्रम के बारे में आमजन को पूरी जानकारी बताई गई व सोसाइटी के कार्यो तथा शर्तों के बारे में अवगत करवाया गया।

सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित नजदीकी 5 गांवों के वर्तमान और पूर्व सरपंचों की एक न्याय समिति का गठन वहां बैठे आम जनता की सहमति से प्रस्ताव पास करवा कर किया गया।

जादू के प्रदर्शन व अपने विचारों को रखते हुए, राज्य प्रभारी राजिंदर भदौड़ ने कहा कि हमारा किसी बच्चे या परिवार के प्रति कोई व्यक्तिगत वैर-विरोध नहीं है, लेकिन जनता को अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी घटनायों के पीछे की शक्तियों को उजागर करने के लिए हम आज आपके बीच आये हैं। क्योंकि आये दिन कुछ धोखेबाज लोग ऐसे भ्रम फैलाकर बच्चों और उनके अभिभावकों का आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण करते रहते हैं। आज हम आपको इस घटना की सचाई के बारे में अवगत करा कर जाएंगे।

उसी समय एक घंटे की देरी के बाद, छात्र के माता-पिता और उनके समर्थक बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। वे आते ही, बहाने और विभिन्न प्रकार की बहस-बाजी करना शुरू करते हैं। कभी वे एक साधारण पट्टी बांधने की बात करते हैं।कभी कहते हम पुस्तक नहीं ताश के पत्ते ही पहचानेगें...कभी तैराकी वाले चश्मे में कोई कैमिकल लगा होने का दुष्प्रचार करते हैं कि इससे हमारे बच्चे की आँखें खराब हो सकती हैं आदि ...

हालांकि बनाई गई निर्णायक कमेटी और तर्कशील टीम व परिवार के सदस्यों की सहमति से ताश को पहचानने और आंखों पर रूमाल रखकर ऊपर चश्मा लगाकर आंख बंद करने के निर्णय पर सभी की सहमति हो गई थी। सोसाइटी की लिखित शर्तों नियमों पर विद्यार्थी के माता-पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए और उन्होंने 10,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करवा दी गई। और तर्कशील सोसाइटी सदस्यों द्वारा निर्णायक समिति को 5 लाख रुपये का चौक जमा करा दिया गया।

आंखों को बंद करने के लिए निर्धारित तीन सदस्यों राजिंदर भदौड़, अजायब जलालआना व गुरप्रीत सहिना ने जब छात्र की आंखों के ऊपर रूमाल के साथ चश्मा पहनाना चाहा तो उसने शुरू में अपने हाथों से पट्टी हटा दी, जबकि पहले यह निर्धारित किया गया था कि छात्र पट्टी को हाथ नहीं लगाएगा। जब कि उसने शुरू में ही रुमाल व चश्में को अपने हाथ से हटा दिया गया। निर्णायक समिति ने छात्र के ट्रेनर के कहने पर उन्हें पुनः एक और मौके की तैयारी के लिये 10 मिनट देने की अनुमति दी। जब मास्टर ट्रेनर ने यह कहा कि छात्र घबरा गया! तब तर्कशीलों ने उस मास्टर ट्रेनर से कहा कि जब तुमने उसे आँखें बंद करके पढ़ना सिखाया है, तो आओ और कुर्सी पर बैठकर यह प्रदर्शन तुम करो, शर्त आप जीत लें! उसके बाद वह मास्टर ट्रेनर वहां दोबारा दिखाई ही नहीं दिया।

10 मिंट पूरे होने के बाद निर्णायक कमेटी द्वारा उन्हें पुनः प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। वह कुछ दूरी पर बैठे रहे और यह कहते हुए अन्य बहाने बनाते रहे कि हमारा बच्चा घबराया हुआ है। एक पत्रकार ने उन्हें सवाल किया कि जब आपका बच्चा विश्विद्यालयों के बड़े हालों में हजारों की भीड़ में प्रदर्शन कर सकता है तो यहां क्यों नहीं ? अब उनके साथ आये उन्हीं के गांव व आस-पास के मौजिज समर्थकों को भी सचाई का पता चलने लगा...और उनके समर्थक ही उन्हें सवाल करने लगे। एक उन्हीं के समर्थक ने सोसाइटी सदस्यों के कार्य से प्रभावित होकर एक हजार रुपये सहायता राशि भी हमें प्रदान की। आखिरकार ऐसी स्थिति में पूरा परिवार अपनी कारों में सवार होकर वहां से अपने घर वापस चले गये। उन्होंने घर जाकर अपने समर्थकों को फोन पर बताया और कहा कि हम 5 लोगों की मौजूदगी में प्रदर्शन कर सकते हैं। जब इस जवाब में तर्कशीलों की यह सूचना परिवार तक पहुँची कि पाँच नहीं केवल तीन सदस्य ही उपस्थित होंगे! अब वे अपने एक समर्थक के माध्यम से कहने लगे एक तर्कशील व्यक्ति हमारे घर पर ले आएं हमारा लड़का यह प्रदर्शन करके उसे दिखा देगा! ऐसी बातें सुनने के बाद वहां बचे उनके एक आध कट्टर समर्थक को भी अब पूरी सच्चाई का पता चल चुका था। निर्णायक समिति ने उन्हें आधे घंटे तक आने की चेतावनी देने के बाद जब वे नहीं आये तो 10,000 रुपये की जमानत जमा राशि और 5 लाख रुपये के चैक सहित व लिखित में निर्णय तर्कशील सोसाइटी के पक्ष में दे दिया गया। इस प्रकार इस अंधविश्वासी घटना रूप में अंधेरे को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और ज्ञान और विज्ञान के रूप में तर्कशील,जुगनुओं ने वहां मौजूद लोगों की चेतनाओं को रौशन किया।

केस रिपोर्ट

भूतों द्वारा बच्चा ले जाने की समस्या सुलझाई

–बलवंत सिंह, लेक्चरार

आज के दौर में भी हमारे समाज में जनता का एक बहुत बड़ा तबका अंधविश्वासों के मकड़जाल में उलझा हुआ देखा जा सकता हैं केवल अशिक्षित या अधशिक्षित ही नहीं बल्कि अच्छे पढ़े लिखे एवं उच्च डिग्रियां हासिल करने वाले तथा ऊंचे –ऊंचे पदों पर आसीन बहुत से लोग भी अंधविश्वासों की दलदल में आकंठ डूबे हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे अंधविश्वासी मानसिकता वाले लोगों के घरों में जब कोई समस्या दरपेश आ जाए तो वे उस का समाधान वैज्ञानिक नियमों पर चलकर ढूंढने के बजाए बाबाओं व ओझाओं की शरण में जा कर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। इससे उनकी समस्या सुलझने के बजाए और अधिक उलझ जाती है। ऐसी ही अंधविश्वासी मानसिकता वाले एक परिवार को अपनी एक साधारण सी समस्या के चलते लम्बे समय तक मानसिक एवं आर्थिक शोषण का शिकार बनना पड़ा।

मनोज एवं स्नेहा की शादी हुए को चार वर्ष से अधिक का समय हो चुका था। इस दौरान स्नेहा को तीन बार गर्भ ठहरा, परंतु हर बार ही गर्भधारण के तीसरे और चौथे महीने के दरम्यान उसका गर्भपात हो जाता रहा। जब प्रथम बार स्नेहा को गर्भ ठहरा तो उसे कभी कभार डर लग जाया करता था। कभी-कभी उसे डर वाले सपने भी आ जाया करते थे। गर्भ धारण को अभी तीन महीने ही गुजरे थे कि अचानक एक दिन स्नेहा के पेट में तेज दर्द उठना शुरू हो गया और साथ ही थेड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग होनी शुरु हो गई। जब तक परिवार वाले उसे लेकर प्रसूति अस्पताल में पहुंचे तब तक स्नेहा के शरीर से खून का बहना और तेज होता चला गया। लेडी डाक्टर ने स्नेहा का पूरी तरह से चैकअप करने के पश्चात् बता दिया कि उसका गर्भवात हो चुका है। डाक्टर ने स्नेहा को जरूरी दवाइयां देकर उन्हें घर वापिस भेज दिया। कुछ दिन के डाक्टरी इलाज के पश्चात् स्नेहा की हालत समान्य हो गई और वह घर का काम-काज सामान्य ढंग से करने लग गई। परंतु उसके व्यवहार में थोड़ा-थेड़ा परिवर्तन भी आना शुरू हो गया।

अब स्नेहा कुछ घबराई सी रहने लग गई। अब डसे डर वाले भयानक से सपने आने लग गये। कई बार सपने में उसे कोई डरावना सा आदमी उसकी गोदी में से बच्चा छीन कर ले जाता हुआ दिखाई देने लग गया। कई बार वह रात को डर कर उठ बैठती और जोर-जोर से चिल्लाने लग जाती। पूछने पर वह बताती कि कोई आदमी उससे बच्चा छीन कर ले जा रहा था, इसलिए वह डर कर चिल्लाने लग गई थी। अब वह अत्यधिक परेशान रहने लग गई। अब कई बार उसे दौरे भी पड़ने शुरू हो गये। वह कई बार चारपाई पर बैठे-बैठे एकदम बेसुध हो कर वहीं पर गिर पड़ती।

उसकी ऐसी हालत देख कर, अंधविश्वासी मानसिकता होने के कारण, घर वाले उसे आसपास के एक गांव के एक बाबा के पास 'झाड़ा करवाने के लिए' ले गये। उस बाबा ने उस का झाड़ा करते समय पुच्छा में बता दिया कि 'इसके पीछे कई भूत-प्रेत लगे हुए हैं जो कि इसकी गोदी में से बच्चा छीन कर ले गये हैं।' ये बाबा लोग हमेशा से ही डर का विजनेस चलाते आए हें। उस बाबा ने तो अपना डर वाला बिजनेस कायम रखते हुए अपने अंधविश्वास के तरकश में से भूत'-प्रेतों के डर वाला तीर चला कर घर वालों से मोटी दक्षिणा वसूल कर ली। परंतु उसकी इस बात ने स्नेहा को मानसिक तौर पर हिला कर रख दिया। जब उन्हें एक बाबा ने कथित भूत-प्रेतों के चक्कर में डाल दिया तो अंधविश्वास का यह सिलसिला लम्बे समय तक चलता चला गया। एक के बाद एक बाबाओं, मुल्ला-मौलवियों, तांत्रिकों-मांत्रिकों, पीरों के भगतों, बाला जी के भगतों ने उनसे कई-कई चौकियां भरवाई परंतु समस्या और विकराल रूप धारण करती चली गई। अब स्नेहा को पहले से भी अधिक घातक रूप से दौरे पड़ने शुरू हो गये। वह कई घंटों

तक बेहोशी की हालत में पड़ी रहने लगी। कई बाार वह अत्यधिक क्रोध में आ जाती और काल्पनिक भूत-प्रेतों को जोर-जोर से गालियां देने लग जाती। कभी-कभी वह डंडा लेकर कथित भूत-प्रेतों को मारने के लिए दौड़ पड़ती। ऐसी हालत में उसे काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता। बताने वाले बताते कि उस समय स्नेहा में दस-दस आदमियों से भी अधिक ताकत आ जाती थी।

अंत में उनके एक दूर के रिश्तेदार को, को, जो कि तर्कशील सोसायटी के जनहित कार्यो से भली-भांति परिचित था, स्नेहा की परेशानी के बारे में पता चला तो उसने विशेष तौर पर उनके घर जा कर उन्हें समझाया और उन्हें मेरा पता देकर रविवार को लगने वाले मनोरोग परामर्श केन्द्र में मेरे पास भेज दिया। मैंने जब दोनों पति-पत्नी को सामने बिठा कर मामले की जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने स्नेहा का पहली बार गर्भपात हो ने से लेकर बाद तक वाली अपनी सारी व्यथा मेरे सामने बयान कर दी। बातचीत में स्नेहा बिल्कुल सामान्य लग रही थी। अतः मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से सम्मोहन कला द्वारा उसके मन में बैठे हुए कथित भूत-प्रेतों के डर को दूर किया। जब उसे सम्मोहन नींद से उठाया गया तो वह अत्यन्त प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर रही थी और उसने मेरे सामने अपने पति व सास को बिठा कर स्पष्ट शब्दों में दृढ़ निश्चय के साथ स्पष्ट शब्दों में ऐलान कर दिया कि 'मास्टर जी के समझाने पर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि अब कोई भी भूत-प्रेत मेरी कोख में से बच्चा लेकर नहीं जा सकेगा।' उसके बाद मैंने उन्हें बाद में जरूरत पड़ने पर किसी माहिर महिला चिकित्सक से चैकअप करवाने तथा उस लेडी डाक्टर के निर्देशानुसार अपने सभी दिनचर्या के कार्य करने के सुझाव देकर उन्हें वापिस भेज दिया।उसके बाद एक-दो बार फिर से मनोवैज्ञानिक ढंग से काउंसलिंग करके स्नेहा का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया।

कारणः

स्नेहा एक शिक्षा प्राप्त लड़की थी। उसका पति मनोज एक अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा हुआ था। वे साधन-सम्पन्न लोग थे, परंतु उनकी सोच अभी भी पुरातन पंथी ही थी। वे अपनी अच्छी नौकरी एवं घरेलु सुख-सहूलतों आदि सभी को अपनी पूजा-पाठ एवं देवी-देवताओं की कृपा-दुष्टि का प्रतिफल ही मानते चले आए थे। इसके साथ ही अपने सामने आई किसी समस्या को वे किसी न किसी देवी-देवता की नाराजगी अथवा किसी अज्ञात आसुरी शक्तियों के कोपभाजन का परिणाम ही मानते थे। यद्यपि वे किसी रोग अथवा अन्य परेशानी के समाधान के लिए आधुनिक चिकित्सा की सहायता भी ले लेते थे, फिर भी दवाइयों के साथ साथ वे बाबाओं, ओझाओं, पीर के भगतों, बाला जी के भक्तों, मुल्ला-मौलवियों एवं तान्त्रिकों-मांत्रिकों की शरण में भी चले जाया करते थे।

जब प्रथम बार स्नेहा का डाक्टरों के पास ले जा कर अस्पताल में दाखिल करवाने के पश्चात् भी किसी शारीरिक कमी के कारण गर्भपात हो गया तो अंधविश्वासी मानसिकता के चलते वे किसी बाबा के पास झाड़ा करवाने के लिए ले गये और उस बाबा ने स्नेहा पर कथित भूत-प्रेतों का साया बता कर साथ में जब यह कह दिया कि स्नेहा के पीछे लगे हुए भूत-प्रेत ही उसके गर्भ में से उसक बच्चा छीन कर ले गये हैं तो स्नेहा के कोमल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ गया। उसके बाद स्नेहा के अवचेतन मन में यह बात गहरे रूप में बैठ गई। अब स्नेहा चाहे कितनी भी अच्छी खुराक खाती थी तब भी अवचेतन में बैठे भय के कारण वह दिन प्रति दिन पहले से कमजोर होती चली जा रही थी। उसके मानसिक डर वाली समस्या और अधिक बढ़ती चली जा रही थी। ज्यों-ज्यों वे उसे लेकर अन्य बाबाओं, मुल्ला-मौलवियों, भगतों वे तांत्रिकों के पास जाते रहे त्यों-त्यों स्नेहा के अवचेतन मन में कथित भूत-प्रेतों का डर और अधिक बैठता चला गया। इससे स्नेहा के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता चला गया। बाबाओं की चौकियों पर अन्य मनोरोगियों का विचित्र व्यवहार देखकर स्नेहा के मन की परेशानी और अधिक बढ़ती चली गई।

बाद में जब-जब स्नेहा ने गर्भधारण किया तब तब उसे भयंकर और डरावने सपने आने शुरू हो जाते। हर बार सपने में उसे ऐसा महसूस होता जैसे कि कथित भूत-प्रेत उसकी कोख पर ठोकरें मार रहे हैं अथवा डण्डों से उसकी पिटाई कर के उसका बच्चा छीन कर ले जा रहे हैं। एक तो

शारीरिक कमजोरी दूसरा उसके अवचेतन मन में बैठे हुए डर की वजह से उसका गर्भपात हो जाता रहा। यदि वे वैज्ञानिक सोच को अपनाए हुए होते तो स्नेहा के मन पर इस तरह का नकारात्मक प्रभाव कभी न पड़ता। जरूरत पड़ने पर वे डाक्टरी सहायता द्वारा अपनी समस्या का समुचित समाधान कराने तथा पाखण्डवाद में फंस कर अपना आर्थिक व मानसिक शोषण कदाचित न करवाते।

अब इस घटना को तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है तथा स्नेहा एक बच्चे की मां बन चुकी है। अब वह सारा परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन-व्यतीत कर रहा है।

गुर्रा रहा है वह

-रोहित जोशी

वह गुर्रा रहा है
इसलिए नहीं
कि वह शेर है
बल्कि इसलिए कि वह शेर की खाल में
छिपा हुआ भेड़िया है
जो जबरदस्ती अपना प्रभुत्व
थोपना चाहता है
हम पर।

कोविड पीड़ितों के लिए

साईस फॉर सोसाइटी ने शुरू किया देशव्यापी हेल्पलाइन नम्बर

राम नगर /एसएनबी

महामारी के दौरान काोविड-19 पीड़ितों को चिकित्सा परामर्श व उपलब्ध सहायता के माध्यम से राहत पहुंचाये जाने के लिए साईस फॉर सोसाइटी ने सोमवार को अपना देशव्यापी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है।

सोसइटी के मदन मेहता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सरकार चिकित्सालयों में व्याप्त तमाम अव्यवस्थायें व निजी अस्पतालों की लूट खसूट के चलते सैंकड़ों कोरोना से पीड़ितों रोगियों को अपना जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तमाम मौतें बीमारी से कम, व्यवस्थाओं की बदहाल तथा समुचित चिकित्सा परामर्श के अभाव में हो रही हैं। पीड़ितों को इस माहौल में कुछ नही सूझ रहा है, जिस कारण उनमें दहशत बनी हुई है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए साईस फॉर सोसाइटी ने अपने चिकित्सों की मदद से पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। जिसके तहत कोविड-19 पीड़ित या लक्षण वाले लोगों के लिए साईस फॉर सोसाइटी के पैनल में शामिल एलोपैथिक डाक्टरों से निशुल्क परामर्श दिया जाएगा।

मदद चाहने वाले लोग व्हाटसएप या एसएमएस द्वारा मरीज का नाम, उम्र, स्थान, लक्षण व अपेक्षित मदद के बारे में सोसाइटी को मोबाइल नम्बर 6398067708 पर लिख कर भेजें। जिसके बाद सोसाइटी की टीम उनसे स्वयं संपर्क कर अपेक्षित मदद उपलब्ध करवायेगी। पैनल में शामिल डा. आशुतोष शाम चार बजे से आठ बज तक हेल्पलाइन से जुड़े रहेंगे। श्री मेहता ने बताया कि सोसाइटी का कार्यक्षेत्र पूरे भारत में होगा। देश में कोई भी व्यक्ति संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये नम्बर पर अपनी जरूरत का संदेश भेज सकता है। जिसके बाद जरूरतमंद तक हमारी टीम के कार्यकर्ता खुद पहुंचकर मदद करेंगे।

स्मृति-शेष

प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा (डी.एन.झा.) का देहांत

द्विजेंद्र नारायण झा 81 वर्ष के थे और कुछ वक्त से बीमार थे। वे प्राचीन भारत के इतिहास के माहिर थे। उन्होंने इतिहास को अंधराष्ट्रवाद, फिरकापरस्ती, मिथिहास व श्रद्धा से मुक्त करवाकर वैज्ञानिक पद्धति से पेश करने का काम किया। उन्होंने इतिहास को राजाओं के किस्सों से मुक्त करवाकर जन-जीवन का इतिहास लिखा। वे भारतीय इतिहास शोध परिषद के सदस्य भी रहे हैं।

भारत को जबरन एक राष्ट्र में तब्दील करने के लिए प्रयासरत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा वैदिक युग को सुनहरा युग कहने जैसे मिथकों का उन्होंने सूबतों और वैज्ञानिक ढंग से खंडन किया।

उन्होंने 'प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में समाज और अर्थव्यवस्था' जैसी कई अहम किताबें लिखी हैं। 1997 में उन्होंने 'पवित्र गाय का मिथ' किताब लिखकर ठोस तथ्यों, दलीलों से फिरकापरस्तों द्वारा गाय को पवित्र पशु घोषित करने के मिथ का खंडन किया और इस बात के सबूत पेश किए कि वैदिक युग से ही गायों की बली व मांस खाना भारत में आम रूप से प्रचलित था।

उन्होंने बताया कि 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही गाय को सांप्रदायिक सियासत का हथियार बनाया गया है। वे उन 4 इतिहासकारों में भी थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद व राम जन्मभूमि के मसले पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर होने के झूठ का ऐतिहासिक सबूतों से खंडन किया।

अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने डटकर जनता का साथ दिया और फासीवादी हुकूमत से डरकर कभी भी इतिहास से धोखा नहीं किया। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका लिखा इतिहास सांप्रदायिक फासीवादियों की राह का रोड़ा बना रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के साथ-साथ वैज्ञानिक समझ देने का काम भी करता रहेगा।

तर्कशील सोसायटी हरियाणा की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

तर्कशील साथी रामेश्वर कुमार, जींद निवासी (अब कुरुक्षेत्र) की बहन का निधन हो गया। तर्कशील सोसायटी हरियाणा उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करती है।

शोषित समाज दल के तीन राष्ट्रीय नेताओं की मृत्यु

शोषित समाज के तीन राष्ट्रीय नेताओं-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी का 11 अप्रैल को, राष्ट्रीय महामंत्री रामचंद्र वर्मा का 20 अर्प्रल को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनी राम शास्त्री का 23 अप्रैल को निधन हो गया।

तर्कशील सोसायटी हरियाणा के इस मित्र संगठन अर्जक संघ के साथियों के चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त करती है।

'वर्ग-संघर्षों का इतिहास अपने विकास-क्रम की एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुका है जहां पूरे समाज को शोषण-उत्पीड़न, वर्ग-विभेदों तथा वर्ग-संघर्षों से सदा-सर्वदा के लिए मुक्त किये बिना शोषण-उत्पीड़न करने वाले वर्ग, पूंजीपति वर्ग के जुए से शोषित-उत्पीड़त वर्ग, सर्वहारा वर्ग अपने आपको मुक्त नहीं कर सकता।' -कार्ल मार्क्स

लेखकों/पाठकों के लिए :

1. रचना की मूल प्रति ही भेजें, फोटो प्रति स्वीकार्य नहीं होगी।
2. अस्वीकृत रचना की वापसी हेतू पांच रूपये का डाक टिकट लगाकर लिफाफा संलग्न करें।
3. रचना बायीं तरफ हाशिया छोड़कर अशुद्धियों रहित साफ-साफ लिखी या टाईप होनी चाहिए
4. रचना सोसायटी के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए।
5. पत्रिका में छपी रचनाओं पर प्रतिक्रिया साधारण पोस्ट कार्ड से भी भेजी जा सकती है।
6. लेख, कहानी, कविता तथा रचनाओं पर प्रतिक्रिया ईमेल tarksheeleditor @gmail.com अथवा वट्सएप नं. 9416036203 भी भेजी जा सकती है।
7. पत्र व्यवहार करते समय लिफाफे पर पूरे पैसों के टिकट लगाकर ही प्रेषित करें। बैरंग पत्र हो जाने की स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. अनुवादित रचना के साथ मूल लेखक का अनापत्ति पत्र भी संलग्न करें।
9. पत्रिका में छपी किसी भी रचना पर लेखक को मानदेय का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह पत्रिका पूर्णतः अव्यवसायिक/ अवैतानिक संपादक एवं संपादक मंडल द्वारा अन्धविश्वासों, पाखण्डों, रूढ़ियों के विरूद्ध जागृति लाने हेतु जनहित में प्रकाशित की जाती है।

रागणी

ठोस नतीजे चाहिएं

–रामेश्वर 'गुप्त'

शोषण हो तेरे सपनों का, गर करना स्वीकार नहीं
गहन नींद में सोया है तू, ये तेरा अधिकार नहीं

खुद अपने अधिकार की खातिर, लड़ना सीख, मरना सीख
स्वाभिमान की नैया पे चढ़, साथी पर उतरना सीख
मुश्किल भी हों राहें तो क्या, अंधेरों से लड़ना सीख
कर्मपथ पर आ के साथी पग कांटों पे धरना सीख
परजीवी हो कर के जीना, जीने में शुमार नहीं।

वक्त पुकार रहा है तुझको, अब लामबंद होना होगा
उच्च शिखर को पाना है तो, तरक्की पसंद होना होगा
लाठी-गोली खानी होगी, जेलों में बंद होना होगा
हर तरह की कुर्बानी को, तुझे रजामंद होना होगा
हक छीन लो आगे बढ़ कर, भीख अगर स्वीकार नहीं

इंकलाब की सिंह गर्जना, तुम आवाज मिलाओ साथी
समर पुकार रहा है हमको, मिल कर हाथ उठाओ साथी
जुल्म सहन नहीं करेंगे, सब को पाठ पढ़ाओ साथी
आजादी परवानों के संग, अपने कदम मिलाओ साथी
बंद करो ये धोखे बाजी, हम इतने लाचार नहीं।

एक सूत्र में नहीं बंधे तो, बेड़ा पार नहीं होगा
हमारे सपनों की दुनिया का, सो विस्तार नहीं होगा
भेड़ चाल से अपना साथी, अब तो उद्धार नहीं होगा
'रामेश्वर' तू जाग नींद से, वक्त बेकार नहीं होगा
ठोस नतीजे मिलने चाहिएं, बस खाली प्रचार नहीं।

आर्थिक सहयोग

1. तर्कशील साथी मुकेश कुमार, गांव गंगटेहड़ी(असंध) ने दिल्ली में प्लाट खरीदने की खुशी में तर्कशील सोसायटी हरियाणा को 2100 रुपये (इक्कीस सौ) का अर्थिक सहयोग दिया है।

तर्कशील सोसायटी हरियाणा उनके इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करती है।

महासचिव,
तर्कशील सोसायटी हरियाणा

तर्कशील सोसायटी हरियाणा की राज्य कार्यकारणी का गठन

17 मार्च 2021 को यमुनानगर(हरियाणा) में स्थानीय यूनिट एंव राज्य कार्यकारिणी की एक सभा आयोजित की गई। क्रोना काल के चलते अधिवेशन सम्भव नही हो पाने के कारण आगामी दो वर्षों के लिए साल 2019-2020की रेशनलिस्ट (तर्कशील) सोसायटी हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी को ही वर्ष 2021-2022 के लिए सर्व सम्मति से चुन लिया गया। साथी सुखदेव की मत्यु के कारण उप सचिव पद पर भी सर्व सम्मति से नया सदस्य चुना गया है। नई राज्य कार्यकारणी का विवरण निम्न अनुसार है :

राज्य कार्यकारिणी

प्रधान : श्री फरियाद सिंह

उप प्रधान : राजेश पेगा

सचिव : श्री गुरमीत सिंह

कैशियर : श्री अनुपम सिंह

प्रचार सचिव : श्री सुभाष तितरम

सम्पादक तर्कशील पथ : प्रो. बलवन्त सिंह

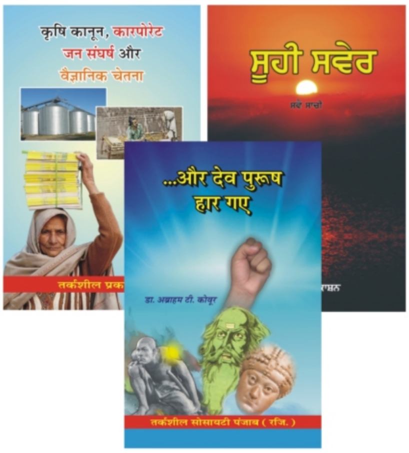
राज्य कार्यकारिणी सदस्य :

डा. विजय कुमार

डा. परमानन्द

श्री ईश्वर सफीदों

मा. राकेश कुमार



सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका

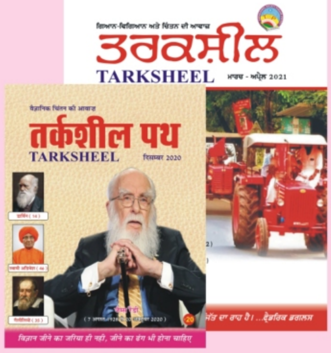
सामाजिक परिवर्तन में साहित्य ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी क्रांति के दौरान मैक्सिम गोर्की और लियो टॉल्स्टॉय जैसे लेखकों की भूमिका उल्लेखनीय है। मानव जाति के लिए चेतना का प्रकाश फैलाना साहित्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। केवल जागृत लोग ही बिना लूट के समानता का समाज बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। भा'जी(आदर पूर्वक शब्द बड़ा भाई) गुरुशरण सिंह, साहित्य के महत्व को महसूस करते हुए, अपने कंधे पर किताबों का एक बैग ले कर चलते थे। गाँव,कस्बों व शहरों में अपने नाटकों के मंचन के साथ ही वे किताबों को भी जन जन तक पहुंचाते थे। उन्हें नाटकों के साथ ही जन जन तक साहित्य पहुंचाने के लिए भी याद किया जाता है।

तर्कशील आंदोलन की वैज्ञानिक चेतना की यात्रा देव पुरुष हार गए किताब से शुरू हुई होती है ,जो बाद में अन्य तर्कशील साहित्य के लिए भी प्रेरणा बनी। प्रत्येक तर्कशील कार्यकर्ता, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता का यह भी कार्य बनता है कि अपने घर, परिवार, स्कूल, कार्यालय, गाँव और शहर में पुस्तकों को जन संवाद का हिस्सा बनाने के लिए अपना योगदान दे।

आइए, हर समय किताबों को सब के लिए सुलभ बनाने के हमारे प्रयासों का हिस्सा बनें।

संदेश और वादा

तर्कशील पत्रिका वैज्ञानिक चेतना की एक प्रहरी पत्रिका है। देश-विदेश में इसके पाठकों की बड़ी संख्या है। हजारों तर्कशील कार्यकर्ता हैं जो इस को जन जन पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। यह पत्रिका, वैज्ञानिक चेतना, ज्ञान- विज्ञान, स्वास्थ्य, मनोविज्ञान और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है तर्कशील के माध्यम से एक पाठक दूसरे पाठकों से जुड़ता है। यह अभ्यास वैज्ञानिक चेतना और तर्कशील जीवन जीने को प्रेरित करता है। हम इसे और व्यापकता में ले जाएंगे , यह संदेश और वादा है।



जून 2021 Reg. No. HARHIN/2014/60580 वर्ष 8 अंक 3

किसान मोर्चें में पुस्तक चेतना : 7-8 मार्च 2021



सिंघु बार्डर पर तर्कशील काफिला



संयुक्त किसान मोर्चा में राजिन्द्र भादौड़ सम्बोधन करते हुए



टिकरी बार्डर पर महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का उत्साह



किसानों के हाथों में पुस्तकें



तर्कशील नेतृत्व गाज़ीपुर बार्डर पर लेखकों /बुद्धिजीवियों के साथ

If undelivered please return to :

Tarksheel

Tarksheel Bhawan, Tarksheel Chowk,
Sanghera ByPass, BARNALA-148101
Post Box No. 55

Ph. 01679-241466, Cell. 98769 53561
Web : www.tarksheel.org
e-mail : tarkshiloffice@gmail.com

BOOK POST
(Printed Matter)

To ....

....

....

प्रो. बलवंत सिंह, प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी, संपादक, मकान न. 1062, आदर्श नगर, पिपली, जिला कुरूक्षेत्र - 136131 (हरियाणा) द्वारा अप्पू आर्ट प्रैस, शाहकोट से मुद्रित करके तर्कशील सोसायटी पंजाब व हरियाणा के माध्यम से वितरण हेतु जारी किया।